महानगर नई दिल्ली शनिवार 8 जून, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

इमरान ने दूसरी बार की वार्ता की पेशकश

मोदी को लिखी चिट्ठी में साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई

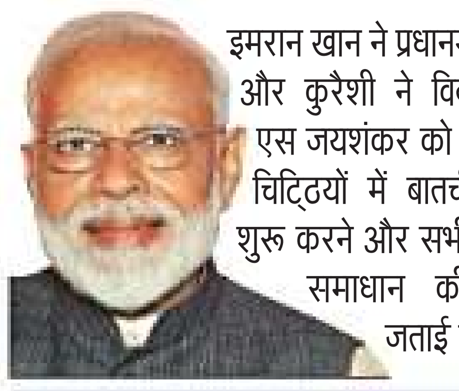

इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी और कुरैशी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजी गई चिट्ठियों में बातचीत फिर शुरू करने और सभी मुद्दों के समाधान की इच्छा जताई है।

दोनों राष्ट्रों के बीच वार्ता ही दोनों देशों के लोगों को गरीबी से उबरने में मदद करने का एकमात्र समाधान है और इसके लिए जरूरी है कि क्षेत्रीय विकास के लिए साथ मिल कर काम किया जाए।

–इमरान खान

- शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान 'सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दों' पर भारत के साथ बातचीत चाहता है और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों को लेकर प्रतिबद्ध है।
- भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि हम भी द्विपक्षीय वार्ता के पक्षधर हैं। लेकिन पड़ोसी मुल्क को आतंकवाद के प्रसार और आतंकी संगठनों की मदद के अपने एजंडे को छोड़ना होगा।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली/इस्लामाबाद, 7 जून।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर बातचीत फिर से शुरू करने और सभी मुद्दों के सुलह–समाधान की इच्छा जताई है।

इमरान खान ने शुक्रवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा कि इस्लामाबाद कश्मीर मुद्दे सहित सभी सुलह योग्य समस्याओं के समाधान के लिए नई दिल्ली के साथ वार्ता करना चाहता है। दरअसल, एक दिन पहले भारत ने कहा था कि बिशकेक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर बैठक से इतर दोनों नेताओं के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं होगी।

भारत के प्रधानमंत्री पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए मोदी को बधाई देते हुए खान ने पत्र में कहा है कि दोनों राष्ट्रों के बीच वार्ता ही दोनों देशों के लोगों को गरीबी से उबरने में मदद करने का एकमात्र समाधान है और इसके लिए यह जरूरी है कि क्षेत्रीय विकास के लिए साथ मिल कर काम किया जाए। जियो टीवी की खबर में यह कहा गया है। खान ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे सहित सभी समस्याओं का समाधान चाहता है।

मोदी के सत्ता में वापस आने के बाद यह दूसरा मौका है जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के लोगों की बेहतरी के लिए भारत के साथ मिल कर काम करने की आकांक्षा जताई है। इससे पहले शुक्रवार को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र भेजकर उनके पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी ने भारत व पाक के बीच वार्ता शुरू करने की पेशकश की है। शुक्रवार को भेजे गए अपने पत्र में कुरैशी ने कहा कि उनका देश 'सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दों' पर भारत के साथ बातचीत चाहता है और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों को लेकर प्रतिबद्ध है। कुरैशी ने विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने पर जयशंकर को बधाई देते हुए यह पत्र लिखा है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्री की इस पेशकश को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, 'हम भी द्विपक्षीय वार्ता के पक्षधर हैं। लेकिन पड़ोसी मुल्क को आतंकवाद के प्रसार और आतंकी संगठनों की मदद के अपने एजंडे को छोड़ना होगा।' अधिकारियों ने कहा, 'भारत की यह आधिकारिक नीति है कि बातचीत और आतंकवाद साथ–साथ नहीं चल सकते।'

पाकिस्तान के अखबार 'डॉन' ने राजनयिक सूत्रों के हवाले से कुरैशी के पत्र का ब्योरा अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। अपने पत्र में कुरैशी ने जयशंकर से कहा कि इस्लामाबाद, नई दिल्ली के साथ सभी बाकी पेज 8 पर

संसदीय मामलों की समिति ने की पहली बैठक

नए लोकसभा अध्यक्ष व बजट पर चर्चा

नई दिल्ली, 7 जून (भाषा)।

मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की नवगठित समिति ने नई लोकसभा के पहले सत्र से पहले शुक्रवार को यहां अपनी बैठक की। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर हुई बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री अमित शाह उन मंत्रियों में शामिल थे जो इस बैठक में शामिल हुए। सत्रह जून से शुरू हो रहे संसद के सत्र से पहले यह बैठक हुई है।

समझा जाता है कि समिति ने इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष, 19 जून को अध्यक्ष के चुनाव, पांच जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने जैसे विषयों पर बाकी पेज 8 पर

कैबिनेट की पहली बैठक 12 को

नई दिल्ली, 7 जून (भाषा)।

नई सरकार बनने के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक 12 जून को होने जा रही है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया बाकी पेज 8 पर

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

थाना प्रभारी सहित पांच सिपाही निलंबित

अलीगढ़, 7 जून (भाषा)।

जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर टप्पल में अबोध बच्ची की नृशंस हत्या के मामले में कथित लापरवाही बरतने के आरोप में टप्पल थाना प्रभारी सहित पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरि ने बताया कि पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज श्रीवास्तव द्वारा की गई जांच के आधार पर गुरुवार को थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों के निलंबन की कार्रवाई की गई है।

उधर, इस मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने अपना जूर्म कबूल कर लिया है। मृत बच्ची के पिता ने आरोपियों से 12 हजार रुपए उधार लिया था। यह रकम नहीं लौटाने पर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। बच्ची 30 मई को गायब हुई थी लेकिन मामला 31 मई को दर्ज किया गया।

कुलहरि ने बताया कि मामले की आगे जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं एक महिला इंस्पेक्टर सहित छह सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआइटी) बनाई गई है। कुलहरि ने बच्ची के पिता बनवारी लाल शर्मा से मुलाकात कर उन्हें समझाया बुझाया कि वे आमरण अनशन न करें। शर्मा ने आमरण अनशन की धमकी दी थी। बच्ची के पिता की मांग है कि कथित बाकी पेज 8 पर

टप्पल में नृशंस हत्या की शिकार बच्ची के शोकाकुल परिजन।

"बच्ची का शव मौत के 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच में पॉक्सो अधिनियम का प्रयोग किया जाएगा।

–आनंद कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था)

मालदीव, श्रीलंका की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा

इस दौरे से 'पड़ोस पहले' की नीति को मिलेगी मजबूती

नई दिल्ली, 7 जून (भाषा)।

मोदी ने मालदीव की अपनी यात्रा के बारे में कहा कि भारत इस देश को मूल्यवान साझेदार मानता है। उन्होंने कहा, 'मालदीव के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध हाल के समय में काफी मजबूत हुए हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी यात्रा से हमारी बहुआयामी साझेदारी और गहरी होगी।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि शनिवार से शुरू हो रही मालदीव और श्रीलंका की उनकी यात्रा से भारत द्वारा 'पड़ोस पहले' नीति को दिया जाने वाला महत्व प्रतिबिंबित होता है और इससे समुद्र से घिरे दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। मोदी लोकसभा चुनाव में जीतकर दोबारा सत्ता में आने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के तहत सबसे पहले मालदीव जाएंगे। वे मालदीव से रविवार को श्रीलंका जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं इसको लेकर आश्वस्त हूं कि मालदीव और श्रीलंका की मेरी यात्रा से हमारी पड़ोस पहले नीति और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं प्रगति की दृष्टि के अनुरूप हमारे समुद्री पड़ोसी देशों के साथ हमारे नजदीकी एवं सौहार्दपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे।' ऐसी जानकारी मिली है कि मालदीव मोदी को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार 'आर्डर ऑफ निशानीज्जुदीन' से सम्मानित करेगा।

उन्होंने रवानगी से पहले जारी एक बयान में कहा कि श्रीलंका की उनकी यात्रा वहां 21 अप्रैल को हुए भीषण आतंकवादी हमलों के मद्देनजर इस द्वीपीय देश की सरकार एवं वहां के लोगों के प्रति भारत की एकजुटता व्यक्त करने के लिए है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत के लोग श्रीलंका के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं जिन्होंने ईस्टर के दिन भीषण आतंकवादी हमले के मद्देनहर बड़ी पीड़ा और विनाश का सामना किया। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में श्रीलंका का पूर्ण समर्थन करते हैं।' ईस्टर के दिन श्रीलंका में कई बम विस्फोट हुए थे जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए थे। श्रीलंका में नृशंस हमलों के बाद मोदी श्रीलंका की यात्रा करने वाले किसी बाकी पेज 8 पर

अधिकारियों को दी गई विदेश जाने व निजी विमान यात्रा की सुविधा

- आइएल एंड एफएस जांच में खुलासा : कर्ज पाने वाली कंपनियों ने किया उपकृत
- एसएफआइओ को 90 हजार करोड़ रुपए के कर्ज घोटाले में मिल रहे हैं कई महत्त्वपूर्ण सबूत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जून।

त्वरित गति से कर्ज जारी करने और उसकी वसूली देर से किए जाने के बदले आइएल एंड एफएस के पूर्व शीर्ष अधिकारियों को कर्ज लेने वालों से कथित तौर पर विदेश यात्राओं, निजी जेट विमानों से यात्राएं, हेलिकॉप्टर में उड़ने और विदेश में घरों की आंतरिक साज–सज्जा जैसी सुविधाएं मिलीं। आइएल एंड एफएस मामले में चल रही जांच के दौरान ऐसी कई जानकारियां सामने आई हैं।

वित्तीय धोखाधड़ी मामलों की जांच करने वाली सरकारी जांच एजंसी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) को मामले की जांच के दौरान बड़े पैमाने पर इस तरह की तिकड़मबाजी के नमूने सामने आ रहे हैं, जहां आइएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड (आइएफआइएन) के ग्राहकों से शीर्ष अधिकारियों को निजी लाभ प्राप्त हुए। आइएफआइएन, आइएल एंड एफएस की ही गैर–बैंकिग वित्तीय सेवा इकाई है।

जांच अधिकारियों के अनुसार शिवा समूह के चेयरमैन सी शिवशंकरण और कंपनी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ई–मेल पर हुई बातचीत से पता चलता है कि समूह का कर्ज चुकाने में देरी होने के बावजूद उससे कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज जारी करते रहे और इसके बदले में अधिकारियों को कई तरह के लाभ मिलते रहे। एसएफआइओ ने जांच में पाया कि आइएफआइएन ने शिवा समूह की कंपनियों को कर्ज देने या उनके कर्ज पत्रों में निवेश के लिए 15 सौदे किए। इनमें से केवल चार मामलों में कर्ज का भुगतान किया गया।

ई–मेल संदेशों से पता चलाता है कि शिवशंकरण ने आइएल एंड एफएस समूह के कम से कम तीन अधिकारियों रवि पार्थसारथी, विभव कपूर और हरिशंकरन के लिए सैर सपाटा और होटल में ठरहने सुविधाओं का प्रबंध किया। इसमें विदेश यात्राएं, निजी जेट और हेलिकॉप्टर की यात्रा, रिसॉर्ट की बुकिंग और यहां तक कि बेल्जियम के ब्रुसेल्स में कुछ फ्लैटों की आंतरिक साज–सज्जा तक का प्रबंधन किया गया।

रिजर्व बैंक ने एनपीए की पहचान के लिए नए नियम जारी किए

पूरी खबर 8 पर

रविवारी

9 जून, 2019

एवरेस्ट का पहाड़ जैसा दुख

एवरेस्ट पर चढ़ कर झंडा गाड़ देना किसी भी पर्वतारोही के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। बर्फीले तूफान की वजह से कई बार पर्वतारोहियों की जान पर बन आती है। यहां पहुंचने से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं अभिषेक कुमार सिंह।

- **कहानी:** कमलेश भारतीय ● **ललित प्रसंग:** पंकज पराशर ● **शख्सियत:** एक जनूनी कलाकार की याद/चंद्र त्रिखा ● रामप्रसाद बिस्मिल ● **दाना–पानी:** मानस मनोहर ● **सेहत:** बालों का घरेलू उपचार।

बढ़ाएं घर की खूबसूरती

- अनुजा भट्ट
- **कहानी :** आशा शर्मा
- **कविता :** सूर्यकुमार पांडेय

आंध्र मंत्रिमंडल में होंगे पांच उप मुख्यमंत्री

अमरावती, 7 जून (भाषा)।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अपने 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पांच उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने का शुक्रवार को फैसला किया। नए मंत्रिपरिषद का गठन शनिवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार सुबह यहां अपने आवास में वाईएसआर कांग्रेस विधायक दल की बैठक की जिसमें उन्होंने पांच उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अपने फैसले की घोषणा की। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और कापू समुदायों से एक–एक उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा।

उन्होंने अपने विधायकों को यह भी बताया कि कैबिनेट में मुख्य रूप से कमजोर वर्गों के सदस्य होंगे जबकि अपेक्षा यह की जा रही थी कि रेड्डी समुदाय को मंत्रिमंडल में मुख्य स्थान मिलेगा। रेड्डी ने बताया कि ढाई साल बाद सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद फिर से मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। इससे पहले एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार में कापू और पिछड़ा समुदायों का एक–एक उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। जगन के इस फैसले को एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है जिसका मकसद इन समुदायों को साधे रखना है।

रेड्डी ने बताया कि ढाई साल बाद सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद फिर से मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। इससे पहले एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार में कापू और पिछड़ा समुदायों का एक–एक उप मुख्यमंत्री बनाया गया था।

दरअसल

भारत का शुरुआती निवेश 1,300 करोड़ रुपए | सुपरसोनिक सफलता | सरकार को अब तक 4,000 करोड़ रुपए का लाभ

ब्रह्मोस बना बड़ा ब्रांड, 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार

- भारत–रूस द्वारा साझा तौर पर विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस
- ब्रह्मोस संयुक्त उपक्रम को 1998 में गठित किया गया
- यह उपक्रम डीआरडीओ–रूस के एनपीओ मशीनोस्त्रोयेनिया की साझेदारी से बना

- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को तीनों सेना के उपयोग में लाया जा सकता है
- यह जमीन पर, लड़ाकू विमानों, जंगी पोतों व पनडुब्बियों में लगाई जा सकती है
- यह उपक्रम उस समय बनाया गया था, जब रूस बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा था

नई दिल्ली, 7 जून (भाषा)।

भारत और रूस ने दोनों देशों की सामरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए जब ब्रह्मोस को लेकर समझौता किया होगा तो सोचा भी नहीं होगा कि यह रक्षा उत्पादों की श्रेणी का एक बड़ा ब्रांड होगा। मात्र 1,300 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश से शुरू किए गए ब्रह्मोस संयुक्त उपक्रम का मूल्य आज की तारीख में 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।

ब्रह्मोस, दोनों देशों द्वारा साझा तौर पर विकसित की गई एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सुधीर मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि भारत और रूस को इस परियोजना की तरह ही अन्य क्षेत्रों में भी संयुक्त उपक्रम बनाने चाहिए।

मिश्रा ने कहा, 'इस साझेदारी ने 40,000 करोड़ रुपए मूल्य का कारोबार दिया है जबकि इसके लिए हमारा शुरुआती निवेश मात्र 1,300 करोड़ रुपए था। ऐसे में हमें लगता है कि हमने संपत्ति और व्यवस्था का निर्माण किया है। आज की तारीख में हम भारत सरकार को करीब 4,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में देते हैं।' उन्होंने कहा कि यह संयुक्त उपक्रम उस समय बनाया गया था जब रूस अपने बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा था। भारत ने उस अवसर का लाभ उठाया और ऐसे कई समझौते किए। मिश्रा यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) द्वारा आयोजित विनिर्माण नवोन्मेष सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

ब्रह्मोस संयुक्त उपक्रम को 1998 में गठित किया गया। यह हिंदुस्तान के रक्षा अनुंसधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और रूस के एनपीओ मशीनोस्त्रोयेनिया की साझेदारी से बना। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को तीनों सेना के उपयोग में लाया जा सकता है। यह जमीन पर, लड़ाकू विमानों, जंगी जहाजों और पनडुब्बियों में लगाई जा सकती है।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Sunil Kumar S/O-Jaswant Raj Barolia R/O-45/4,Ground-Floor,East Patel Nagar,New Delhi-110008,Have Changed My Minor Son's Name Suveer To Suveer Barolia For All,Future Purposes.
0040498537-1

I,Satish Kumar Mehta S/O-Balwant Singh Mehta R/O-H-105,First-Floor,Shivaji Park,West Punjabi Bagh,New Delhi-110026,Have Changed My Name To Satish Mehta For All,Future Purposes.
0040498537-3

I,Rina Chaurasiya W/o-Ashok Chaurasiya R/o.Arogya Dham, Maharishi Nagar, Salarpur, Gautam Buddha nagar(U.P), inform that name of mine has been wrongly written as Rina Chaurasiya in my LIC Policy. No-120735067. The actual name of mine is Rina Devi. Confirm that Rina Devi & Rina Chaurasiya both are same person. 0040498535-1

I,Neetu Bhatia W/o Jaspal Singh R/o-87,1st Floor,Ram-Nagar, Krishna Nagar, Delhi-110051 have changed my name to Navneet Kaur for all purposes. 0040498450-2

I,Manisha Kumari D/o Subhash Chand R/o-StreetNo-6, Old Add, RZ153-B, New Add-RZ-370 East Sagarpur Delhi-46, have changed my name to Manisha 0040498395-1

I, hitherto known as Umesh Kumar@Umesh Kumar Gaur S/o Sh.Om Shankar Gaur R/o-4590, Kucha-Bibi Gohar, Charkhewalan, Delhi-110006 have changedmy name and shall hereafter be known as Umesh Kumar Gaur.
0040498480-5

I, Yash Pal R/o 145, Sector-9, Pocket-1, Dwarka, New Delhi have changed name of my minor son from Shreyansh Chhabra S/o Yash Pal Chhabra to Shreyaansh Chhabra S/o Yash Pal for all purposes. 0040498394-1

I, Virinder Kumar Malik S/o Late Sh.Raj Krishan Malik R/o-B-1 Jangpura-B, New Delhi-110014 have changed my name to Virender Kumar Malik,for all future purposes.
0040498450-5

I, Vipul S/o Shyam Lal Aggarwal R/o G-3/12-13, Third Floor, Sector-11, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Vipul Aggarwal.
0040498461-8

I, Vidushi Sangwan D/o Mr. Sanjay Kumar R/o D-165, Sec-61, Noida, UP-201301. That Vidushi and Vidushi Sangwan is one and same person belongs to me. 0040498402-1

I, Vandana Jain W/o Parvesh Jain residing D-809, Second Floor Saraswati Vihar Pitampura Delhi, have changed my son's name from Shalok Jain to Shalokmc Jain for all purposes. 0040498396-1

I, Ubaid Ahmad S/o Shamsuddin R/o H. No.2822, Mohalla Niyariyan, Kamla Market, Ajmeri Gate, Delhi-110006 have changed my name to Mohammad Ubaid for all purposes. 0040498407-1

I, Anil Kumr Jain S/o Basheshar Nath Jain R/o-M-15/29,GF, DLF-City Phase-II, Gurgaon, Haryana-122010 have changed my name to Anil Kumar Jain. 0040498480-6

I, Sunil Kumar Gautam S/o Jagmohan Gautam R/O-A-15, Pink-Appartment, Near-White house, Paschim-Vihar, New Delhi-110063.have changed my name to Sunil Gautam, permanently. 0040498505-5

I, Soumya Suman Subudhi S/o Sh.Bijaya Kumar Subudhi R/o-109 Shree Awas (L-and-T) MIG-Ground-Floor Sector-18-B Dwarka, Amberhai New Delhi-110075.have changed the name of my minor daughter aged about 1-year and 7-month from Myrah Subudhi to Nirosha Subudhi,for all future purposes. 0040498450-4

I, Shubam Jain Bakliwal S/o Sh. Sanjay Bakliwal R/o A-761, Sushant Lok Phase 1, Galleria DLF-IV, Gurgaon, Haryana have changed my name Shubam Bakliwal to Shubam Jain Bakliwal for all future purposes 0040498406-1

I, Sabita D/o Late Sh.Bhagwan Singh & W/o Dharam Singh R/o Village-Mohammadpur Ahir(13), Mewat Haryana-122105, inform that in my father army records my mother name was wrongly-written as Bhagwani Devi,whereas her correct name is Bhagwati Devi.
0040498461-5

I Ranjana Kem,Daughter of Shri.Ram Kishan Kem,wife of Shri.Parvesh Kumar Resident of-447 Gali No.8 Durga Puri Extension Delhi. have changed my name from Ranjana Kem to Ranjana Kumari for all purposes in future. 0040498480-8

I, Naveen Kumar Mandolia S/O, Shyam Sunder R/o A-30 Vikas Vihar Dwarka Sector 15, New Delhi 110078, have changed my name to Naveen Kumar for all purposes.
0040498493-1

व्यक्तिगत

I, Ruby W/o Anukul Kumar R/o-N-187,Jal Vayu Vihar Sector-25, Noida-201301,have changed my name to Ruby Kumari for all future purposes. 0040498512-1

I, Rini Dhupar W/o Gaurav Dhupar R/o H-146, Karampura, New Delhi-110015, have changed my name to Rini Malia Dhupar. 0040498450-10

I, Ranu Kumari, W/o Sachin Tyagi, R/o Vpo-Makanpur, Indirapuram, Ghaziabad, U.P.201014, Changed My Name To Richa Tyagi. 0040498505-2

I, Rama Sharma D/o Ramnarayan Sharma R/o 1524, Kucha Seth, Dariba Kalan, Chandni Chowk, Delhi-06, informs that my name has been wrongly written as Munni Devi in my Birth Certificate. My actual name is Rama Sharma which will be amended accordingly.
0040498423-1

I, Rakesh S/O Maha Singh informs that I have changed the name of my son Tanishek To Tanishq Shokeen R/O B404 PNB Apartment, Plot no.11, Sec-4, Dwarka, New Delhi for all purposes. 0040498459-1

I, Rakesh Kumar S/o Sh. Chatter Singh R/o 19/10/2, West Moti Bagh Sarai Rohilla ,Delhi-110035, my name was mentioned in my some documents as Rakesh Kumar Sharma instead of Rakesh kumar, Rakesh Kumar and Rakesh Kumar Sharma both are same person.
0040498529-1

I, Pramod Jha S/o Sh. Chiranjeev Jha R/o 3rd F-312, First Floor, Sector-3, Vaishali, Ghaziabad, U.P.-201012 have changed my name from Pramod Jha to Pramod Kumar Jha for all purposes.
0040498483-1

I, Nitin Bharati S/O Sanjai Bharti R/O D-176, Gali No-7-C, Bhajanpura, Garhi-Mendu, Delhi-110053. Have Change My Name To Nitin Bharti.
0040498450-9

I, Neetu D/o Sh.Tilak Raj R/o.BE-28,Near RAM Garia Gurudwara Hari-Nagar New Delhi-110064. have changed my name to Neetu Kataria permanently. 0040498480-1

I, Neelam Baniwal W/o Sahdev Dahiya R/o 96 Akash Kunj Sector-9 Rohini, Delhi, have changed my name to Neelam Dahiya permanently.
0040498484-1

I, Namrata D/o Hukum Chand W/o Arun R/o Block-R-52-H, Dilshad Garden, Delhi-110095 have changed my name from Namrata Jatav to Namrata for all purposes 0040498404-1

I, Meenali Jain W/o Amit Kumar Singhal R/o-B-148, Oriental-Apartments, Sector-9, Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Minali Singhal for all purposes.
0040498461-6

I, Ranjeet Kaur w/o Avtar Singh resident BG-6/46-B Paschim Vihar, Delhi 110063, have changed my name to Ranjit Kaur. 0040498478-1

I, Mausina D/o Asfak Ahamed R/o-V-17/6, Gali No.15, VijayPark, Maujpur, Delhi-110053.have Changedmy Namefrom Mausina to Mausina Ahamed for all Purposes. 0040498461-9

I, Manish Kumar Vaid S/o Sh. Mahesh Vaid, R/o C-5/41-A, Keshav Puram New Delhi-110035, have changed my name to Manish Vaid for all purposes. Both are same person. 0040498416-1

I, Mahima W/o Akhshit Porwal R/O-C-502, Maurya-Apartments, I.P.Extension, Patparganj, Delhi-110092.Have Change My Name To Mahima Sagar Porwal, For All Future Purposes. 0040498461-10

I, Lalit Kumar Choudhary S/o Shri S.L. Choudhary R/o D-79, Princes Park Hostel, Copernicus Marg, New Delhi-110001, have changed my minor son's name from Vidhit to Vidit Choudhary for all future purposes. 0040498448-1

I, Lalit Kumar Choudhary S/o Shri S.L. Choudhary R/o D-79, Princes Park Hostel, Copernicus Marg, New Delhi-110001, have changed my minor daughter's name from Jiya to Jiya Choudhary for all future purposes. 0040498437-1

I, Krishana Devi D/o Late Sh.Bhagwan Singh & W/o Ram Kanwar R/o-H.No.248, Village-Mandpura, Sherpur, Gurgaon, Haryana, inform that in my father army records my mother name was wrongly-written as Bhagwani Devi, whereas her correct name is Bhagwati Devi. 0040498461-3

I, Krishan Kumar S/o Late Sh.Bhagwan Singh R/o-H.No.04, Village-Begumpur, Delhi-110086, inform that in my father army records my mother name was wrongly-written as Bhagwani Devi, whereas her correct-name is Bhagwati Devi. 0040498461-2

I Rahul Bajaj alias Rahul Kumar S/o Harpal Bajaj R/o-B-266, New Ashok-Nagar, Delhi-110096, have changed my name to Rahul Bajaj.
0040498461-7

I Baba Singh S/o Dalip Singh R/o WZ-88, old Sahib-pura, MBS-Nagar, New Delhi-110018 have changed my name to Bawa Singh for all purposes.
0040498450-1

I Subhash Jain S/O Makhan Lal Jain R/O B-94 Preet Vihar Delhi-92 Have Changed My Name To Subhash Chand Jain.
0040498480-7

I, Karan Singh S/o Sh.Lakhmi Chand, R/o-H.No.112/2, Ashok-Mohalla, Street No.-2, Bhootoon-Wali Gali, Nangloi, Delhi-110041, have changed my name to Karan Singh Dabas S/o Sh.Lakhmi Chand Dabas for all purposes.
0040498480-3

I, Kaptan Singh S/o Late.Sh.Bhagwan Singh R/o-H.No.04, Village-Begumpur, Delhi-110086, inform that in my father army records my mother name was wrongly-written as Bhagwani Devi, whereas her correct name is Bhagwati Devi. 0040498461-1

I, Kamal Kumar Kishnani S/o Mool Chand Kishnani R/o H.No.-429, First Floor, Sector-27, Gurgaon-122002 have changed my name from Kamal Kumar Kishnani to Kamal Kishnani for all future purpose. 0040498466-2

I, Kamal Garg S/o Jai Kishan Dass R/O-A-22, Naraina-Vihar, Kair, New Delhi-110028. have changed my name to Kamal Kishore permanently.
0040498505-6

I, K. Akila W/o Kartik R/O 677-A/S-126, Kanak Durga Colony, R.K.Puram, Sector-12, Delhi-110022 Have Changed my Name to Kartik Akila.
0040498505-1

I, Jugo Dadhara W/o Late Ghanakanta Saikia R/o Vill: Garehagi PO-Panibharal, Biswanath Chariali, Assam-784176, have changed my name to Joga Moja Saikia.
0040498504-1

I, Jaskirat Singh S/o Sh. Rajinder Pal Singh Nandhra, R/o 3, Maulana Azad Society, Lotus Enclave, Parwana Road, Pitampura, New Delhi-110034, have changed my name to Jaskirat Singh Nandhra for all purposes. Both are same person. 0040498460-1

I, Jai Pal Singh S/o Late Sh.Ambey Prashad R/o-SD-501, Pitampura, Delhi-110034. informs that name of my wife has been wrongly-written as Bimla in my Service-Record.The actual name of my wife is Vimla,which may be amended accordingly.
0040498480-4

I, Km.Bena Mishra W/O Abhay Narayan Mishra, R/O-Wz-106, Street No-3a, Sadh-Nagar, Palam Colony, Delhi-110045, Changed My Name To Bina Mishra. 0040498505-7

I, Jagmohan Singh S/o Inder Singh R/o CA-112C DDA Flats Hari Nagar New Delhi-110064 have changed my name to Jagmohan Singh Sethi for all future purposes. 0040498466-1

I, Ishita Rawal W/o Nakul Gupta R/o of C-5, MDI Campus Mehrauli Road, Sukhrali, Gurgaon, Haryana, shall henceforth be known as Ishita Gupta vide affidavi no.42AA 089624 sworn before notary Suman dated 28/03/2019. 0040498409-1

I, Ghaz Nafar Elahi S/o Mahmood Alam, R/o-51-F, Block-H, Obaid-Apartments, Abul Fazal-Enclave, New Delhi have changed my name to Ghaznafar Elahi. 0040498450-6

I, Ekta Singh D/o Shri Ram Manohar Singh R/o Flat No. 735, Om Apartment, Sector-14, Dwarka, New Delhi-110075, have changed my name to Krishna Gautam.
0040498398-1

I, Dharam Pal S/o Late Sh.Bhagwan Singh R/o-H.No.04, Village-Begumpur, Delhi-110086,inform that in my father army records my mother name was wrongly written as Bhagwani Devi,whereas her correct name is Bhagwati Devi.
0040498461-4

I, Deepak Kumar Bhatnagar S/O Vidhacharan Bhatnagar R/O-Medi Care-Center, Opp-Hospital Idgah Road, Bulandshahr, U.P.203001, Changed My Name To Deepak Bhatnagar.
0040498505-3

I, Deepak Bhatnagar, R/o. Bhatnagar-Medi Care-Center, Opp-Hospital Idgah-Road, Bulandshahr, U.P.203001, Changed My Minor Daughter Name Ishana To Ishaana Bhatnagar.
0040498505-4

I, Alok Kumar, S/o Shri Deep Chandra, R/o-FF-2, Plot No.22, Sector-5, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010.have changed my name to Alok Mishra for all future purposes. It is stated that Alok Kumar & Alok Mishra is the same person.
0040498480-2

I, A Ramkumar S/O Palanisamy Arivazhagan R/O-D-103, Kaveri-Appartments, Plot No-4, Dwarka, Sector-6-Delhi-110075. Has Changed My Name To Ramkumar Arivazhagan. 0040498450-7

I, A Hemachander S/O Palanisamy Arivazhagan R/O-D-103, Kaveri-Appartments, Plot No-4, Dwarka, Sector-6 Delhi-110075, Has Changed My Name To Hemachander Arivazhagan. 0040498450-8

I, Ratan Prakash S/o Sh.Nathuram R/O-B-268 A.V.Nagar near-Avsal-Plaza Andrewsganj South, Delhi-110049 have changed my name to Rattan Prakash for all purposes.My actual name is Rattan Prakash.
0040498450-3

I, Vinod Kumar S/o Hans Raj R/o BL-20, L-Block, Hari Nagar, Delhi-110058, have changed my name to Vinod Gandhi
0040498431-1

खोया+पाया

I,PrithviRaj Chavan S/o-D R Chavan, Flat.No.B-601,Kaveri Apartments,Alaknanda,New Delhi,have lost my Property Document Relinquishment deed of Flat.No.B-601,Kaveri Apartment,Alaknanda,Kalkaji, New Delhi.Finder contact.
0040498537-2

Lost Marksheet of Diploma in MLT Semester-IV Roll No.258016, Year-2007 Manisha D/o Balram R/o-D-171 Ganesh Nagar Pandav Nagar Complex Delhi-110092. 0040498505-8

I Paramjeet Singh S/O. Charanjeet Singh R/O.20B/15, Tilak-Nagar,New Delhi-110018. have lost my CBSE-10th & 12th-certificate & marksheet Roll no.6115417,(1995) & 6216612,(1997). 0040498505-9

I, Jyotica Gupta W/o Mr. Nitin Gupta R/o 1769, Sector-B, Pocket 1, Vasant Kunj, New Delhi-70, have lost my allotment letter, Buyers Agreement & Payment Receipts of Property no T-19/1203, Unitech Horizon, Greater Noida. Finder may contact- 9711033475.
0040498432-1

I, Abhishek kumar yadav s/o Vasudev yadav R/o-E-246 Bharat-vihar kakrola N.D-78. Have lost my original-certificate class-10 year-2014 Rollno-8733157 c.b.s.e. Delhi
0040498505-10

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate and mark statement of Main Secondary Examination of Year 2010 Roll No. 6172727 and Senior Secondary Examination of Year 2012 Roll No. 9164505 Issued by CBSE has been actually lost. Anshul Kumar S/o, Vijay Bahadur Address .A-104,1st Floor Sharma Market Pul Pehlladpur New Delhi-110044 # 9555126820

रिक्त स्थान

Urgent Requirement Of Accountant/ Junior Accountant, Fresher Can Apply. BA/4A Janak Puri Nd:58. 9811555561, 9891987974
0050149695-1

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients, Shri Nirmal Singh Channa S/o Late Sh. Surjeet Singh and his wife Smt. Kamaljeet Kaur, both residents of Plot No.418, Sector-5, Flat No. FF-3, Vaishali, Ghaziabad-201010, have severed all their relations with their son Sh. Gurpeet Singh Channa and have disowned and disinherited him from all their movable and immovable properties since he is neither obedient nor under the control of my said clients and henceforth, my clients shall not be responsible for any social, financial and/or otherwise acts, activities, conduct, omission or commission whatsoever of their said son.

Sd/-
(R. S. CHAGGAR) ADVOCATE
68,W. WING,
TIS HAZARI COURTS,
DELHI-110054
PH. 9891782970

NOTICE

Notice is hereby given that certificate(s) No(s) 2179, Folio No-0023698, Distinctive No. 1239801-1239850 for 50 Equity Shares Rs. 10/- each Nos in WPIL Limited Registered office "Trinity Plaza", 3rd Floor, 84/1A, Topsia Road (South), Kolkata - 700046, India standing in the name(s) of Raj Kumar has/have been lost and that an application for the issue of duplicate certificate(s) in respect thereof has been made to the Company to whom any objection should be made within 15 Days from the date of this announcement. The public are cautioned against dealing in any way with these shares.

Date: 5th June, 2019
Place: New Delhi

PUBLIC NOTICE

Sale and Mortgage of Freehold Residential builtup Property being Entire Ground Floor of Property No. N/16-A, area measuring 100 Sq.Yds.,Situated at Jangpura Extension, New Delhi–14 (Herein after referred as the " said property").

Notice is hereby given to the General Public that Mr.Shesh Dhar Dubey and Mrs. Sanju Dubey intends to purchase the above said property acquired by Mr. Harvinder Singh Rana from his father namely Mr. S.Gian Singh-A Gift Deed-duly registered with Sub-Registrar of Assurances,as No.1643,in Book No.I, Volume No. 3248,on Pages 1-12, registered on dated 04.03.2003 (SR-V) for the said -That all the previous chain documents of the entire property in favour of Mr. S.Gian Singh are not available with seller, Mr.Harvinder Singh Rana as reportedly not handed over by his father to him during his life time. That Mr.Shesh Dhar Dubey and Mrs. Sanju Dubey are availing the loan to purchase the said property from my client PNB Housing Finance Ltd. and the said property would be the security to the loan availed by them. If any person including banks, financial institutions or any other person, relative, organization, company, firm or government authority having any claim,title or any interest of any nature whatsoever into or upon the above referred property,is hereby called upon to make the same known,in writing with documentary evidence by registered AD Post to the undersigned at the address mentioned herein below within 7 (Seven) days of publication of this notice to the undersigned on phone No:01145606363 & 9899006723 failing which the same shall be deemed to have been waived and/or abandoned. In the event of no response being received to this notice, the purchase of this property shall be completed by our client without any reference to and without in any manner being affected by any such right title, interest or claim whatsoever.

MANISHA CHAUDHARY - ADVOCATE
JUS LEGALIS,
210, VARDHMAN STAR CITY MALL
(NEAR RAMPHAL CHOWK),SECT-7
DWARKA, NEW DELHI-110075
011-45606363,9899006723

PUBLIC NOTICE

"It is hereby informed to the public at large that my client Smt. Ketki Devi W/O Late Panna Lal R/O H.NO. C-7-A, Sawan Park, Ashok Vihar Ph-III, Delhi has dis-owned his son Digamber @ Bhura his wife Rekha and their Children Ms. Rajni, Ms. Bharti, Ms. Yogita and Anuj from all her movable and immovable properties. So any person dealing with them shall be doing so at his own risk and my Clients shall not be responsible for any of their acts, things and deeds".

Sd/-
Rajeev Kumar
(Advocate)
B-1715, Shastri Nagar, Delhi-52

Public Notice

It is informed that my client Kishore KumarSharma S/o Sh. Ganpat Ram Sharma R/o-B-806 Pragati Sheel Appt. Bairwa CGHS Plot No-5C, Sector-11, Dwarka New Delhi her/his Disowned & debarred her my Son Gagan Sharma & His wife Smt. Mamta Sharma From her entire movable/immovable properties My client shall not be responsible in any way for his acts or claim as he broken all links whatsoever himforever
Sd/- M.K. Sharma (Advocate)
Reg.No. 563/2004, D.C.Office, Kapashera, New Delhi

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Shrichand s/o Late Sh. Kanhaiya Lal & Smt. Promila w/o Sh. Shrichand r/o House No. 24 Bhim Gali Bhagwan Nagar, Ashram, New Delhi-110014, have disowned & severed all their relation with their son Gagan Kumar and his wife Tanya Gautam from their movable & immovable properties/ assets. Any person dealing with them shall be doing his/ her/ their own risk, cost & responsibility. My client shall not be responsible for any act/deed.

Sd/-
Suraj Kumar
Advocate
Chamber No. 462, Block-I,
Delhi High Court,
Shershah Road, New Delhi

PUBLIC NOTICE

The general public is hereby informed that my client **(1) MR. SANJAY PRASAD** SON OF MR. BADRI PRASAD AND **(2) MRS. ANITA** WIFE OF SANJAY PRASAD BOTH RESIDENT OF H.NO. 31, KHASRA NO.161/1, SAMTA VIHAR, MUKUNMDPUR EXTN., DELHI-110042, declares that his **son MR. TARUN, daughter in- law MRS. JULIE, and grand daughter MS. DOLLY and grand son MR. SHIVAM** are not cooperating well and showing selfish attitude towards my client therefore my client hereby sever all their relations with his son and his family members. He and his family members is therefore debarred and disentitled to claim any right for concern in any of their movable and immovable properties of my clients. Any person dealing with them will do so at his/her/their own risks and costs and my clients shall not be responsible for the same.

Sd/-
Dhiraj Kumar Basra
(Advocate)
Enrl. No. D-1799/2011

PUBLIC NOTICE

Be known to all, Sh. Om Prakash S/o Late Sh. Shiv Charan R/o B-21, Azad Colony, Budh Vihar Phase-2, Delhi-110086, has disowned/debarred his son Sh. Amit Chauhan from all his movable and immovable properties and has debarred him from all the rights in the family and he shall not be responsible for any acts or deeds to be done by Sh. Amit Chauhan in future.

Sd/-
RAVEESH KUMAR (Advocate)
492/1, Mundka, Delhi-41

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concern that my client Smt. Rajwati, W/o Late Lal Chand, R/o NDMC Quarter No. 77, Prithvi Raj Lane, Double Storey Building, Khan Market, New Delhi -110003, hereby disowned her two sons and their respective wives, namely, Sh. Mohan Prasad and his wife Smt. Neera, and Sh. Jai Prakash and his wife Smt. Kiran, and their present and to-be children, from all her moveable and immoveable properties, for their misconduct, abuse of relationship and threat to my client's life.

My client shall have no concern with any liabilities or any transactions that belongs to them in any manner, either at present or in the future, general public take note.

Sd/-
(ROHIT SAROJ)
(ADVOCATE)
Chamber 563, Saket District Court,
New Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients Sh. Jagbir Singh S/O Late Sh. Badan Singh and Smt. Kiran W/O Sh. Jagbir Singh both R/O F-2/318, Mangol Puri, Delhi 110083, have severed all their relations from their son Sh. Rahul and daughter in law Smt. Sonia. Now from today onwards, my clients have no family relations with them for all indents and purposes. My clients debars/disowns their above named son and daughter in law from their all moveable and immovable properties with immediate effects. Neither my clients nor their other legal heirs shall have any concern or link with their above named son and daughter in law, as their acts are prejudicial, harmful and adverse to the rights and interest of my clients. Anybody dealing with them shall be doing so entirely at his/her own risk and consequences and my clients shall not be bound for any kinds of their acts, deeds, dealings and mischief past, present or future, social as well as business etc.

Sd/-
KUMAR GAURAV (Advocate)
Ch. No. 803 , Rohini Courts, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Jogender @ Jogender Singh S/o Sh. Mehar Ram and Smt. Sunita Devi W/o Sh. Jogender @ Jogender Singh both R/o 10/1, Bajarang Enclave, Nangloi Road, Najafgarh, New Delhi-110043 have disowned and debarred their son Arun Kumar Joon, his wife Indu Rani and their children from their all moveable and immoveable properties due to their disrespectful behaviour, disobedience and are out of control of my clients. My clients have also severed all their relations with them. If anybody deals with them in any manner, he/she shall do so at his/her own risks, costs and consequences. My clients shall not be liable or responsible for the same in any manner.

Sd/-
Mohan Kumar
(Advocate)
Ch. No.360, Civil Wing,
Tis Hazari Courts,
Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

"Public in general, is hereby informed that my client Kapoor Chand aged about 62 years S/o. Late Sh. Shanker Lal R/o. Plot No. I-109, Ground Floor, Phase-2, Vijay Vihar, Rohini, Rithala, North West, Delhi-110085 has severed all his relations and connection with his son Lekhraj aged about 30 years and his wife Ms. Rinki Devi aged about 26 years and his grand daughter namely Janvi aged about 5 years R/o Plot No. I-109, First Floor, Phase-2, Vijay Vihar, Rohini, Rithala, North West, Delhi-110085 debarred them from all his moveable and immoveable properties as they has proved to be most Disrespectful, Disobedient and Harmful towards my client, My client and his .family members shall not be Responsible for any legal or illegal activities of his son, his daughter-in-law and grand daughter. In future anybody deals with the son, daughter-in-law and grand daughter of my client in any manner whatsoever, my aforesaid client shall not be liable for any consequences of the said dealings. Any dealings with the son, daughter-in-law and grand daughter of my aforesaid client, shall be done at the risk and cost of persons who would deal with them.

Sd/-
Pal Vinder Singh
(Advocate)
Ch. No. 1118, Rohini Courts,
Delhi-85

PUBLIC NOTICE

The general public is hereby informed that my clients Sh. Virender Kumar S/o Ranbir Singh & Smt. Anita W/o Sh. Virender Kumar Both R/o H. No. 6, Saini Mohalla, Bijwasan, New Delhi-110061, have severed all relations with their Son Mr. Rahul Thakran R/o H. No. 6, Saini Mohalla, Bijwasan, New Delhi-110061 and have disowned/disinherited Rahul Thakran from all their movable and immovable properties with immediate effect. Anyone dealing with him shall be doing so at his/her own risk and consequences. The general public is further notified that my clients shall not be responsible for any acts, deeds, well being/future life of Rahul Thakran in any manner.

KANWAR UDAI BHAN
SINGH SEHRAWAT (ADVOCATE)
Chamber No. 505, Patiala House Courts,
New Delhi-110001, Phone: 9810875091

PUBLIC NOTICE

Be it known to the public at large that my client Mrs SHANTI DEVI W/o SHRI RATTAN LAL AGE 53, R/o House No. A-75/1, KH. No. 805, Flat No.T-1, 3rd Floor, A-North Blk, West Vinod Nagar near main road Delhi-92 has debarred disowned disinherited her both sons namely 1. Azad S/o Rattan Lal 2. Arun Lal S/o Rattan Lal from her movable & immovable assets and severed all relations with them in the event of any domestic/matrimonial disputes/ liabilities my client shall not be responsible for both of them and if anyone deals with any one of them shall do so entirely at his/her own risks, costs, consequences & responsibilities.
Neeraj Jaggarwal, Advocate
Ch. K-134, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

My client Maha Devi W/o Mani Kant Mishra is the owner of Built up property bearing Plot No. 16 & 17, measuring 82.3 Sq. Yds., comprised in Khasra No. 31/25/2, Village: Hastsal in Abadi known as Vikas Nagar Extn., Uttam Nagar, New Delhi. My client has lost/misplaced the below mentioned documents.

1. Original second paper of GPA duly registered executed by J.P. Verma S/o Late Vijay Singh in favour of Shiv Chander Jha and Prabhu Kant Jha.
2. Original Will executed by J.P. Verma S/o Late Vijay Singh in favour of Shiv Chander Jha and Prabhu Kant Jha.
3. Photocopy of Second Paper of GPA executed by Kishan Kumar in favour of Kamani Devi.
4. Photocopy of Second Paper of Agreement to Sell executed by and between Kishan Kumar in favour of Kamani Devi.
5. Photocopy of Second Paper of Agreement to Sell dated 10/04/1995 executed by and between Vinod Kumar and Kishan Kumar.
6. Photocopy of Second Paper of GPA executed by and between Vinod Kumar and Kishan Kumar in respect of abovenoted property, area measuring 183.

The General Public is hereby requested that kindly inform in case the aforesaid documents are found and return the same on the abovementioned address.

Sd/-
SAMUEL MATHEW
(ADVOCATE)
Ch. No. 644, W. Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my clients Shri Mahabir Prashad Gupta S/o Late Sh. Sundu Ram and Smt. Bimla Devi W/o Sh. Mahabir Prashad Gupta both R/o House No.13, UGF, New Loyal Pur Colony, Krishna Nagar, Delhi-110051 disown their son Sh. Nawal Kishore Gupta and his wife Smt. Shweta Gupta (presently residing at B-5 Radhey Puri, Delhi-110051) and their children from all movable and immovable properties owned by my clients in all the manners and from their all the acts, which have been done by their son and his family in all the manners. My clients have no concern with their son and his family and in case anybody deals with their above-said son and his family in any manner, he or she shall be responsisble for the same and the said acts shall have no legal and binding force upon my aforesaid clients.

Sandeep Garg (Advocate)
101/32-B, Shree Ganesh Complex,
Veer Savarkar Block, Vikas Marg,
Shakkarpur, Delhi-92

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client Smt. Kamaljit Kaur aged 48 years, W/o Late Sh. Davinder Singh R/o 6/2, Tilak Nagar, New Delhi-110018 debars her son Mr. Hardeep Singh s/o Late Sh. Davinder Singh aged 27 years at present R/o 343/1, Gali No. 1, Than Singh Nagar, Anand Parbat, New Delhi-110005 and his wife Ms. Ramanjeet Kaur from getting any right in the property, assets, moveable or immovable and business whether belongs to my client or her late husband as there is some dispute between her son and his wife and due to that the business and peace of the family has been disturbed. That any person dealing with them shall be responsible himself/herself for the same at their own risk, cost and consequences.

Dr. Vimal Verma, Advocate
Ch. No. 183A, Patiala House Court, New Delhi

राजीव कोचर का विदेश जाने का रास्ता साफ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को बैंक धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) वापस लेने का निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने अनिवासी भारतीय राजीव को सिंगापुर लौटने की अनुमति दे दी, जहां वे फिलहाल रहते हैं। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष सरकारी अभियोजक नीतेश राणा की दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने आरोपी पर अनेक शर्तें लगाईं। राजीव अपना नया यात्रा कार्यक्रम जमा करने और सिंगापुर में अपना पता, संपर्क करने के नंबर और ईमेल देने के बाद ही देश छोड़ सकते हैं। उन्हें भारत में अपने पासपोर्ट और बैंक खातों की प्रतियां भी जमा करने और सिंगापुर के बाहर अपनी यात्राओं की पूरी जानकारी ईडी को देने को कहा गया।

मामला आइसीआइसीआइ बैंक की ओर से 2009 और 2011 के बीच विडियोकॉन समूह को 1,875 करोड़ रुपए के ऋण देने में कथित अनियमितता बरतने और भ्रष्ट आचरण से जुड़ा है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि आइसीआइसीआइ बैंक की प्रमुख होने के नाते चंदा कोचर ने अपने पति की ओर से संचालित नूपॉवर रिनेवेबल्स लिमिटेड को अवैध रूप से करोड़ों रुपए मुहैया कराए।

ईडी ने चंदा कोचर, दीपक कोचर, वेणुगोपाल धूत और अन्य के खिलाफ आइसीआइसीआइ की ओर से वीडियोकॉन समूह को 1,875 करोड़ रुपए की कर्ज की मंजूरी देने के मामले में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच के लिए पीएमएलए एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। मामला सामने आने के बाद चंदा कोचर ने आइसीआइसीआइ बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक का पद छोड़ दिया था। बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में सभी आरोपियों– चंदा, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के एमडी वेणुगोपाल धूत के खिलाफ फरवरी में ही लुकआउट नोटिस जारी किया था। इसमें राजीव कोचर का भी नाम था। बैंक से जुड़े अधिकारियों के मुताबकि लुकआउट नोटिस इसलिए जारी किया गया, ताकि आरोपी देश छोड़कर बाहर न भाग सकें।

PUBLIC NOTICE

My clients Sohan Lal S/o Sh. Sumeri Lal and Jai Devi W/o Sh. Sohan Lal both R/o D-53, Jasola Extension, Near Usmania Masjid, New Delhi, have severed their all relation and disowned / debarred their younger son Vikas S/o Sh. Sohan Lal from their all moveable - immovable properties and assets. My clients shall not be responsible for his any acts and deeds done by him.

Ayyub Ahmad (Advocate)
Ch. No. 457, Saket Court, New Delhi-17

वर्गीकृत

For Sale

सेल 3500 स्क्वायर फीट कारपेट, फुल फ्लोर, बड़ाबाजार, गणेश टॉकीज, 9820413760.
50149663

चंदा कोचर को 10 जून को ईडी ने पेश होने को कहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जून।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को 1,875 करोड़ रुपए के विडियोकॉन कर्ज मामले में आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर को 10 जून को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है।

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING

EXPRESS EDUCATION

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी पर केजरीवाल का जवाब

हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मरीज क्यों आ रहे दिल्ली?

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ दिन पहले कई मुख्यमंत्रियों को लिखी थी चिट्ठी

केजरीवाल का दावा, आयुष्मान भारत से 10 गुना बड़ी है दिल्ली की स्वास्थ्य योजना

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखे एक जवाबी पत्र में कहा कि यदि दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू किया गया तो राज्य के लाखों लोगों का नुकसान हो जाएगा। केजरीवाल ने दलील दी कि केंद्र सरकार की इस योजना से दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना 10 गुना ज्यादा बड़ी और व्यापक है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन द्वारा दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए 3 जून को लिखी गई चिट्ठी के जवाब में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में दिल्ली के उतने लोगों को फायदा नहीं मिल पाएगा जितने लोगों को दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना से होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पहले दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बयान दिया था कि दिल्ली सरकार शहर में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करेगी, क्योंकि वह यहां के सभी निवासियों को इलाज की एकसमान सुविधा मुहैया कराना चाहती है। जैन ने यह भी कहा था कि यदि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इतनी ही अच्छी है तो हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए मजबूरन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में क्यों आना पड़ रहा है। हर्षवर्धन ने दिल्ली, ओड़िशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे अपने राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की अपील की थी। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मकसद हर परिवार को सालाना पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज मुहैया कराना है। इससे 10.74 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को फायदा मिलने का दावा किया जा रहा है। केजरीवाल ने पत्र में कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आयुष्मान भारत को दिल्ली में बहुत पहले ही लागू किया जा चुका है। पत्र में केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत लागू होने के बावजूद इन दोनों राज्यों से लाखों मरीज इलाज के लिए हर रोज दिल्ली आते हैं। लेकिन शायद ही दिल्ली का कोई व्यक्ति इलाज के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश जाता है, जिससे संकेत मिलते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य योजना अच्छी तरह काम कर रही है।

'परिणामोन्मुख बजट को लागू करना सबसे बड़ी उपलब्धि'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि शासन के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आउटकम (परिणामोन्मुख) बजट को सफलतापूर्वक लागू करना है।

सिसोदिया ने कहा कि सत्तारूढ़ 'आप' के आदर्श विचार के तौर पर 2017-18 में शुरू किए गए आउटकम बजट ने दिल्ली में जनता तक सेवाओं और सामग्री की आपूर्ति में सुधार के मार्ग में मौजूद अवरोधकों को दूर करने में मदद की है। उन्होंने बताया कि आउटकम बजट के जरिए करीब 2,000 परिणामोन्मुख संकेतकों के माध्यम से दिल्ली सरकार की 567 योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रदर्शन को जांचा-परखा गया।

उमाशंकर कुकरेती सेवानिवृत्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

इंडियन एक्सप्रेस कर्मी उमाशंकर कुकरेती सेवानिवृत्त हो गए। वे 1985 में संस्थान से जुड़े थे। कुकरेती सीनियर आर्टिस्ट के पद पर थे। शुक्रवार को सहकर्मियों ने उन्हें विदाई दी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

मानहानि मामले में तीन 'आप' नेताओं को जमानत, केजरीवाल को पेश होने के निर्देश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

दिल्ली की एक अदालत ने मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे जाने संबंधी टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से दायर मानहानि मामले में बीते लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी (आप) की उम्मीदवार रहीं आतिशी और दो अन्य 'आप' के नेताओं (सांसद व विधायक) को जमानत दे दी। शुक्रवार को 'आप' से राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार गुप्ता और विधायक मनोज कुमार को भी 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। इससे पहले ये तीनों अदालत के समक्ष पेश हुए। हालांकि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अदालत के सामने पेश नहीं हुए। अदालत ने उन्हें 16 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है।

भारतीय स्टेट बैंक
तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, स्टेट बैंक हाउस, 18/4, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 फोन : 011-28752163, फैक्स : 28755674 ई-मेल : sbi51521@sbi.co.in

शुद्धि पत्र

यह ई-नीलामी नोटिस दिनांक 09.05.2019 के प्रकाशन के संदर्भ में फाइनेंसिय एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) के संदर्भ में है।

उधारकर्ता का नाम आइटम नंबर 19 और 20 पर मेसर्स सी एयर कंडीशनर प्राइवेट लिमिटेड के बजाय मैसर्स सी एयर कंसॉलिडेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में पढ़ा जाए।

दिनांक: 07.06.2019
स्थान: दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
भारतीय स्टेट बैंक

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA.)

MEERA **MEERA INDUSTRIES LIMITED**

CIN: L29298GJ2006PLC048627

Our Company was originally incorporated as "Meera Industries Private Limited" on July 05, 2006 with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Havelli as a private limited company under the provisions of the Companies Act, 1956 bearing registration no. 048627. The status of the Company was changed to public limited and the name of our Company was changed to "Meera Industries Limited" vide Special Resolution dated February 25, 2017. The fresh certificate of incorporation consequent to conversion to Public Limited Company was issued on March 09, 2017 by the Registrar of Companies, Ahmedabad. For further details, pertaining to the change in constitution, change in name and Registered Office of our Company, please see "History and Certain Corporate Matters" on page no. 108 of the Prospectus.

Registered Office: 2126, Road No. 2, GIDC, Sachin, Surat, Gujarat – 394230
Contact Person: Ms. Bhavisha K. Khakhkhar, Company Secretary and Compliance Officer
Tel No.: + 91 261 2399114; **Fax:** +91 261 2397269; **Email:** info@meeraind.com; **Website:** www.meeraind.com

FURTHER PUBLIC ISSUE OF 5,22,000 EQUITY SHARES OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF MEERA INDUSTRIES LIMITED ("MIL" OR THE "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 225 PER SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 215 PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 1,174.50 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 30,000 EQUITY SHARES OF ₹ 10 EACH WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 4,92,000 EQUITY SHARES OF ₹ 10/- EACH IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 11.73% AND 11.06%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹ 10 AND THE ISSUE PRICE IS 22.50 TIMES OF THE FACE VALUE
THIS ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF REGULATION 281 READ WITH REGULATION 103(1) THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED FROM TIME TO TIME.
For further details, please see "Issue Related Information" beginning on page no. 240 of the Prospectus.
MINIMUM APPLICATION SIZE OF 500 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 500 EQUITY SHARES THEREAFTER.

ISSUE	OPENS ON JUNE 13, 2019
	CLOSES ON JUNE 18, 2019

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.	Mandatory in Public Issues from January 01, 2016 No cheque will be accepted.

UPI Now available in ASBA for Retail Individual Investors

The Issue is being made through the Fixed Price process wherein 50% of Net Issue of the Equity Share offered are reserved for allocation to Applicants below or equal to ₹ 2.00 lakhs and the balance for higher amount Applicants. The Issue comprises a Net Issue to Public of 4,92,000 Equity Shares of ₹ 10 each ("the Net Issue") and a reservation of 30,000 Equity Shares of ₹ 10 each for subscription by the designated Market Maker ("the Market Maker Reservation Portion"). The Issue and the Net Issue will constitute 11.73% and 11.06%, respectively of the Post Issue Paid-up Equity Share Capital of the Company. Allocation to all categories shall be made on a proportionate basis subject to valid Application received at or above the Issue Price. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and Designated Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All Investors shall participate in this Issue only through the ASBA process. For details in this regard, specific attention is invited to "Issue Procedure" on page no. 247 of the Prospectus. Applicants should ensure that DP ID, PAN and the Client ID are correctly filled in the Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Application Form should match with the DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Application Form is liable to be rejected. Applicant should ensure that the beneficiary account provided in the Application Form is active. Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Application Form, the Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for any correspondence(s) related to the Issue. Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk.

PROMOTERS OF THE COMPANY : MR. DHARMESH V. DESAI AND MRS. BIJAL D. DESAI

LISTING: The Equity Shares of our Company are already listed on SME Platform of BSE Limited. The Equity Shares issued through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Ltd ("BSE"). Our Company has received an In-principle approval letter dated June 03, 2019 from BSE for using its name in the Offer Document and for listing of our shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the BSE Ltd.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Regulation 281 read with Regulation 103(1) of the SEBI (ICDR) Regulations 2018, the Draft Offer Document was not filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not Offer any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page no. 230 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has cleared, solicited or approved by BSE nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus on page no. 233 for the full text of the Disclaimer Clause of BSE.

GENERAL RISK: Investment in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page no. 17 of the Prospectus.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Main Objects of the Company as per MoA: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page no. 108 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page no. 359 of the Prospectus.

Liability of Members as per MoA: The Liability of the members of the Company is Limited.

Capital Structure: Authorised Capital ₹ 5,00,00,000 consisting of 50,00,000 Equity Shares of ₹10 each. Pre Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 3,92,75,000 consisting of 39,27,500 Equity Shares of ₹ 10 each. Post Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 4,44,95,000 consisting of 44,49,500 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled "Capital Structure" beginning on page no. 48 of the Prospectus.

Names of the signatories to the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: (1) Mr. Dharmesh V. Desai: 1,000 equity shares of ₹ 10 each and (2) Mrs. Bijal D. Desai: 9,000 equity shares of ₹ 10 each. For details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page no. 108 of the Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page no. 48 of the Prospectus.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LTD **ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED** 60, Khatau Building, Ground Floor Alkesh Dinesh Modi Marg, Fort, Mumbai – 400 001 **Tel No.:** +91 22 6216 6999 **Fax No.:** +91 22 2263 0434 **Email:** ipo@afsl.co.in **Website:** www.afsl.co.in **Investor Grievance Email:** feedback@afsl.co.in **Contact Person:** Mr. Pranav Nagar / Mrs. Jyothi Shetty **SEBI Registration No.:** INM000011344	KARVY FINTECH **KARVY FINTECH PRIVATE LIMITED**[(1)] Karvy Selenium, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana **Tel No.:** +91 40 6716 2222 **Fax No.:** +91 40 2343 1551 **E-mail:** einward.ris@karvy.com **Investor Grievance E-mail:** meeraindustries.fpo@karvy.com **Website:** https://karisma.karvy.com **Contact Person:** Mr. M. Murali Krishna **SEBI Registration No.:** INR000000221	**Ms. Bhavisha K. Khakhkhar** 2126, Road No. 2, GIDC, Sachin, Surat, Gujarat – 394230 **Tel:** + 91 261 2399114 **Fax:** +91 261 2397269 **Email:** info@meeraind.com **Website:** www.meeraind.com Applicants can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any Pre-Issue or Post- Issue related problems, such as non-receipt of Allotment Advice or credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or unblocking of funds, etc.

[(1)] Karvy Fintech Private Limited has become a SEBI registered registrar to an issue under the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 pursuant to amalgamation with Karvy Computershare Private Limited with effect from November 17, 2018.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus is available on the websites of the Company, the Lead Manager, the SEBI and the Stock Exchange at www.meeraind.com, www.afsl.co.in, www.sebi.gov.in and www.bseindia.com respectively.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company and Office of the Lead Manager, Aryaman Financial Services Limited. Application Forms can also be obtained from the Stock Exchange and list of SCSBs available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed of by all investors. Further as per SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018, all Retail Individual Investors can also apply through Unified Payments Interface ("UPI"). The investor is required to fill the Application form and submit the same to the relevant SCSB or the Registered Brokers at Broker Center or the RTA or the CDP. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in Application form and undertake other tasks as per the specified procedure. On Allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for Allotment of Equity Shares. Hence, there will be no need for refunds. For more details on the ASBA process, please refer to the section, "Issue Procedure" beginning on page no. 247 of the Prospectus.

BANKER TO THE ISSUE & SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated June 04, 2019.

For **Meera Industries Limited**
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Chairman & Managing Director

Place: Surat, Gujarat
Date: June 07, 2019

Meera Industries Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Ahmedabad. The Prospectus shall be available on the websites of the Company, the BSE and the LM at www.meeraind.com, www.bseindia.com and www.afsl.co.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including, the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 17 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be offered and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Applicants may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

पत्नी करती है सांसद के घर में काम

सांसद के कर्मचारी आवास में शख्स की गला रेत कर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

- कर्मचारी आवास में पत्नी के साथ रहता था व्यक्ति
- पुलिस का कहना है कि रुपए के लेन-देन का चल रहा था मामला

साउथ एवन्यू थाना क्षेत्र में एक सांसद के आवास में एक शख्स की गला रेत कर हत्या कर दी गई। शख्स सांसद के आवास परिसर में बने कर्मचारी आवास (सर्वेंट क्वार्टर) में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी सांसद के आवास में काम करती है। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने पाया कि व्यक्ति के शरीर पर चोट के निशान हैं और व्यक्ति ने बचने के लिए काफी जद्दोजहद भी की है। शख्स की पहचान सुरेश (52) साल के रूप में हुई है। वह चालक का काम करता था, लेकिन इन दिनों कुछ नहीं कर रहा था। जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और तीन लोगों से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। हत्या के पीछे पुलिस रुपए का लेन-देन मान कर चल रही है।

पुलिस के मुताबिक, सुरेश की पत्नी एक सांसद के घर में काम करती है। वह सांसद निवास परिसर में बने कर्मचारी आवास में ही रहती है। हालांकि, इनका एक मकान आजादपुर सब्जी मंडी के पास भी है। गुरुवार रात सूचना मिली कि एक शख्स की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। इससे आशंका जताई जा रही है कि सुरेश ने हमलावर के साथ मुकाबला किया होगा। वहीं, सुरेश की पत्नी ने पुलिस को बताया कि रात में खाना खाने के बाद वह अपने बेटे के साथ टहल रही थी, जबकि पति घर पर मौजूद था। जब वह वापस आई तो देखा कि पति घर पर मृत पड़ा है। सुरेश को लेकर भी इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। पुलिस जांच में पता चला कि वह छोटे स्तर पर सट्टेबाजी करता था। इस आधार पर आशंका जताई जा रही है कि सट्टा की रकम के लेन-देन के विवाद में उसकी हत्या की गई होगी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है।

धीरुभाई दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

न्यायमूर्ति धीरूभाई नारनभाई पटेल ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजनिवास में एक समारोह में न्यायमूर्ति पटेल को शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति पटेल झारखंड हाई कोर्ट में नियुक्त थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कैबिनेट के सहयोगी और अन्य कर्मचारी समारोह में मौजूद थे। दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के लिए 60 पद स्वीकृत हैं लेकिन उनमें से 24 पद रिक्त हैं।

जीवनदीप भवन में आग, 150 लोगों को बचाया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

संसद मार्ग थाना क्षेत्र में स्थित जीवनदीप भवन में शुक्रवार शाम अचाकन आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दिल्ली दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत कर भवन में मौजूद 150 लोगों को सकुशल बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि आग भवन में चौथी मंजिल पर पुराने रेकॉर्ड में लगी थी। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए 25 मिनट में आग पर पूरी तरह काबू पाया।

पुलिस के मुताबिक, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। फिलहाल संसद मार्ग पुलिस मामले की जांच कर रही है।

फाइल फोटो

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब पांच बजे सूचना मिली कि जीवनदीप भवन में चौथी मंजिल पर आग लगी है। तुरंत दमकल की नौ गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। उस वक्त भी इमारत में करीब 150 से अधिक लौग मौजूद थे। जो धुंए में फंसे थे। पूरी तरह से अफरा-तफरी का माहौल था। कागजों में आग लगने के कारण धुंआ इतनी तेजी से फैला था कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। खुद दमकलकर्मियों को धुंए में घुकसकर ऑपरेशन को अंजाम देने में दिक्कत आई तो बीए सिलेंड के साथ फायर फाइटरों ने आग पर काबू पाया। गनीमत की बात रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई।

- दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए 25 मिनट में आग पर पूरी तरह काबू पाया
- पुलिस आशंका जता रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी

पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

नंद नगरी थाने में पुलिस हिरासत में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। युवक की पहचान गोविंदा यादव (25) के रूप में हुई है। पुलिस युवक को अवैध शराब के तस्करी के आरोप में थाने लेकर आई थी। परिजनों का आरोप है कि हिरासत में लेने के बाद परिजनों को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई थी। सूचना मिलने के बाद परिजनों ने थाने के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया था।

भारी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को गोविंदा के शव का पोस्टमार्टम जीटीबी अस्पताल में किया गया। जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए हेड कांस्टेबल अभिषेक, कांस्टेबल विशाल और उधम सिंह को निलंबित कर दिया गया है। मामले की मजिस्ट्रेलिय जांच के आदेश दे दिया गए हैं। जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नंद नगरी थाना पुलिस अवैध शराब के साथ केवल नईम और गोविंदा को ही गिरफ्तार किया था। उनके दो साथी मौके से ही फरार हो गए थे। रात करीब नौ बजे गोविंदा की तबीयत खराब होने की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई थी।

फाइल फोटो

परिजनों ने पुलिस पर लगाया पीट-पीटकर हत्या का आरोप

हालांकि परिजनों ने जानकारी दिए जाने से इनकार किया है। गोविंदा के एक रश्तिेदार ने बताया कि वह, ई-19, लेप्रोसी कॉलोनी में परिवार के साथ रहता था। परिवार में पिता राम गुलाम यादव, दो भाई गोपाल, गौतम हैं। यह परिवार इलाके में मजदूरी कर अपना जीवनयापन करता है। बुधवार सुबह छह बजे वह दोस्त के साथ मजदूरी करने जाने की बात कहकर घर से गया था। करीब सात बजे पुलिस टीम ने छापा मार नईम और गोविंदा को एक ऑटो में 17 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

मांग
पानी की कमी को लेकर दिल्ली में मटके के साथ प्रदर्शन किया गया।
फोटो : आरुष चोपड़ा

विराट कोहली पर गुरुग्राम स्थित घर में पेयजल के दुरुपयोग के लिए लगा जुर्माना

गुरुग्राम, 7 जून (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पर गुरुग्राम नगर निगम ने पेयजल के दुरुपयोग पर जुर्माना लगाया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि कोहली के डीएलएफ फेज-1 आवास के बाहर घरेलू सहायक पानी चलाकर पाइप के जरिए कार की सफाई कर रहा था, इस वजह से 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी एस एस रोहिला ने बताया कि नियम के मुताबिक, बुधवार को तुरंत 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। घरेलू सहायक पानी से कार की सफाई कर रहा था इससे पानी की बर्बादी हुई। उन्होंने कहा कि निगम की विभिन्न टीमें शहर में पानी की बर्बादी की जांच कर रही है और मामले का संज्ञान लिया गया। अधिकारी ने कहा कि हम समय-समय पर परामर्श भी जारी कर लोगों को समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने का अनुरोध करते हैं। इस मामले में घरेलू सहायक नल से चलते पानी की बजाए बाल्टी के जरिए सफाई कर सकता था।

'मुख्यमंत्री पानी की कमी पर जारी करें श्वेतपत्र'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री तथा दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से दिल्ली को भयंकर जल संकट से बचाने में असफल होने के कारणों पर श्वेतपत्र लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड का समर एक्शन प्लान, 2019 सरकार की अक्षमता और कुशासन के चलते पूरी तरह नाकाम हुआ है। सरकार ने कुछ ही माह पूर्व 24 घंटे जलापूर्ति पर काम शुरू की किया था, परंतु आज भी दिल्ली में 300 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम आपूर्ति हो रही है। सरकार पानी के टैंकरों के माध्यम से भी पानी आपूर्ति करने में असफल रही है।

एक जैसा नाम होने की वजह से पड़ोसी के खाते से निकाले रुपए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

आरोपी महिला को एक ही नाम होने के कारण कुरिअर कंपनी के डिलीवरी ब्वॉय ने गलती से बैंक की ओर से भेजा गया चेक और एटीएम कार्ड दिया था

मोहन गार्डन थाना पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने पड़ोस में रहने वाली महिला के चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर एटीएम से 3.62 लाख रुपए निकाल लिए। 49 साल की आरोपी महिला को एक ही नाम होने के कारण कुरियर कंपनी के डिलीवरी ब्वाय ने गलती से बैंक द्वारा भेजा गया चेक और एटीएम कार्ड दिया था।

आरोपी महिला ने वह कुरियर लौटाने के बजाय उसका उपयोग कर खाते से रुपए निकाल लिए थे। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके द्वारा निकासी किए गए रुपए भी पीड़िता के खाते में डलवा दिया है। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंटो अल्फोंस ने बताया कि बीती 23 मई को एक महिला ने विपिन गार्डन पुलिस पोस्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया था कि उसके बैंक खाते से 3 लाख 62 हजार रुपए अवैध रूप से निकाल लिए गए हैं। यह रुपए चेक और एटीएम के माध्यम से निकाले गए हैं। इसकी जानकारी महिला को तब मिली जब वह घर का मरम्मत करवाने के लिए रुपए निकालने के लिए बैंक पहुंची थी। तब उन्हें पता चला कि उनका खाता खाली हो चुका है। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पार्क में प्लास्टिक जलाने पर एनजीटी की फटकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

उत्तर पश्चिमी दिल्ली स्थित मंगोलपुरी के एक पार्क में प्लास्टिक और पीवीसी तार जलाए जाने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को फटकार लगाई है। एनजीटी ने समिति को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें जिम्मेदारी निभाने में असफल होने के लिए कार्रवाई की बात भी कही गई है। प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाने के बजाय एजेंसियों के टालमटोल वाले रवैए के खिलाफ एनजीटी ने गंभीर रुख अख्तियार किया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि डीपीसीसी ने मंगोलपुरी मामले में यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि वह जमीन का मालिक नहीं है उसने डीडीए पर जिम्मेदारी डाल दी।

नई शिक्षा नीति के मसविदे में संशोधन की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) कोर्ट के सदस्य रहे जगदीश ममगांई ने पूर्व सांसद व इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में गठित नौ सदस्यीय समिति की ओर से प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2019 के मसविदे को भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए सकारात्मक सोच वाला बताते हुए, इसमें कुछ विरोधाभासी सिफारिशों को संशोधित करने की मांग की है।

उन्होंने इस पर स्वतंत्र प्रहरी, एनजीओ के तत्वावधान में मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय को आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रारूप छात्र को नहीं रोके जाने की नीति को बनाए रखना, फीस के निर्धारण में निजी स्कूल को स्वतंत्रता देना, शिक्षा की गुणवत्ता व आमजन को प्रभावित करेगा। देश भर के सभी शिक्षाकर्मी, शिक्षामित्र, अतिथि शिक्षक, संविदा शिक्षक आदि पैरा-शिक्षक प्रणाली को 2022 तक समाप्त करने से पहले ही 10 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी भुगत रहे हैं। इससे स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी और शिक्षण व्यवस्था चरमरा जाएगी। बेरोजगारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी।

एनईपी ने अध्यापक बनने की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। भावी अध्यापकों को कुल 5 चरण से गुजरना होगा। हर साल कॉलेजों में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों में अनिश्चितता है। 90 फीसद से अधिक अंक लाने पर भी अपेक्षित विषय में दाखिले के लिए हाथ-पांव मारने पड़ते हैं और फिर भी कई बार हताश होना पड़ता है।

खबरों में शहर

पुलिस से मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच शुक्रवार सुबह हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुखमेलपुर में काली माता मंदिर के पास मुठभेड़ हुई थी। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान सीलमपुर निवासी सलमान उर्फ मुन्ना (24) और नजिम (24) के रूप में हुई है। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने दो पिस्तौल और पांच कारतूस जब्त किए हैं। सलीम पर एक करोड़ रुपए और नजिम पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। फिलहाल पुलिस ने सलीम को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

कॉलेज में 'परामर्श सत्र' का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून ।

दाखिले को लेकर हुए परामर्श सत्र में राजधानी कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेजों आदि में विद्यार्थी जुटे। राजधानी कॉलेज में कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य डॉ राजेश गिरी ने की तो जाकिर हुसैन कॉलेज में कार्यक्रम का प्रारंभ प्राचार्य डॉ मसरूर अहमद बेग ने किया। उन्होंने उपलब्ध अनेक पाठ्यक्रमों से आगंतुकों को परिचित कराया। डीयू के अनेक विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के प्रवेश-प्रक्रिया से संबंधित सवालों का समाधान किया। जाकिर हुसैन कॉलेज में कार्यक्रम के समन्यवयक डॉ रवि रंजन के मुताबिक, कार्यक्रम सत्र में कॉलेज के 22 स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए सौ से ज्यादा सवाल पूछे गए। उन्होंने बताया कि कॉलेज में 1580 सीटों पर दाखिले की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

शिक्षक के घर मिलने पहुंचे बिधूड़ी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

दिल्ली के आंबेडकर नगर के सरकारी स्कूल में संस्कृत के शिक्षक उदय चंद झा के बदरपुर स्थित निवास पर शुक्रवार को भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। रमेश बिधूड़ी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार झा के परिवार को तत्काल पेंशन दें।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश के हालात पर चर्चा, सभागार 1, मैक्समूलर मार्ग शाम पांच बजे।

थाई दूतावास : क्विज प्रतियोगिता व पुरस्कार समारोह, थाई दूतावास, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, सुबह 10 बजे।

चल रहा है सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण का काम

व्यापारियों के लिए सिरदर्द बना चांदनी चौक को चमकाना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

चांदनी चौक के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण योजना को लेकर यहां के व्यापारी खासे नाराज दिख रहे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग, शाहजहांनाबाद विकास बोर्ड, बीएसईएस यमुना, दिल्ली जल बोर्ड के साथ अन्य सरकारी व अर्ध सरकारी कोई भी एजंसी व्यापार और चांदनी चौक का ख्याल नहीं रख रहा है। पहले चरण में करोड़ों रुपए का नुकसान बिजली कंपनी ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर समाप्त कर चुकी है। व्यापारियों का कहना है कि इसमें पैसे की बर्बादी, स्वास्थ्य से खिलवाड़ और व्यापार का सत्यानाश हो रहा है।

दिल्ली यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए व्यापारियों ने कहा कि अभी-भी एक साइड का ट्रैफिक चालू है। वाहन मालिकों के वाहन आड़े-तिरछे यहां-वहां खड़े रहते हैं। खुदाई के दौरान खुले में पड़ा मलबा, उड़ती धूल, टूटी सीवर लाइन से बहता पानी परेशानी का सबब है। कटरा नवाब के सचिव राहुल शर्मा के अनुसार कटरे के बाहर बिजली कंपनी के ठेकेदारों ने सड़क खोदते समय सीवर लाइन तोड़ दी। मच्छर, बदबू के कारण हालत खराब हो रही है। नियमानुसार निर्माण एजंसी, ठेकेदार का नाम, कार्य क्षेत्र की लंबाई, लागत, कार्य संपूर्ण होने की अवधि जैसी सूचना एक पट्ट पर होनी चाहिए जो नहीं है। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्कन्टाइल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश बिंदल के अनुसार चांदनी चौक पुनर्विकास कार्यक्रम यूरोपीय पद्धति से प्रभावित यह योजना अपने मूलरूप से गलत है। चांदनी चौक मुख्य रूप से व्यापारी हब है। चांदनी चौक के दोनों तरफ लगभग 64 विभिन्न कटरों, कूंचा, गलियों, मार्केट में लगभग एक लाख से ऊपर दुकानें है। उनके मालिक, कर्मचारी, पल्लेदार, ठेले वाले, माल लाने-ले जाने वाले इत्यादि लगभग तीन लाख लोगों की रोजी रोटी यहां से चलती है।

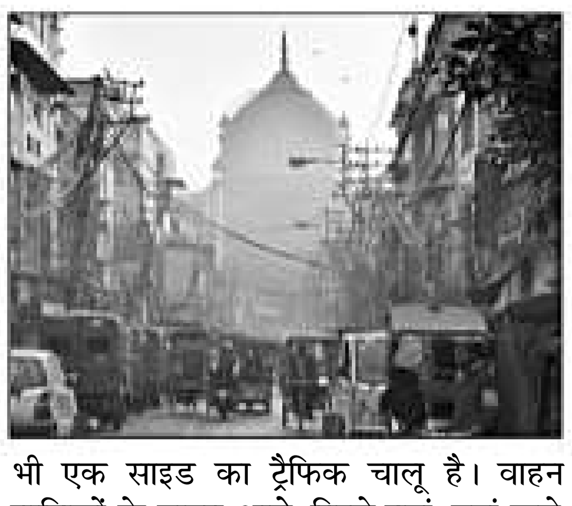

इन बाजारों पर प्रभाव

भागीरथ पैलेस, चाह इंदारा, कटरा लच्छू सिंह, लाजपतराय मार्केट नई व पुरानी, साइकिल मार्केट, घड़ी मार्केट, फोटो सामान मार्केट के साथ-साथ गली घंटेवाली, कटरा शहनशाही, पारस बाजार, वर्धमान मार्केट, गली पराठे वाली, मोती बाजार, कटरा नवाब, कटरा प्यारेलाल, कटरा नया, पोद्दार मार्केट, कटरा चौबान, कटरा अशर्फी, कटरा नागपुरी, कटरा हरदयाल, कटरा हीरालाल, कटरा लाल, कटरा छत्री, कटरा मोती, नई सड़क की मार्केट, कूंचा रहमान, कूंचा उस्ताद दाग, बल्लीमारान की मार्केट, कटरा सुभाष, कटरा गांधी मार्केट, हवेली हैदर कुली, कूंचा घासीराम, कूंचा बृजनाथ, मनोहर मार्केट, संगम मार्केट, कृष्णा गली, नई बस्ती आदि के क्षेत्रों में हजारों दुकानें प्रभावित हैं।

ट्यूबवेल से अवैध तरीके से पानी निकालने के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जून।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को दिया है निर्देश

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को ट्यूबवेल से अवैध तरीके से भूमिगत जल निकालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अवैध तरीके से ट्यूबवेल लगाना पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 के तहत अपराध है और अधिकारियों को ऐसे लोगों से मुआवजा वसूलने के अलावा उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करना चाहिए।

अधिकरण ने अधिकारियों को सील किए गए ट्यूबवेल को फिर से खोले जाने से रोकने के लिए उन्हें वहां से हटाने और उपकरणों को जब्त करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि अवैध तरीके से पानी निकालने के विरुद्ध एक सार्वभौम दृष्टिकोण अपनाने के लिए डीपीसीसी और डीजेबी इस संबंध में एक नीति अपनाए। इसने यह भी कहा कि एक महीने के अंदर ईमेल के माध्यम से मामले में कार्रवाई रिपोर्ट पूरी हो जानी चाहिए। अधिकरण शहर के निवासी अब्दुल फारुख की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

प्रज्ञा सिंह ठाकुर एनआइए की अदालत में पेश हुईं

मुंबई, 7 जून (भाषा)।

नवनिर्वाचित भाजपा सांसद व 2008 के मालेगांव बम विस्फोट की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत के समक्ष पेश हुईं। एनआइए की विशेष अदालत के न्यायमूर्ति वीएस पडालकर ने जब भगवा वस्त्र पहने ठाकुर से पूछा कि धमाके के बारे में उन्हें कुछ कहना है तो ठाकुर ने कहा, 'मुझे कुछ नहीं पता।' सुनवाई के दौरान ठाकुर ने विशेष अदालत में लगभग ढाई घंटे तक खड़े रहने का फैसला किया। उन्होंने पेश की गई कुर्सी और अदालत की सफाई व्यवस्था को खराब बताते हुए वहां बैठने से इनकार कर दिया।

- कहा कि मालेगांव धमाकों के बारे में वह कुछ नहीं जानतीं

विशेष एनआइए ने पिछले महीने प्रज्ञा सहित सभी आरोपियों को सप्ताह में कम से कम एक बार अदालत के सामने हाजिर होने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि डॉक्टरों और 'पंचों' समेत 116 गवाहों का परीक्षा की जा चुकी है और सुनवाई के दौरान आरोपी गैरहाजिर रहे और उनके वकीलों ने उनका प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने ठाकुर और दूसरे आरोपी सुधाकर द्विवेदी को कटघरे में बुलाया और पूछा कि क्या वे मालेगांव बम धमाके के बारे में जानते हैं जिसमें छह लोग मारे गए थे तो इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे जानकारी नहीं है।' द्विवेदी ने यही उत्तर दिया। भोपाल से पिछले महीने लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद ठाकुर की एनआइए अदालत में यह पहली पेशी है। इस मामले में आरोप तय होने के बाद पिछले साल अक्तूबर में वह अंतिम बार हाजिर हुईं थीं। न्यायाधीश ने तब कहा था कि केवल ठोस कारण दिए जाने पर ही पेशी से छूट दी जाएगी।

ठाकुर के बेंच पर आराम से बैठने के लिए एक लाल वेलवेट का कपड़ा बिछाया गया था। जब न्यायधीश ने उनसे कटघरे में आने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि वह अदालत के द्वारा दी गई कुर्सी पर बैठने के बजाए खिड़की की तरफ खड़ी रहेंगी। इस 11 साल पुराने विस्फोट मामले में एनआइए अदालत में मुकदमा चल रहा है। विशेष अदालत ने सोमवार को ठाकुर की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने इस हफ्ते पेशी से छूट की मांग की थी।

ठाकुर (49) ने इस आधार पर छूट मांगी थी कि उन्हें संसद में अपने निर्वाचन से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करनी हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि मामले में इस चरण में उनकी मौजूदगी आवश्यक है। उनके वकील प्रशांत मागू ने गुरुवार को अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं और भोपाल से मुंबई आने में असमर्थ हैं। अदालत ने उन्हें उस दिन पेशी से छूट दे दी और कहा कि वह उसके समक्ष शुक्रवार को पेश हों।

न्यायाधीश ने कहा था, 'आज पेशी से छूट दी जाती है। लेकिन उन्हें शुक्रवार को पेश होना होगा, अन्यथा उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।' ठाकुर की करीब सहयोगी उपमा ने बताया कि सांसद को बुधवार की रात पेट में तकलीफ के चलते भोपाल में अस्पताल में भर्ती कराया गया और गुरुवार की सुबह उन्हें छुट्टी दे दी गई।

चाहता हूं कि अयोध्या में जल्द बने राम मंदिर : योगी

अयोध्या, 7 जून (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि उनकी दिली इच्छा है कि अयोध्या में जल्द से जल्द भगवान राम का भव्य मंदिर बने।

योगी ने अयोध्या शोध संस्थान संग्रहालय में लकड़ी से निर्मित भगवान राम की सात फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कहा, 'पूरे विश्व की अपेक्षाओं के अनुरूप मैं चाहता हूं कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो।' भगवान राम की यह मूर्ति कर्नाटक से मंगवाई गई है और यह राम के 5 स्वरूपों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने भगवान राम से दूरी बनाए रखी लेकिन हमने अयोध्या के जरिए दुनिया में अपनी पहचान बनाई। हर कोई चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बने। योगी ने कहा कि भारत के संविधान की मूल प्रति पर भगवान राम की तस्वीर बनी है। योगी ने विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर में पूजा अर्चना की।

उन्होंने राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शिरकत की। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बारे में योगी ने कहा कि देश की जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। अयोध्या में कराए जा रहे विकास कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या के लोगों की बेहतरी के लिए यहां अनेक विकास योजनाएं शुरू की गई हैं।

केरल की स्वास्थ्य मंत्री की हर्षवर्धन से मुलाकात

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जून।

निपाह वायरस के संक्रमण के मामले में केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के साथ बैठक कर इस घातक बीमारी की मौजूदा स्थिति और उससे निपटने के तैयारियों पर चर्चा की।

हर्षवर्धन ने केरल में फैले निपाह वायरस जनित बीमारी को रोकने व पीड़ितों के उपचार में हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके साथ ही केंद्रीय स्तर की गठित टीम ने स्थिति की समीक्षा की व इसके लिए जरूरी उपाय भी किए गए।

निपाह का खतरा

शैलजा ने बताया कि मैं यहां डॉ. हर्षवर्धन से मिलने और उन्हें मौजूदा हालातों व इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों से अवगत कराने आई हूं। उन्होंने कहा कि सातवें संदिग्ध व्यक्ति को भी निपाह के संक्रमण से मुक्त पाया गया। निपाह वायरस के फैलने की आशंका के बीच शैलजा ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से मिलकर जानलेवा संक्रमण को लेकर प्रशासन की तैयारियों से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 21 साल के जिस कॉलेज छात्र को निपाह विषाणु से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है,उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं, संक्रमित छात्र के साथ संपर्क में आए 314 लोगों को निगरानी में रखा गया है। कोई नया मामला सामने नहीं आया है।

इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अलावा स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने भी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ निपाह वायरस बीमारी की वर्तमान स्थिति की गंभीरता से समीक्षा की। उन्होंने बताया कि निपाह वायरस बीमारी के संबंध में जरूरी कई कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमित मरीजों की पहले पहचान और आइसोलेशन सुविधा की समीक्षा के लिए छह सदस्यों वाली टीम का गठन किया है।

केंद्रीय टीम ने बीमारी के लक्षण वाले सभी छह मामलों का जायजा लिया है। कालीकट, त्रिशूर और कोट्टायम के मेडिकल कॉलेजों में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए हैं। एक संक्रमित मामले में मरीज को एस्टर मेडिसिटी,चेरेन्नीलूर,एर्नाकुलम में दाखिल कराया गया है। मरीज होश में है और उसे हल्का बुखार है। कुल 316 मामलों पर बराबर निगरानी रखी जा रही है। पिछले साल मई में इस वायरस के संक्रमण से 17 लोगों की मौत हो गई थी।

अमित शाह की सुरक्षा बढ़ाई गई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जून।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सुरक्षा घेरा मजबूत करते हुए दिल्ली पुलिस ने उनके आवास पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। शाह ने पिछले हफ्ते ही अपना कार्यभार संभाला था।

एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री की सुरक्षा की समीक्षा के बाद उनके निवास पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। अभी शाह को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की जा रही है। अतिरिक्त बल दिल्ली पुलिस के हैं।

गृह मंत्री जल्दी ही उस आवास में रहने जा सकते हैं, जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को मिला हुआ था। सुरक्षा कारणों से शाह की सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ब्लैक कैट कमांडो को लगाया जा सकता है।

अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुरक्षा घेरे में भी दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सेना की है। लेकिन दिल्ली पुलिस भी उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। राजनाथ सिंह के आवास की सुरक्षा फिलहाल अर्द्धसैनिक बलों द्वारा की जा रही है।

ओबेराय को मिली जमानत

मुंबई, 7 जून (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता और पूर्व महिला मित्र के साथ बलात्कार करने के आरोपी की करन ओबेराय को जमानत दे दी। महिला ने आरोप लगाया था कि ओबेराय ने उसका कई बार बलात्कार किया और उससे धन भी वसूला। इसके बाद ओबेराय को पांच मई को गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआइ के सामने पेश हुए पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार

कोलकाता, 7 जून (भाषा)।

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार कई करोड़ के सारदा घोटाला मामले के संबंध में शुक्रवार को सीबीआई के सामने पेश हुए। एजंसी के सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में सीआइडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कुमार इस मामले में दूसरी बार पूछताछ के लिए शुक्रवार सुबह सीबीआइ के दफ्तर पहुंचे।

फरवरी में कुमार से शिलांग में सीबीआइ के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पूछताछ की थी। शीर्ष अदालत ने उन्हें जांच एजंसी के साथ सहयोग करने को कहा था।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष जांच दल (एसआइटी) की अध्यक्षता कर रहे थे। बाद में मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) के पास चली गई थी।

PXIL
Transforming Power Markets
Power Exchange India Limited
Sumer Plaza, Unit No.901, 9th Floor, Marol Maroshi Road
Andheri (East). Mumbai- 400 059. India
Tel: + 91 22 40096667/87 Fax: + 91 22 40096633/90
Email: info@pxil.co.in. CIN:U74900MH2008PLC179152
Trading Month of May-2019

Markets	DAS		INTRADAY		ANYDAY	
Traded	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)
Min	1.90	0.02	3.00	0.05	3.92	0.48
Max	4.19	0.16	7.75	7.63	5.10	9.73
Avg.	3.53	0.11	4.74	2.00	4.95	7.79
Total		1.17		52.01		70.09

फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार–क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
एंजेलिना रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड (यू45201डीएल2006पीटीसी147919) जिसका पंजीकृत कार्यालय 15, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली–110015 में है के मामले में
(आवेदक/याचिकाकर्ता)
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 27 मई, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।
कृते एंजेलिना रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
ह0/–
देवेंद्र दुआ
निदेशक
डीआईएन: 07109935
07 जून, 2019
नई दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार–क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
बेनिडिक्ट एस्टेट्स डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड (यू45201डीएल2006पीटीसी148049) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1ई, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नाज सिनेमा कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110055 में है के मामले में
(आवेदक/याचिकाकर्ता)
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 27 मई, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।
कृते बेनिडिक्ट एस्टेट्स डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
ह0/–
देवेंद्र दुआ
निदेशक
डीआईएन: 07109935
07 जून, 2019
नई दिल्ली

फॉर्म सीएए 2
राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, प्रधान बेंच, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी आवेदन (सीएए) संख्या 56/पीबी/2019
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन के मामले में
तथा
विस्त्रा आई–टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ...अंतरक कम्पनी 1 / आवेदक कम्पनी 1
एवं
एवॉन मोबिलिटी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड ...अंतरक कम्पनी 2 / आवेदक कम्पनी 2
एवं
न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ...अंतरिती कम्पनी / आवेदक कम्पनी 3
एवं
उनके सम्बंधित अंशधारकों तथा लेनदारों के मध्य समामेलन की योजना के मामले में

एनसीएलटी द्वारा बुलाई गई बैठक हेतु सूचना एवं विज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नई दिल्ली स्थित माननीय राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, प्रधान बेंच (माननीय एनसीएलटी) के 12 अप्रैल 2019 दिनांकित आदेश (1 मई 2019 के आदेशानुसार संशोधित) ('आदेश') के अनुपालन में, विस्त्रा आई–टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, एवॉन मोबिलिटी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड तथा न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एवं उनके सम्बद्ध अंशधारकों तथा लेनदारों के मध्य प्रस्तावित समामेलन की योजना ('योजना') पर विचार, एवं उचित प्रतीत होने पर संशोधन(नों) के साथ अथवा उनके बिना अनुमोदन के उद्देश्य से अंतरिती कम्पनी के समता अंशधारकों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। उक्त आदेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार, अंतरिती कंपनी के समता अंशधारकों की एक बैठक **8 जुलाई 2019 को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, ब्लॉक–ए, एनआईपीसीसीडी परिसर, हौज खास, नई दिल्ली–110016 में दोपहर 2:00 बजे** होगी।

उक्त योजना की प्रतियां, कम्पनी अधिनियम, 2013 ('**अधिनियम**') की धारा 230, 232 एवं 102 के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के अन्तर्गत व्याख्यात्मक विवरण, एवं प्रॉक्सी अंतरिती कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से किसी भी दिन (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) निः शुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। संबंधित बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र व्यक्ति, स्वयं अथवा प्रतिनिधि द्वारा मतदान कर सकते हैं, बशर्ते निर्धारित प्रपत्र में प्रॉक्सी अंतरिती कंपनी के उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय में सम्बद्ध बैठक आरम्भ होने के कम–से–कम 48 घंटे पूर्व जमा कर दिए जाएँ।

माननीय एनसीएलटी ने श्री राजेश गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सभा का अध्यक्ष, श्री चमन गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट को वैकल्पिक अध्यक्ष तथा श्री प्रिंस चड्ढा, व्यावसायिक कम्पनी सचिव को उपर्युक्त बैठक हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है। अगर योजना संबंधित बैठक में अनुमोदित होती है, तो यह माननीय एनसीएलटी द्वारा अनुवर्ती अनुमोदन के विषयस्वरूप होगी।

इसके अतिरिक्त सूचना दी जाती है कि:

1. अंतरिती कंपनी ने निर्देश–युक्त डाक मतपत्र सहित सूचना एवं एक स्व–संबोधित डाक व्यवसाय उत्तर लिफाफे का प्रेषण, कट–ऑफ तिथि अर्थात् 24 मई 2019 को भौतिक अथवा डीमैटरियलाइज्ड रूप में अंशों को धारण करने वाले, सभी समता अंशधारकों को, पूरा कर लिया है।
2. अंतरिती कंपनी ने डाक मतपत्र बैलेट तथा रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान की है ताकि समता अंशधारकों को समामेलन की योजना पर विचार एवं अनुमोदन करने में सक्षम बनाया जा सके। अंतरिती कंपनी ने समता अंशधारकों हेतु सभा स्थल पर इंस्टा–पोल के माध्यम से मतदान की सुविधा भी प्रदान की है। अंतरिती कंपनी ने रिमोट ई–वोटिंग सुविधा हेतु अपने रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएँ ली हैं।
3. अंतरिती कंपनी के समता अंशधारकों के डाक मतपत्र अथवा रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या बैठक स्थल पर मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने हेतु कट–ऑफ तिथि 24 मई 2019 है। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वही व्यक्ति मतदान के हकदार होंगे। ऐसे व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि तक अंतरिती कंपनी के समता अंशधारक नहीं हैं, उन्हें यह सूचना जानकारी मात्र के उद्देश्य से ग्रहण करना चाहिए।
4. यदि कोई समता अंशधारक ई–वोटिंग सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहता है, तो वह अंशधारक सूचना में दिए गए पते पर एक अनुरोध भेज सकता है और इस तरह के अनुरोध पर अंतरिती कंपनी/रजिस्ट्रार अंशधारक को भौतिक मतपत्र फॉर्म भेज देंगे। वे समता अंशधारक जिन्हें उक्त डाक मतपत्र सूचना तथा डाक मतपत्र फॉर्म नहीं प्राप्त हुआ है, वे डुप्लिकेट डाक मतपत्र के लिए एक अनुरोध भेज सकते हैं।
5. अंतरिती कंपनी के समता अंशधारकों हेतु डाक मतपत्र तथा रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान शनिवार, 8 जून 2019 को सुबह 9:00 बजे आरम्भ होगा तथा रविवार, 7 जुलाई, 2019 को शाम 5:00 बजे बंद हो जाएगा। रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल 7 जुलाई, 2019 को शाम 5:00 बजे के उपरान्त मतदान हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
6. विधिवत रूप से पूर्ण और हस्ताक्षरित डाक मतपत्र फॉर्म संवीक्षक (श्री प्रिंस चड्ढा) के पास, #48/सेक्टर 41ए, चंडीगढ़ – 160036 पर 7 जुलाई, 2019 को 5:00 बजे या उससे पूर्व पहुंच जाना चाहिए। 7 जुलाई, 2019 को 5:00 बजे के पश्चात् प्राप्त किसी भी डाक मतपत्र फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा और माना जाएगा जैसे कि समता अंशधारक से उत्तर नहीं मिला है।
7. मतदान की अवधि के दौरान, अंतरिती कंपनी के समता अंशधारक मतदान हेतु डाक मतपत्र अथवा रिमोट ई–वोटिंग में से किसी भी एक विकल्प को चुन सकते हैं। यदि उसने डाक मतपत्र तथा रिमोट ई–वोटिंग दोनों के माध्यम से अपना मतदान डाला है, तो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से किया गया वैध मतदान प्रबल होगा। वे समता अंशधारक जिन्होंने डाक मतपत्र अथवा रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान किया हो, वे बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे पुनः मतदान के हकदार नहीं होंगे।
8. डाक मतपत्र तथा रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों सहित सूचना अंतरिती कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.nucleussoftware.com पर उपलब्ध है।
9. डाक मतपत्र अथवा रिमोट ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट को उनके निम्न पते पर संबोधित किया जा सकता है: श्री सुरेश बाबू डी, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500032, ई–मेल suresh.d@karvy.com फोन नंबर: 18003454001

हस्ताक्षर
राजेश गुप्ता
बैठक हेतु नियुक्त अध्यक्ष
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07.06.2019

कैन फिन होम्स लि.
Can Fin Homes Ltd
एससीओ– 34 एवं 35, 1ला तल, केनरा बैंक के ऊपर
सेक्टर– 10 ए, गुड़गांव फोन: 0124–2370035, 2370760

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के सं. 54) की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना। आप सं. 1 से 12 तक ने आप सं. 1 से 12 के स्वामित्व की निम्न परिसम्पत्ति/यों की गिरवी की प्रतिभूति के प्रति हमारी शाखा से आवास ऋण प्राप्त की है। इस सूची के अनुसार अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ 8.5.2019 एवं 1.06.2019 को केन फिन होम्स लि. के लिए आपके द्वारा निम्न राशि देय है।

मांग सूचना तिथि: 01.06.2019

क्रम सं.	ऋणधारक/ गारन्टर/ मार्टगैजर का नाम एवं पता	इस तिथि को 13 (2) सूचना के अनुसार मांग की गई राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण
1.	श्री मोमिन खान (ऋणधारक), पुत्र वशीर अहमद, श्रीमती शबनूर बेगम (सह–आवेदक) पत्नी मोमिन खान मकान सं. डी डी 975, डी ब्लॉक, डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद–121001 श्री ललित सिंघल (गारन्टर), पुत्र श्री अशोक कुमार एच.नं. 6/409, कतरी वाड़ा, खेरी कलान (113) फरीदाबाद–121002 (हरियाणा)	रु. 2838733.00/–	फ्लैट नं. 06, प्रथम तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतमबुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश), क्षेत्रफल मापः 800 वर्ग फीट चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः फ्लैट नं. 05, पश्चिमः अन्य प्लॉट
2.	श्री ललित सिंघल (ऋणधारक), पुत्र श्री अशोक कुमार श्रीमती चांदनी सिंघल (सह–आवेदक) पत्नी ललित सिंघल एच.नं. 6/409, कतरी वाड़ा, खेरी कलान (113) फरीदाबाद–121002 (हरियाणा) श्री फिरोज, पुत्र फूल मोहम्मद (गारन्टर), एच.नं. 218/1, संतनगर फरीदाबाद ओल्ड	रु. 2899399.00/–	फ्लैट नं. 05, प्रथम तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतमबुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश), क्षेत्रफल मापः 1100 वर्ग फीट चौहद्दीः उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 06
3.	श्री विकास सिंह राणा (ऋणधारक) पुत्र जगदीश सिंह राणा, श्रीमती पूजा, पत्नी विकास सिंह राणा (सह–आवेदक) 759, जवाहर कॉलोनी, सेक्टर 22, फरीदाबाद–121005 श्री अमीर खान (गारन्टर) पुत्र राशिद खान, एच.नं. 14/10, बटला हाउस, जामिया नगर, ओखला, दक्षिण दिल्ली	रु. 3100731.00/–	फ्लैट नं. 12, दूसरा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतमबुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश), क्षेत्रफल मापः 1100 वर्ग फीट चौहद्दीः उत्तरः गौलरी, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 11
4.	श्री अमीर खान (ऋणधारक) पुत्र राशिद खान, एच.नं. 14/10, बटला हाउस, जामिया नगर, ओखला, दक्षिण दिल्ली (दिल्ली) श्री विकास सिंह राणा (गारन्टर), पुत्र श्री जगदीश सिंह राणा, 759, जवाहर कॉलोनी, सेक्टर 22, फरीदाबाद–121005	रु. 2863704.00/–	फ्लैट नं. 8, प्रथम तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतमबुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश), क्षेत्रफल मापः 1100 वर्ग फीट चौहद्दीः उत्तरः गौलरी, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 11
5.	श्री फिरोज, पुत्र फूल मोहम्मद (ऋणधारक) श्रीमती जीनम (सह–आवेदक), पत्नी श्री फिरोज, पुत्र फूल मोहम्मद, एच.नं. 218/1, संत नगर, खेरी कलान, फरीदाबाद, हरियाणा–121002 श्री नरेश कुमार (गारन्टर), पुत्र मदन लाल एच. नं. 335, गली नं. 15, गेट नं. 2, गर्ग कॉलोनी, बल्लभगढ़–121004	रु. 2894427.00/–	फ्लैट नं. 9, दूसरा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतमबुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश), क्षेत्रफल मापः 1100 वर्ग फीट चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 10
6.	श्री प्रिन्स (ऋणधारक) पुत्र विनोद कुमार, श्रीमती उषा कुमार (सह–आवेदक), पुत्री विनोद कुमार सी–39, डबुआ कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा	रु. 2491909.00/–	फ्लैट नं.–02, भूतल, दूसरा तल मंगलम अपार्टमेंट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर 70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः फ्लैट नं. 1, पश्चिमः अन्य प्लॉट
7.	श्री अमीर चन्द अग्रवाल (ऋणधारक) पुत्र भोलाराम ठाकुरदास अग्रवाल, श्री पवन अमीरचन्द अग्रवाल (सह–आवेदक), पुत्र अमीर चन्द अग्रवाल, मकान सं. सी–52 बी, धीरज नगर, एतमादपुर, अमरनगर, फरीदाबाद–121003 श्री प्रिन्स (गारन्टर) पुत्र विनोद कुमार सी–39, डबुआ कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा	रु. 2692638.00/–	फ्लैट नं.–01, भूतल, मंगलम अपार्टमेंट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर 70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 02
8.	श्री योगेश कुमार (ऋणधारक), पुत्र नरेश कुमार सागर, श्रीमती नरेश कुमार (सह–आवेदक), पुत्र जगदीश मकान सं. 281, ग्राम कर्तेरपुरी, गुड़गाँव (हरियाणा) श्री ऐश दुदेजा (गारन्टर), पुत्र जीतेन्द्र कुमार दुदेजा, मकान सं. 5 बी, 55 एनएच 5, फरीदाबाद 121001	रु. 2905328.00/–	फ्लैट नं.–3, भूतल, मंगलम अपार्टमेंट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर 70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः फ्लैट नं. 07, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः गैलरी, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति
9.	श्री ऐश दुरेजा (ऋणधारक) पुत्र जीतेन्द्र कुमार, श्रीमती चन्द्र मोहिनी दुदेजा (सह–आवेदक) पत्नी जीतेन्द्र कुमार मकान सं. 5 बी, 55 एनएच 5, फरीदाबाद 121001 श्री हर्षित जैन (ऋणधारक) पुत्र अशोक जैन, 4636/2, अग्रवाल माडर्न स्कूल, परवतिया कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा–121002	रु. 2967200.00/–	फ्लैट नं.–13, प्रथम तल, मंगलम अपार्टमेंट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर 70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः प्रवेश, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः सीढ़ी/एलएच साईड/ उसी का भाग, पश्चिमः फ्लैट नं. 12
10.	श्री हर्षित जैन (ऋणधारक) श्री अशोक जैन, श्रीमती गीता जैन (सह–आवेदक), पत्नी अशोक जैन, मकान सं. 7360, नया नं. 4636/2, अग्रवाल माडर्न स्कूल, परवतिया कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा–121002 श्रीमती चन्द्र मोहिनी दुदेजा/ गारन्टर, पत्नी जीतेन्द्र कुमार मकान सं. 5 बी, 55 एनएच 5, फरीदाबाद 121001	रु. 2703403.00/–	फ्लैट नं.–04, भूतल, मंगलम अपार्टमेंट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर 70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः रोड 30' चौड़ी, दक्षिणः सीढ़ी एवं लिफ्ट, पूर्वः उसी प्लॉट का आरएचएस साईट, पश्चिमः प्रवेश/फ्लैट 1
11.	श्री कुलदीप जगलान (ऋणधारक) पुत्र ओम सिंह जगलान, श्रीमती ज्योति (सह–आवेदक), पत्नी कुलदीप जगलान, एच. नं. ए–713, वार्ड नं. 8, विवेक स्कूल के निकट, डबुआ कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा श्री सुनील झा (गारन्टर), पुत्र कुलानंद झा, 654, मेहला मोहल्ला, मदनपुर खादर, सरिता विहार, दक्षिण दिल्ली–110096	रु. 2547391.00/–	फ्लैट नं.–15, तीसरा तल, मंगलम अपार्टमेंट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर 70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः प्रवेश, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः सीढ़ी, पश्चिमः फ्लैट नं. 16
12.	श्री विनोद कुमार (ऋणधारक), पुत्र बच्चू सिंह, श्रीमती सोनिया (सह–आवेदक), पत्नी विनोद कुमार, मकान सं. 124, गली नं. 26, एयर फोर्स रोड के निकट, जवाहर कॉलोनी, पार्ट–II, सेक्टर–22, फरीदाबाद–121005 श्री राम कुमार (गारन्टर) पुत्र रघुवीर सिंह, एच. नं. 131, गली नं. डी, ब्लॉक डबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद–121001	रु. 2516788.00/–	फ्लैट नं.–16, तीसरा तल, मंगलम अपार्टमेंट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर 70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 762 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः खुला, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः प्रवेश, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति।

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत आप सं. 1 से 12 तक को पंजीकृत मांग सूचना भेजी गई लेकिन दोनों सूचनाएं अन्सर्व्ड वापस लौट आई। अतः यह पत्र में प्रकाशन है। जैसा कि आप स्वीकृति की शर्तों का पालन करने में विफल रहे, एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी खाता को गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 1.6.2019 से अनुबंधित दर पर उस पर ब्याज के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी उपरोक्त प्रतिभूति को प्रवर्त्तित करने के लिये सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने के लिये बाध्य होंगे।

तिथि: 8.6.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: गुरुग्राम केन फिन होम्स लि. के लिये

जनसत्ता

एक और झटका

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जो दशा हुई है, उससे पार्टी के भविष्य को लेकर लोगों और कार्यकर्ताओं के मन में सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं को अब अपना भविष्य खतरे में लगने लगा है। तेलंगाना इसका ताजा उदाहरण है। गुरुवार को तेलंगाना में कांग्रेस के कुल अठारह में से बारह विधायक तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) में शामिल हो गए। विधानसभा अध्यक्ष ने इन कांग्रेसी विधायकों के टीआरएस में विलय को हरी झंडी भी दे दी। दो-तिहाई विधायकों के एक साथ जाने के बाद अब दलबदल का मामला भी नहीं बनेगा। जाहिर है, इतनी बड़ी संख्या में एक साथ विधायकों का टूटना कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका है। दरअसल, तेलंगाना में कांग्रेस के भीतर यह खिचड़ी पिछले चार महीने से पक रही थी। ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस के शीर्षस्तर को इसकी भनक नहीं रही होगी। लेकिन पार्टी को संभालने और बचाए रखने का कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया और इसी का नतीजा रहा कि टीआरएस कांग्रेस को तोड़ने में कामयाब हो गई। इस टूट के बाद तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस का विपक्षी दल का दर्जा खत्म हो गया। जो कांग्रेसी विधायक टीआरएस में शामिल हुए हैं उन्हें कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा था। ऐसी सूरत में विधायकों और स्थानीय स्तर पर नेताओं की दूसरे दलों में जाने की होड़ और कवायद सामान्य बात है। यह पार्टी के लगातार क्षीण होने का संकेत है।

पिछले साल दिसंबर में विधानसभा चुनावों के बाद राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जिस तरह से वापसी हुई थी, उससे तो लग रहा था कि पार्टी अब चमत्कार करेगी और लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में नतीजे उलट आए और कांग्रेस का अपने ही शासन वाले राज्यों से सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की बुरी तरह हार से यह साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को जिस तरह से तैयारी करनी चाहिए थी, उसमें वह नाकाम रही। कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी कोर टीम पार्टी संगठन में जान फूंकने, चुनावी रणनीति बनाने और जनमानस को भांपने में नाकाम रही। आज हर कोई कांग्रेस की ऐसी हार और दुर्दशा के लिए सवाल पूछ रहा है। पिछली बार लोकसभा में नेता विपक्ष का पद भी उसे नहीं मिला था। तेलंगाना में प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा खत्म हो गया। देश पर सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी अगर आज इस हालत में पहुंच जाए तो यह गंभीर बात है।

बात तेलंगाना तक सीमित नहीं है। दूसरे राज्यों में भी जहां पार्टी सत्ता में है, या सत्ता से बाहर है, स्थिति अच्छी नहीं है। पार्टी में असंतोष रह-रह कर सामने आ रहा है। गोवा से भी ऐसे संकेत आ रहे हैं कि कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। कर्नाटक में भी हालात सुरक्षित और संतोषजनक नहीं हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके ही मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोल रखा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच टकराव जगजाहिर है और इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। दिल्ली में सातों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस हार गई। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष अमेठी सीट पर भारी अंतर से हार गए। अगर ऐसी हालत हो जाए कि पार्टी अध्यक्ष अपनी पारंपरिक सीट तक नहीं बचा पाए तो पार्टी के लिए यह दुर्दिन के संकेत हैं। दो हफ्ते गुजर चुके हैं, पार्टी की हार को लेकर अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है, न कोई हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति कब ठीक होगी, कहा नहीं जा सकता।

बेलगाम अपराध

उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के टप्पल इलाके में महज ढाई साल की बच्ची की हत्या की घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे समाज में संवेदनशीलता की क्या जगह है, सामाजिक विकास की दिशा क्या है और बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के मामले में हमारे प्रशासन-तंत्र की क्या भूमिका रह गई है! मासूम बच्ची की हत्या की खबर फैलने और उसके तूल पकड़ने के बाद अब भले ही पुलिस दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने और जल्दी कानूनी कार्रवाई पूरा करके उन्हें सजा दिलाने की बात कह रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस और प्रशासन की नींद तभी खुलती है, जब कोई बड़ी आपराधिक घटना हो जाए और उस पर जनमानस उद्वेलित हो जाए। खबरों के मुताबिक अलीगढ़ में जिस बच्ची की हत्या कर दी गई, उसकी जड़ में सिर्फ दस हजार रुपए थे, जिन्हें बच्ची के पिता ने आरोपी से उधार लिया था। सवाल है कि पड़ोसी होने के बावजूद एक व्यक्ति दस हजार रुपए की वसूली नहीं हो पाने और इस वजह से हुए झगड़े के बाद बदला लेने के लिए एक मासूम बच्ची की हत्या कर देने की हद तक कैसे चला गया?

इस बात की संभावना ज्यादा है कि जो दो आरोपी पकड़े गए हैं, वे पहले से ही आपराधिक मानसिकता के रहे होंगे। ऐसे लोगों के लिए किसी अपराध को अंजाम देते वक्त यह सोचना जरूरी नहीं लगता कि जिसकी हत्या की जा रही है, वह कौन है! एक ओर बच्ची की हत्या करने में भी अपराधियों को कोई संकोच नहीं हुआ, जबकि इस घटना की खबर जहां तक पहुंच सकी है, उसे सुनने के बाद हर संवेदनशील व्यक्ति भीतर से हिल गया। इस घटना में एक अफसोसजनक पहलू यह है कि आरोपी और पीड़ित पक्ष की सामुदायिक पहचान चूंकि अलग-अलग है, इसलिए कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने और उसे बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने की कोशिश की। लेकिन समय रहते राज्य के पुलिस महकमे ने घटना के बारे में सारे तथ्य सार्वजनिक रूप से रखे और यही वजह है कि अफवाह पर लगाम लगाने में मदद मिली। वरना मौजूदा माहौल में ऐसे मसले पर जिस तरह लोगों के बीच बिना सोचे-समझे उग्र हो जाने की प्रवृत्ति देखी गई है, उसमें स्थिति के बिगड़ जाने की आशंका बनी हुई थी।

यह हैरानी की बात है कि एक ओर राज्य में अपराधियों पर काबू पाने के दावे बढ़-चढ़ कर किए जा रहे हैं और इसे राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है और दूसरी ओर सामान्य अपराध से लेकर हत्या जैसी जघन्य वारदात तक को अंजाम देने वालों के भीतर पुलिस और प्रशासन का खौफ नहीं रह गया लगता है। यह एक आम हकीकत है कि पुलिस और प्रशासन के कामकाज के तौर-तरीके और अपराधों की रोकथाम को लेकर अपर्याप्त कार्रवाई की वजह से ही असामाजिक तत्त्वों के हौसले बेलगाम हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के गठन के पहले भाजपा ने राज्य की कानून-व्यवस्था को ही एक बड़ा मुद्दा बनाया था और जनता को सब कुछ ठीक कर देने का भरोसा दिया था। लेकिन सच यह है कि सत्ता में बदलाव के बावजूद अपराधी तत्त्वों पर काबू पाने के नाम पर कुछ विवादास्पद कार्रवाइयों को छोड़ कर जमीनी स्तर पर इस मसले पर कोई खास सुधार देखने में नहीं आया है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर कानूनी कार्रवाई का भय हो तो अपराधी मानसिकता वाले लोगों की हरकतों पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है।

कल्पमेधा

पढ़ना एक गुना, चिंतन दो गुना
और आचरण चौगुना।
-विनोबा भावे

जल संकट और समाधान

मनीष वैद्य

पानी सहेजने के कुछ छोटे और खरे उपाय जैसे स्थानीय पारंपरिक जलस्रोतों को संरक्षित करने, बरसाती पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने, नदी-नालों में छोटे बांध और तालाब बनाने आदि में अब समाज और सरकार दोनों की दिलचस्पी खत्म हो गई है। इन कामों को अब अनावश्यक माना जाने लगा है। समाज को हमने कभी जल साक्षर नहीं बनाया। नई पीढ़ी के लोगों का पानी के मामले में ज्ञान बहुत थोड़ा और सतही है।

जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। लेकिन इसका असली समाधान भी हमारी प्रकृति में ही छिपा है। प्रकृति ही जल संकट का स्थायी और सहज समाधान कर सकती है। प्रकृति ने हजारों सालों से पानी की सुगम उपलब्धता और पर्याप्तता बनाए रखी है। हमारा समाज सदियों से बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक नीति-नियमों के अनुसार ही प्रकृति के संग्रहीत पानी में से न्यूनतम जरूरत के लिए पानी लेता रहा, उसे बढ़ाता रहा, बारिश के पानी को सहेजता रहा। उसने बारिश के संग्रहीत पानी का दोहन भी किया, लेकिन लालच में आकर अंधाधुंध नहीं। हमारे पूर्वज हजारों सालों से इसका समझदारीपूर्वक उपयोग करते रहे। लेकिन पिछले पांच-छह दशकों से समाज ने पानी को अपने सीमित हितों के लिए अंधाधुंध खर्च कर पीढ़ियों से चले आ रहे समाज स्वीकृत प्राकृतिक नीति-नियमों की अनदेखी करनी शुरू की है, तभी से पानी की समस्या बढ़ती चली गई। हमने अब भी प्रकृति के आधार पर समाधान करने का प्रयास नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां कभी भी पानी से लबालब जलस्रोतों को देख भी नहीं सकेंगी।

पिछले कुछ सालों में हम पानी के मामले में सबसे ज्यादा घाटे में रहे हैं। कई जगहों पर लोग एक-एक बाल्टी पीने के लिए मोहताज हैं, तो कहीं पानी की कमी से खेती तक नहीं हो पा रही है। भूजल भंडार तेजी से खत्म होता जा रहा है। कुछ फीट खोदने पर जहां पानी मिल जाया करता था, आज वहां आठ सौ से बारह सौ फीट तक खोदने पर भी धूल उड़ती नजर आती है। सदानीरा नदियां अब दिसंबर तक भी नहीं बहतीं। ताल-तलैया सूखते जा रहे हैं। कुएं-कुंडियां अब बचे नहीं हैं। बारिश का पानी नदी-नालों में बह जाता है और हम जमीन में पानी ढूंढ़ते रह जाते हैं। लोग पानी के लिए जान के दुश्मन हुए जा रहे हैं।

जल ही जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना बेमानी है। पानी को किसी भी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। प्यास दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है और भारत के लिए तो और भी ज्यादा बड़ी। जिस देश में कभी 'पग-पग नीर' की उक्ति कही जाती रही हो, वहां अब पानी की यह कंगाली हमें बहुत शर्मिंदा करती है। कहा जाता है कि जल है तो कल है, पर अब इसे एक सवाल की तरह देखा जाना चाहिए कि जल ही नहीं होगा तो कल कैसा? पर्यावरण की समझ रखने वाले लोगों को यह सवाल बड़े स्तर पर चिंतित कर रहा है।

इधर कुछ ही सालों में हमने पानी के अकूत भंडारों को गंवा दिया और अब प्यास भर पानी के लिए सरकारों के मोहताज होते जा रहे हैं। प्रकृति ने हमें पानी का अनमोल खजाना सौंपा था, लेकिन हम ही सदुपयोग नहीं कर पाए। हमने उत्पादन और मुनाफे की होड़ में धरती की छाती में गहरे से गहरे छेद कर हजारों सालों में संग्रहीत सारा पानी उलीच लिया। नलों में पानी क्या आया, कुएं-कुंडियां पाट दीं। तालाबों की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। नदियों का मीठा पानी पाइप लाइनों से शहरों तक भेजा। अब हर साल सूखा और जल संकट हमारी नियति बन गए हैं। साल-दर-साल बारिश के आंकड़े कम से कमतर होते जा रहे हैं। इस साल भी लगातार पांचवें साल देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ा है। देश के बीस करोड़ छोटे किसान खेती के लिए मानसून पर निर्भर होते हैं। साल-दर-साल भूजल स्तर तीन फीसद से ज्यादा की दर से घट रहा है। जंगल कम होते जा रहे हैं, जबकि नदियों तक पानी पहुंचाने में जंगलों का बड़ा योगदान होता है। इसका असर वन्यजीवों पर भी पड़ रहा है। गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए वे गांवों और बस्तियों की तरफ आने लगते हैं। जंगलों के पोखर, नदी-नाले सूख जाने से उनके सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाता है। वन्य प्राणियों की तादाद घटने के पीछे भी वन्य प्राणी विशेषज्ञ जल संकट को बड़ा कारण मानते हैं। इससे जैव-विविधता के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नर्मदा में कुछ साल पहले तक सत्तर से ज्यादा प्रजातियों की मछलियां हुआ करती थीं, लेकिन जगह-जगह बांध बन जाने से यह संख्या अब महज चालीस प्रजातियों तक सिमट गई है।

जब प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की जगह उनका शोषण किया जाने लगता है तो फिर समाज को ऐसे ही संकटों का सामना करना पड़ता है। जल संकट इसका एक बड़ा रूप है। लेकिन इससे कई बातें जुड़ती हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों का घटना, जैव-विविधता और वन्य प्राणियों की तादाद में कमी, खेती के संकट और सेहत पर असर आदि कई रूपों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संकटों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले कुछ सालों में ये खतरे हमारे सामने और बड़ी चुनौतियों के रूप में दिखने लगेंगे। समाज और सरकारों ने व्यक्ति की बुनियादी जरूरत और जिंदगी के लिए सबसे अहम होने के बाद भी पानी को कभी अपनी प्राथमिकता सूची में सर्वोच्च स्थान नहीं दिया। हमेशा इसके लिए कामचलाऊ तरीके ही अपनाए गए। इन पर कभी भी समग्र और दूरगामी परिणामों को सोचते हुए फैसले नहीं किए गए। प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरणीय हितों की लंबे समय तक लगातार अनदेखी की जाती रही। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पानी के पारंपरिक स्रोत रहे हैं और हिमालय से आने वाली गंगा सहित अन्य नदियां इन पर निर्भर हैं। सिर्फ नदियां नहीं, इन पर आश्रित करीब चालीस करोड़ से ज्यादा लोगों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा बारिश पर होगा। बारिश की अनिश्चितता और भी बढ़ सकती है। यह जुड़ी है सीधे तौर पर हमारी खेती से। इसलिए आने वाला वक्त किसान और किसानी दोनों के लिए ज्यादा चुनौतीभरा है।

हमने अपने पारंपरिक व प्राकृतिक संसाधनों और पानी सहेजने की तकनीकों व तरीकों को भुला दिया है। स्थानीय रिवायतों को बिसरा दिया और लोगों के परंपरागत ज्ञान और समझ को हाशिये पर धकेल दिया। पढ़े-लिखे लोगों ने समझा कि उन्हें अनपढ़ों के अर्जित ज्ञान से कोई सरोकार नहीं और उनके किताबी ज्ञान की बराबरी वे कैसे कर सकते हैं! जबकि समाज का परंपरागत ज्ञान कई पीढ़ियों के अनुभव से छनता हुआ लोगों के पास तक पहुंचा था। समाज में पानी बचाने, सहेजने और उसकी समझ की कई ऐसी तकनीकें मौजूद रही हैं, जो अधुनातन तकनीकी ज्ञान के मुकाबले आज भी ज्यादा कारगर साबित हो सकती हैं।

पानी सहेजने के कुछ छोटे और खरे उपाय जैसे स्थानीय पारंपरिक जलस्रोतों को संरक्षित करने, बरसाती पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने, नदी-नालों में छोटे बांध और तालाब बनाने आदि में अब समाज और सरकार दोनों की दिलचस्पी खत्म हो गई है। इन कामों को अब अनावश्यक माना जाने लगा है। समाज को हमने कभी जल साक्षर नहीं बनाया। नई पीढ़ी के लोगों का पानी के मामले में ज्ञान बहुत थोड़ा और सतही है। उन्हें नए समय की तकनीकों और किताबी ज्ञान का बोध तो है, पर जीवन के लिए सबसे जरूरी पानी के इस्तेमाल और इस बारे में जरूरी जानकारी नहीं है। मसलन, पानी कहां से आता है, बरसाती पानी को कैसे सहेजा जा सकता है, नदियों और तालाबों के खत्म होते जाने के दुष्परिणाम क्या होंगे, इनके मनमाने दोहन का क्या असर पड़ेगा.. आदि। हमें इन मुद्दों पर समझ बढ़ानी होगी। जल-जंगल और जमीन के आपसी संबंधों को समझने की नए सिरे से कोशिश करनी होगी। अकेले बड़ी लागत की योजनाएं बना लेने या पानी के लिए हमेशा नदियों और जमीनी पानी पर निर्भर रहने भर से जल संकट का निदान संभव नहीं है।

संतोष का सागर

मनोज निगम

दुनिया मेरे आगे

बढ़ती गरमी के मौसम में दोपहर की तपन हम सबको महसूस होती है। चिलचिलाती धूप, बेहद गर्म हवा और सांय-सांय करती गाड़ियों के अलावा कुछ राहगीर उदयपुर की उबलते डामर की एक सड़क पर चलते हुए दिख जाते हैं। सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ हैं। पेड़ों की जालीदार छाया और अधिक सुकून देती दिखती है, उस प्रेमी जोड़े को भी, जो गमछा-दुपट्टे में ढंका इतनी धूप में साथ-साथ है। कुछ सन्नाटा होता है तो सिकाड़ा यानी तवरी की आवाज माहौल को और अधिक रहस्यमय बना देती है। जब मैं यह देख-समझ रहा था, तो वहां मेरे आसपास ही विद्या भवन का स्कूल दिखा।

इस स्कूल से बच्चे जब दोपहर बाद निकलते हैं तो थोड़ी देर तक उनकी चहचहाहट से माहौल खुशनुमा हो जाता है। फिर वही सन्नाटा, स्कूल के पास ही एक बड़ा-सा आशियाना है, जिस पर मोहम्मदी मंजिल लिखा था। ठीक सामने ही एक पेड़ की छांव में तीन मटकों में पानी, तीन-चार स्टील के गिलास रखे संतोष बाई मिलीं। एक टूटी हुई टाईल की पट्टी पर कुछेक सिक्के नजर आए। चिलचिलाती धूप में पेड़ की पत्तियां मुरझा जाने के बावजूद छाया और सुकून, दोनों दे रही थीं। यही संतोष बाई भी उम्र का अनुभव लिए कर रही हैं। उन्हें देख कर याद आता है कि राजस्थान की मरुभूमि के बारे में कहते हैं, कभी यहां समुद्र था और लहरों पर लहरें उठतीं थीं। काल की लहरों ने अथाह समुद्र को न जाने क्यों और कैसे सुखाया होगा!

अब यहां रेत का समुद्र है। लहरों पर लहरें अब भी उठती हैं। लगभग यही कहानी संतोष बाई की भी है, थोड़ी-सी प्यार से बात क्या कर ली कि एक लहर का झोंका अंतर्मन को झझकोर कर चला गया। एक ही साथ उन्होंने पति, एक बच्चे के न रहने के बाद जीवन की निरंतरता को बनाए रखने की कहानी सुना दी। हमारे तेज रफ्तार वाले महानगर में कोई अनजान से ऐसी बातें करता है भला! उन्होंने कहा कि मैं पानी पिलाने के पैसे नहीं लेती। कोई दे देता है तो मना भी नहीं करती। और विद्या भवन के बच्चों से तो पैसे नहीं लेती। मेरी एक बच्ची भी तो इसी स्कूल से पढ़ी है। संतोष बाई के माध्यम से इसे किसी इलाके की उदारता के रूप में भी देख सकते हैं जो कहे कि आप तो परदेसी लगते हैं, आप मेहमान हैं, आपसे पैसे क्या लेना!

एक वक्त था जब पानी पिलाना पुण्य का काम हुआ करता था। आज यह सबसे बड़ा धंधा हो गया है और इस धंधे को आगे बढ़ाने में हमारे नेता भी कम नहीं हैं। कोई हैंडपंप उखाड़ने में लगा है और कोई पानी की मशीनों को खपाने में। यह कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध किसी विचारधारा, राष्ट्रवाद या फिर तेल के लिए नहीं, पानी के भंडार के अधिकार को लेकर ही होगा। यों तो इस दौर में हर स्तर पर युद्ध जारी है, लेकिन पानी के धंधे में व्यावसायिक युद्ध का घमासान है। स्टेशनों पर देखें तो कुछ धर्मार्थ संस्थाओं के कार्यकर्ता पानी देते नजर आ जाएंगे, लेकिन बड़ी-बड़ी कंपनियों के लगाए पानी के एटीएम कितना पानी उगल रहे हैं, अध्ययन का विषय है। सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है?

असल में जैसे-जैसे शहरों का फैलाव बढ़ रहा है, हम मटकों से फ्रिज और पेड़ों से एयरकंडीशन की तरफ जा रहे हैं, वह आगे जाकर एक विकराल समस्या का रूप निश्चित रूप से लेगा ही। पानी की समस्या उसके गलत और लापरवाह प्रबंधन के कारण भी विकराल रूप ले रही है। नीति आयोग के समग्र जल सूचकांक- 2018 के मुताबिक, साठ करोड़ लोग, यानी लगभग आधी भारतीय आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। इससे भी ज्यादा बुरी खबर यह है कि उपलब्ध पानी का सत्तर फीसद हिस्सा दूषित हो चुका है। इसके अलावा, सन 2020 तक दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में भू-जल का स्तर काफी नीचे चला जाएगा और 2030 तक भारत की चालीस फीसद आबादी पीने के साफ पानी को तरसेगी। उसके बावजूद यह आंकड़ा मिल जाएगा कि पानी का सालाना धंधा हजारों करोड़ों रुपए का है और सबसे अधिक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।

ऐसा क्यों हुआ कि जो समाज पानी पिलाने को पुण्य के रूप में देखता रहा है, उसे अब बाजार के पानी पर निर्भर होने पर मजबूर कर दिया गया है? क्या हमारी सरकार ने जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के सवाल को खारिज कर दिया है और समाज ने यह सवाल उठाना बंद कर दिया है? ऐसे में संतोष बाई उस समाज की एक प्रतिनिधि के तौर पर राहत देती हैं जो कंठ की प्यास से अंतर्मन की प्यास बुझाने की एक बड़ी लड़ाई में आधुनिक 'इस्तेमाल करो और फेंको' की मानसिकता को तीन मटके सामने रख कर टक्कर दे रही हैं। वे तपती दुपहरी में एक गिलास ठंडा पानी देकर एक अजनबी से कहती हैं- 'पधारो सा..!' यह सुनते ही आंख में से एक रजत बूंद लुढ़कती है और उस प्यार के उफनते हुए संतोष के सागर में जाकर मिल मिल जाती है।

कृषि का संकट

किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही उनके लिए पेंशन योजना का ऐलान भी किया गया है। लेकिन क्या इससे किसानों की मौजूदा हालत में सुधार हो पाएगा? कृषि संकट का समाधान, किसानों की पैदावार और उनके आर्थिक हालात को बेहतर बनाना सरकार की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह संकट इतना विकराल रूप धारण कर चुका है कि उसमें सुधार के लिए सरकार को तुरंत उपाय सोचने होंगे। नीति आयोग के अनुसार पिछले दो साल यानी 2017-18 में किसानों की आय में वास्तविक बढ़ोतरी लगभग शून्य हुई है तथा उसके पिछले पांच सालों में हर साल आधा प्रतिशत से भी कम बढ़ोतरी हुई है। यानी सात सालों से किसानों की आय में वृद्धि न के बराबर हुई है।

देश में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है खेती की बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जाए। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 2000-2017 के बीच में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें उनकी फसलों का समुचित मूल्य नहीं मिला। कई दशकों से हम विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वैश्विक संस्थानों की आर्थिक सोच के मुताबिक अपनी वित्तीय नीतियां बनाते रहे और उन नीतियों को व्यावहारिक बनाने के लिए कृषि को हाशिये पर रखा जाता रहा है। 2016 के आर्थिक सर्वे में 17 राज्यों में किसान परिवार की आय 20 हजार रुपए सालाना से कम रही यानी 1,700 रुपए मासिक या लगभग 50 रुपए दैनिक। सवाल है कि इस आय में कोई परिवार कैसे पलता होगा? खेती में पैसा नहीं है, उसके मजदूरों के पास काम नहीं है। ऐसे में दो चीजें करने की जरूरत है। लोगों को गांव से निकाल कर शहर में लाना यह विकास का मॉडल नहीं है। किसानों के लिए कृषि से इतर स्थानीय रोजगार योजनाएं बनाकर उन्हें संपन्न करने की जरूरत है। इससे मांग पैदा होगी। उद्योग या एफएमसीजी उत्पादों की मांग बढ़ेगी और उद्योग का पहिया स्वतः चल पड़ेगा।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को उद्योग के लिए 'बूस्टर डोज' बताया जा रहा है लेकिन यदि गांव पर ध्यान दिया गया तो वह वृद्धि का 'रॉकेट डोज' होगा क्योंकि उससे इतनी मांग बढ़ेगी कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से दौड़ेगी। अभी हम सात फीसद के आसपास हैं, वैसा करने से हम चौदह फीसद तक भी पहुंच सकते हैं। उद्योग के लिए तो 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की बात की जाती है लेकिन किसानों के लिए 'ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग' की बात क्यों नहीं की जाती? मंडी हो, उत्पादन हो या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजा ही लेना हो, किसानों को हर कदम पर दिक्कतें आती हैं। उनकी ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। यानी कृषि को संकट से उबारने के लिए सरकार को इस क्षेत्र में निवेश, जल संकट, आधारभूत सुविधाओं के साथ ही लघु अवधि और दीर्घावधि वाले कई बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। कुल मिला कर कृषि में सुधार का रास्ता गांव के रास्ते ही जाएगा।

● *संजीव कुमार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश*

स्वार्थ के सगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को व्यापारिक वरीयता सूची यानी जीएसपी से बाहर करने से साफ हो गया है कि वे भारत से दोस्ती के अलावा कुछ और भी चाहते हैं। जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेजेस की सुविधा अमेरिका कुछ मुल्कों को देता है जिसके तहत उनके उत्पादों को अमेरिका में बिना शुल्क आयात की अनुमति है। भारत, जिससे मात्र 21.3 अरब डॉलर का घाटा है, उससे यह सुविधा वापस लेना और चीन से 566 अरब डॉलर का घाटा होने पर भी यह सुविधा बरकरार रखना ट्रंप के भारत के साथ संबंधों की हकीकत की ओर इशारा कर रहा है ।

● *उर्विजा पांडेय, रीवा, मध्यप्रदेश*

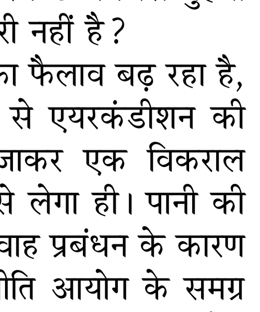

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

फिर हैवानियत

अलीगढ़ में ढाई साल की बच्ची के साथ हैवानियत की खबर सामने आई है। उसकी नृशंस हत्या करके शव कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था। मामला बच्ची के पिता और आरोपी के बीच महज दस हजार रुपए के लेन-देन का था लेकिन आरोपी ने अपना गुस्सा मासूम बच्ची पर निकाला। ऐसी विकृत मानसिकता वाले हत्यारों को न्यायालय द्वारा जल्दी से जल्दी मिसाल बनने वाली सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा अपराध करने की किसी की हिम्मत न हो।

● *बृजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद*

अलग रास्ते

जीत के सौ अभिभावक होते हैं लेकिन पराजय हमेशा लावारिस होती है। उसका आगे-पीछे कोई नहीं होता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमने देखा कैसे गठबंधन बना। आशातीत सफलता नहीं मिली तो यह गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। कल तक सपा, बसपा और आरएलडी साथ जीने-मरने की कसमें खा रहे थे पर अब तीनों ने अगला उपचुनाव अलग-अलग लड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती, जो कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थीं, अब किन कारणों से इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं? मायावती का सपा पर आरोप पूर्ण सत्य नहीं है।

यह बात ठीक है कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में आपसी फूट हो गई और दल ने ठीक से प्रदेश में प्रचार भी नहीं किया। मगर सपा का वोट बसपा को हस्तांतरित नहीं हुआ यह कहना ज्यादती होगी क्योंकि मायावती शून्य पर थीं और अब दस पर पहुंच गई हैं। दरअसल, गठबंधन के नेताओं को अति आत्मविश्वास हो गया था इसलिए अखिलेश यादव और मायावती दोनों उत्तर प्रदेश छोड़ कर अन्य प्रदेशों में प्रचार कर रहे थे। अब कार्यालय और घर में बैठकर चुनाव जीतना नामुमकिन है। नेताओं को 365 दिन जनता से जुड़ना होगा। उसके मुद्दे उठाने होंगे वरना वही हश्र होगा जो आज विपक्ष का हुआ है।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

संतों का पाखंड

साधु-संत अपने उपदेश खुद पर लागू नहीं कर पाते हैं। हरिद्वार है उत्तराखंड यानी देवभूमि का प्रवेशद्वार। साधू-संतों के ठौर-ठिकाने और आश्रम भी यहां कम नहीं। आजकल ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का प्रवास चल रहा है हरिद्वार में। अखिल भारतीय भारत साधु समाज की कार्यकारिणी की बैठक भी उन्हीं की अध्यक्षता में हुई। पर बैठक तो अखाड़े में बदल गई। साधू-संत एक दूसरे को पटखनी देने के खेल में उलझ गए। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने संजय महंत की भारत साधू समाज के प्रवक्ता पद से ही छुट्टी करा दी। समाज के कार्यकारी महामंत्री स्वामी केशवानंद ने संजय महंत पर स्वर्ग आश्रम स्थित भारत साधु समाज की कीमती जायदाद में हेराफेरी करने का आरोप जड़ दिया। साधु-संतों की इस जुबानी जंग ने समाज में उनका मान ही गिराया। वैसे संतों की जंग तो अदालतों में भी पहुंचती रही है। खुद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को ही ज्योतिष पीठ की अपनी सत्ता बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जंग लड़नी पड़ी थी। स्वरूपानंद सरस्वती को भाजपा वाले कांग्रेसी संत बताते हैं तो उनसे पीठ की जंग लड़ कर पराजित हो जाने वाले स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को विरोधी खेमा भगवा पार्टी का समर्थक कहने से नहीं चूकता।

बेबाक बोल

शून्य से दस पर पहुंचने के बाद, फायदे में रहने वालीं मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन की गांठ तोड़ते हुए उन्हें नसीहतों की गठरी पकड़ा दी। कभी ईवीएम और कभी यादव वोट स्थानांतरित नहीं करवाने के लिए सपा नेता पर ठीकरा फोड़ रहीं मायावती नई तरह की राजनीति में जनता के मिजाज को नहीं समझ पा रही हैं। उम्मीदों की चिता की राख ठंडी होने से पहले उन्होंने अपनी महत्त्वाकांक्षा की जो मीनार खड़ी की है उसे देख ही जनता ने इन नेताओं पर भरोसा करना छोड़ दिया है। आज अपनी सत्ता लोलुपता को सामने रख कल ईवीएम पर दोष मढ़ना है। क्या ऐसे नेताओं के कारण ही जनता ने लोकतंत्र का रसायन बदल दिया है, यही समझने की कोशिश करता बेबाक बोल।

गुबार देखते रहे...

मुकेश भारद्वाज

उम्मीदों का अखिलेश हो जाना...

यह समाज और राजनीति पर नए मुहावरे गढ़ने का समय है। राजनीति के मंच से जब निजी संबंधों वाली संवाद अदायगी हो, बुआ-भतीजे का रिश्ता हो, बहू का चरण स्पर्श हो तो फिर स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से जैसे हालात में पहुंचे नायक के लिए और क्या कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा गठबंधन तोड़ने के बाद मायावती का फिर मिलेंगे अंदाज में अलविदा कहते ही अखिलेश की जो हालत हुई है, शायद उसे ही शब्दकोश में विडंबना का नाम दिया गया है।

ऊपरी तौर पर देखें तो लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद राहुल गांधी हार का सबसे बड़ा चेहरा लग रहे हैं। लेकिन दूरबीन को उत्तर प्रदेश की ओर ले जाने पर सामने अखिलेश यादव की हालत देख कर शायद राहुल गांधी गुनगुना दें कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है।

सास-बहू और बेटा की कहानी वाले इस राजनीतिक सोप ओपेरा को प्रधानमंत्री ने महामिलावट का नाम देकर कहा था कि यह नहीं चलेगा। इसके जवाब में सपा और बसपा के दोनों नेताओं ने कहा था कि यह सिर्फ राजनीतिक गठबंधन ही नहीं है, यह आगे भी चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की कही बात सच साबित हुई और लोकसभा नतीजों में उम्मीदों की चिता की राख ठंडी होने के पहले ही मायावती ने एलान कर दिया कि बसपा अकेले लड़ेगी उपचुनाव। उन्होंने कहा, 'बसपा उपचुनाव अकेले लड़ेगी, गठबंधन पर ब्रेक नहीं लगा है, हमारे रिश्ते कभी खत्म नहीं होंगे, अगर आगे अखिलेश पार्टी में सुधार करते हैं और बदलाव करते हैं तो हम आगे साथ रह सकते हैं'। मायावती ने कहा कि जब सपा को ही यादवों का वोट नहीं मिला तो बसपा को उनका वोट कैसे मिला होगा।

पिछले पांच सालों में राजनीति की जो दशा और दिशा तय हुई है उसने सबको उलझन में डाल दिया है। खासकर उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों ने तो राजनीतिक पंडितों, टिप्पणीकारों और विश्लेषकों को दूसरी बार फेल करार दिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने भाजपा के जयकारे के साथ हर जगह सन्नाटा पसरा दिया था। नोटबंदी जैसे कड़े फैसले के बाद भाजपा को उत्तर प्रदेश में हारी हुई पार्टी माना जा रहा था। लेकिन मोदी के नाम पर बंपर वोट पड़ने और योगी के मुख्यमंत्री बनते ही राजनीतिक टिप्पणीकार अवसाद में चले गए थे। लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संजीवनी पा मूर्छा से बाहर आए और फिर फलां-फलां जाति के वोट गिन सपा-बसपा की सरकार बनवाने लगे। अब नतीजों के बाद दिल बहलाने के लिए बस 'जीत का सन्नाटा' बचा है।

दुखद यह रहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फेल होने के बाद भी न तो नेता और न बुद्धिजीवियों ने अपने ज्ञान चक्षु खोलने के लिए मेहनत की। बस जाति के समीकरण के रट्टे लगाए। मंडल बनाम कमंडल के खारिज पाठ्यक्रम को मुख्यधारा में लाने की कोशिश करते रहे। हां, इस बार खामोश मतदाता और अंडर करंट का जुमला जरूर उछला। लेकिन मतदाता खामोशी से अंडर करंट का 440 वोल्ट का झटका देंगे ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था।

इन सबके बाद भी मायावती के विश्लेषण में वही जाति पुराण और हारे को हरिनाम के लिए ईवीएम तो है ही। अखिलेश यादव से शिकायत कि यादवों का वोट नहीं दिला पाए। मायावती इस बार दस सीटों से लाभ में हैं इसलिए उन्हें अभी भी जाति में ही उम्मीद दिख रही है। लेकिन सब कुछ लुटाए बैठे अफसोस कर रहे अखिलेश को बदली राजनीति का ककहरा समझ में आ रहा होगा।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद विपक्ष मैदान से बाहर था। कुछ प्रेस वार्ता और प्रेस विज्ञप्तियों के अलावा बहुजन और समाजवादी नेता की जमीन से जुड़ने की कोई कवायद नहीं दिखी। मायावती का राजनीतिक संघर्ष एक इतिहास है और महज जाति की जोड़तोड़ से प्रधानमंत्री बनने की महत्त्वाकांक्षा उनका वर्तमान। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा परिवार के मुखिया और उनके सदस्यों को इतनी सीटें मिली थीं कि वे खाने की मेज पर संसदीय दल की बैठक कर सकें। लेकिन उसके बाद जनता ने चाचा-भतीजा की लड़ाई देखी, पिता का बेटे को दिया धोबी पछाड़ देखा। सत्ता के लिए सौतेली मां, भाइयों का झगड़ा देखा और अगर कुछ नहीं देखा तो वह थी जनता के बीच जाकर जमीनी लड़ाई।

लखनऊ में मायावती और अखिलेश यादव की साझा प्रेस वार्ता के पीछे दीवार पर लोहिया और आंबेडकर की तस्वीर और मायावती के पांव छूते हुए तेजस्वी यादव के पीछे आंबेडकर की तस्वीर का विश्लेषण कर सीटों की गिनती करने वाले विश्लेषक यह बताना भूल गए थे कि मुलायम सिंह यादव या लालू यादव के पुत्र होने के अलावा इन्होंने लोहिया और आंबेडकर के विचारों को आगे ले जाने के लिए किया क्या है। अब लोहिया और आंबेडकर की सिर्फ तस्वीरों से वोट आपके खाते में नहीं आने वाला है। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के संघर्ष का परिणाम वोटों के रूप में मिला था। लेकिन उनके संघर्षों का वोट उनके बेटों के खातों में हस्तांतरित करने से जनता साफ इनकार कर चुकी है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में सपा और कांग्रेस 'यूपी को यह साथ पसंद है' नारे के साथ आई, जिसे जनता ने खासा नापसंद किया था। गेस्ट हाउस कांड को भुला जब दो अलग-अलग जमीनों वाले लोग आ मिले तो मतदाताओं को इसमें मिलावट दिखी। बड़े समीक्षक तो ताड़ नहीं सके लेकिन आम जनता ने इस सुविधा की शादी में बाराती बनना पसंद नहीं किया।

यहां पर सवाल है कि क्या ऐसे चुनावी गठबंधन का समय उठ गया है? देश के लोकतंत्र ने एक रैखिक दिशा में चलना तय किया है। जनता राजनीतिक दलों से उम्मीद कर रही है कि जो भी करें ठोस करें। आज के दौर में भाजपा की पहचान यह है कि दो से लेकर तीन सौ पार तक के सफर में अपनी पहचान के साथ समझौता नहीं किया और फिलहाल जनता ने उसकी स्थिरता के साथ स्थिर रहना कबूल किया है।

कई खांचों में बंटे देश में भाजपा के लिए राष्ट्रवाद पर टिकना आसान न था, पर उसने यह खतरा उठाया और प्रचंड जीत का लाभ लिया। भाजपा की यह राष्ट्रवादी जीत ही सबसे बड़ा संदेश है। दीवारों पर सिर्फ लोहिया की तस्वीर लगाने से कुछ नहीं होगा, अगर आप समाजवादी हैं तो यह सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा आपको दिखना भी होगा। चुनावों के समय भले आप साइकिल निकाल लें पर जनता की आंखों में जगुआर और अन्य शाही कारों के काफिले की तस्वीरें कैद हैं। जनता किसी उद्योगपति के संघर्ष पर विश्वास कर लेती है कि कल तक उसका पिता केले बेच रहा था तो आज बेटा शेयर बाजार का बेताज बादशाह है। पर नेताओं ने खुद को इतना अविश्वसनीय बना डाला है कि वे जलते अंगारों पर नंगे पांवों से चलकर भी बोलें कि विदेशी कारों का काफिला और ढेर सारे मकान या प्लॉट उनकी मेहनत की कमाई के हैं तो भी जनता विश्वास नहीं करेगी। महंगी कारें, सैफई में नाचते-गाते फिल्मी सितारे और थोक के भाव में यश भारती पुरस्कार आपको कोई यश नहीं दिला पाए।

साइकिल सेहत के लिए अच्छी है, इसे सिर्फ चुनावों के समय नहीं निकालें। अब पिता की विरासत छोड़ अपना 'जन-धन' खाता खोलें। शून्य संचय के साथ शुरुआत ही आपको समाजवाद समझा पाएगा। सोशल इंजीनियरिंग में फेल हो चुके हैं इसलिए समाजशास्त्र का नया पाठ्यक्रम पढ़िए।

राजपाट

वजह कुछ और

महागठबंधन इतनी जल्दी क्यों बिखर गया यूपी में। किसी को समझ नहीं आ रहा। कमाल तो यह है कि बिखराव की पहल खुद मायावती ने कर डाली, जो मोदी की सुनामी में भी दस सीटें जीत गईं। घाटे में तो अखिलेश यादव रहे। पिछली दफा जहां मायावती शून्य पर निपटी थीं, वहीं सपा को परिवार की पांच सीटों पर अपने दम पर ही सफलता मिल गई थी। इस बार तो बसपा और रालोद के गठबंधन से ही उतना फायदा नहीं मिला। लेकिन हार के कारणों पर न मंथन की कोई जल्दबाजी दिखी और न बसपा या रालोद पर तोहमत लगाने की। मायावती कैसे नकार सकती हैं कि सपा के साथ आने से उन्हें फायदा नहीं हुआ। उन्होंने महज सारे यादव और जाट वोट महागठबंधन को नहीं मिलने की आड़ लेकर सपा और रालोद से पीछा छुड़ाया। पर हकीकत उलट है। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, जौनपुर और गाजीपुर जैसी सीटें मायावती महज इस वजह से जीत पाईं क्योंकि मुसलमानों का ध्रुवीकरण महागठबंधन के पक्ष में हो गया। सहारनपुर में कांग्रेस के इमरान मसूद और बिजनौर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को छोड़ लगभग सभी मुसलमान बसपा के साथ गए। जबकि 2014 के चुनाव में मुसलमान सपा, बसपा और कांग्रेस में बंट गया था। सपा साथ न होती तो बंटवारा इस बार भी रोकना मुश्किल होता। यह हकीकत किससे छिपी है कि मायावती केवल अपने दलित वोट बैंक के बूते तो एक भी सीट नहीं जीत सकतीं। सो, उनका इस तरह जल्दबाजी में गठबंधन तोड़ने और आने वाले दिनों में सूबे की 11 विधानसभा सीटों का उपचुनाव अकेले लड़ने का एलान करना किसी राज की बात का संकेत है। जिसे लेकर सियासी हलकों में अटकलें लग रही हैं। एक अटकल तो यही है कि विभिन्न जांच एजंसियों के शिकंजे में फंसी मायावती ने खुद को बचाने के फेर में गठबंधन तोड़ कर विपक्ष के बिखराव के भाजपाई मंसूबे को परवान चढ़ाने की पहल की है। दूसरी अटकल अगली बार उनके भाजपा से हाथ मिलाने की भी है। आखिर चार में से तीन बार तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद उन्हें भाजपा की बदौलत ही नसीब हुआ था।

कलह से अटकलें

टोटे में लड़ाई हो ही जाती है तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की अंतरकलह तेज हुई है तो इसमें अचरज नहीं होना चाहिए। वैसे भी सूबे के पार्टी नेता इस हार से हैरान ही नहीं सदमे की हालत में हैं। छह महीने पहले ही तो वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सूबे की भाजपाई सरकार को सत्ता से बेदखल किया था कांग्रेस ने। इसी बूते उम्मीद थी कि 25 में से कम से कम आठ-दस सीटें तो झोली में आ ही जाएंगी। हुआ एकदम उलट। उधर, सूबे की अशोक गहलोत सरकार का बहुमत भी मामूली ठहरा। बसपा के छह और 12 निर्दलियों के भरोसे टिके हैं गहलोत। बसपा के विधायक मायावती पर बेशक सीधे न सही पर परोक्ष रूप से तो दबाव बना ही रहे हैं कि अगर सरकार उनकी मदद से चल रही है तो फिर वे सत्ता में शिरकत क्यों न करें? बाहर से मुफ्त में समर्थन से क्या फायदा? अजित सिंह के रालोद को एक सीट मिली थी। गहलोत ने इकलौते रालोद विधायक को मंत्री पद दे रखा है। ऐसे में बसपा और निर्दलीय विधायकों की ललक भी बढ़ना स्वाभाविक है। पर अशोक गहलोत बेबस दिखते हैं। वे तो कांग्रेस के कद्दावर विधायकों के साथ भी इंसाफ नहीं कर पाते। एक दर्जन विधायक तो ऐसे हैं जो अतीत में कभी न कभी मंत्री रह चुके हैं। जाहिर है कि सूबे की सरकार ऊहापोह की हालत में है। ऊपर से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के मतभेद अब सतह पर दिख रहे हैं। कुछ विधायक जहां लोकसभा चुनाव की हार का ठीकरा मुख्यमंत्री के सिर फोड़ कर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, तो खुद अशोक गहलोत भी अपनी पीड़ा छिपा नहीं पा रहे। वे चाहते हैं कि उनके बेटे वैभव की जोधपुर में हुई करारी हार का जिम्मा सचिन पायलट ही लें। बेटे के मोह में फंसे गहलोत को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी का कोपभाजन भी होना पड़ा। वैसे राजस्थान के कांग्रेसी भी अब दलील दे रहे हैं कि पार्टी सब जगह हारी है। खुद अध्यक्ष ही अपने गढ़ अमेठी को नहीं बचा पाए। सत्तारूढ़ दल की अंदरूनी कलह का असर सरकार के प्रदर्शन पर भी पड़ ही रहा है। वजह यह है कि नौकरशाह सरकार के भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलों में उलझ रहे हैं।

खतों से जंग

सियासी कटुता की पराकाष्ठा देखनी हो तो पश्चिम बंगाल पर गौर कीजिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच जारी सियासी शत्रुता और तेज हुई है। हिंसा और आरोप-प्रत्यारोप से आगे अब यह जंग पोस्टकार्ड (खत) युद्ध में तब्दील हो चुकी है। भाजपा ने जहां जय श्रीराम लिखे दस लाख खत ममता बनर्जी को पोस्ट कराने का अभियान छेड़ रखा है वहीं ममता बनर्जी भी पीछे रहने वाली कहां? उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जय बांग्ला-जय हिंदी लिखे बीस लाख खत भिजवाने का एलान किया है। कोलकाता से सटे दमदम इलाके में शुरुआत के तौर पर तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने दस हजार खत तो प्रधानमंत्री के पते पर पोस्ट भी कर दिए हैं। दक्षिण दमदम के निगम पार्षद देवाशीष बनर्जी जब इन खतों को लेकर पोस्ट आफिस पहुंचे तो वहां का अमला हैरान रह गया। बकौल बनर्जी जय श्रीराम लिखे खत भेजने का आइडिया बैरकपुर से लोकसभा में पहुंचे भाजपा नेता अर्जुन सिंह का है। उन्हीं के उकसाने पर कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के काफिले के सामने जयश्रीराम के नारे लगाए थे। ममता की नाराजगी और नारे लगाने वाले कुछ लोगों की गिरफ्तारी का अपने तईं जवाब देने की रणनीति है खत भेजना। सो, तृणमूल कांग्रेस तो इक्कीस ठहरी। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने इस बार अपनी ताकत लोकसभा की दो सीटों से बढ़ाकर 18 तक पहुंचाई है। इसके बावजूद दोनों दलों में हिंसक संघर्ष का दौर थमा नहीं। चुनाव के बाद भी आधा दर्जन लोग इस लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके हैं। ममता और भाजपा दोनों ही हिंसा का आरोप एक-दूसरे पर मढ़ रहे हैं। ममता तो एकदम कामरेड रूप में आ चुकी हैं। तभी तो भाजपा को चेतावनी देने के लिए नारा लगा दिया- जो हमसे टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं।
हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

नए नुस्खे का हो हौसला

बेशक कांग्रेस की जड़ को दीमकों ने खोखला कर दिया है। लेकिन निजात पाने की कोशिशों में कहीं पुराना दरख्त जमींदोज न हो जाए। दल में नई जान फूंकने के लिए एक करिश्माई चेहरे की जरूरत होगी जो सियासत के पुराने सिलेबस से निकल कर रसायन के नए नुस्खे आजमाने का हौसला रख सके।

-एमके मिश्रा, मां आनंदमयीनगर, रातू, रांची, झारखंड।

नई ऊर्जा के साथ आएं

राहुल को अविलंब अपने पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस को बचाने के महायज्ञ में अपनी आहुति देनी चाहिए। गांधी परिवार के चाटुकारों ने राहुल को आगे कर अपने स्वार्थी मकसद का ताना-बाना बुना है। भाजपा का कांग्रेस-मुक्त भारत का सपना सच न हो इसके लिए गुटों में बंटे सभी कांग्रेसजनों को एक होकर नई ऊर्जा के साथ सामने आना होगा।

-पारस एफ खेमसरा, 205 तिरुपति विहार, सांवेर, इंदौर, मध्य प्रदेश।

जमीनी लड़ाई लड़ें

समय आ गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर आम लोगों के बीच जाएं। गरीबों, मजदूरों, आत्महत्या करते किसानों, बेरोजगार नौजवानों के लिए जमीनी लड़ाई लड़ें। इस कुव्यवस्था के जनक भी कांग्रेस के अर्थशास्त्री ही हैं। मंदसौर में उन किसानों के परिजनों को राहुल की जरूरत है जिन्हें अपने हक के लिए प्रदर्शन करने पर गोली मार दी गई थी। उनके संघर्ष के लिए पूरे हिंदुस्तान की जमीन है।

-निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद।

गलतियां सुधारें

अगर कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त हो भी जाती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि फिर कांग्रेस में ईमानदार और निःस्वार्थी लोग ही आएंगे? कांग्रेस को अभी भी विभिन्न राज्यों में मिल रही हार का मंथन कर लेना चाहिए और प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसा चेहरा तलाशना चाहिए जो राजनीति और सरकार चलाने के काबिल हो, जिस पर देश भी भरोसा करे। कांग्रेस की गिरती साख लोकतंत्र के लिए भी खतरे की घंटी है। देश में एक ही पार्टी का बढ़ता वर्चस्व तानाशाही सरकार को जन्म दे सकता है। राहुल गांधी को अपने पूर्वजों की उन गलतियों को भी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, जो देश के लिए उचित नहीं थी।

-राजेश कुमार चौहान, जलंधर।

परीक्षा की घड़ी

2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए डूबता हुआ सूरज साबित हुआ, जिसे देखकर राहुल गांधी घबरा गए और अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की ओर बढ़ चले। राहुल गांधी की इसी कमजोरी के कारण कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस इस हार से सबक ले और अपने अध्यक्ष राहुल गांधी को धैर्यवान, कर्मयोगी, दृढ़निश्चयी व आत्मविश्वासी बनने की शिक्षा दे। उन्हें पता होना चाहिए कि सोने में चमक तभी आती है, जब वह आग में तपता है। हमारा प्राचीन ग्रंथ भी यही कहता है कि हमें उषा काल की किरण चाहिए, तो अमावस्या की घोर काली रात से होकर गुजरना पड़ेगा। यह कांग्रेस की परीक्षा की घड़ी है।

-नितेश कुमार सिन्हा, मोतिहारी,बिहार

न जाने क्या किया

मुकेश भारद्वाज की राहुल गांधी को जनता के बीच जाने की सलाह सहरानीय है। राजपाट के नशे में चूर, पाश्चात्य संस्कृति से मंत्रमुग्ध राहुल और उनके रीतिकाल जैसी चाटुकारिता से भरे दरबारियों को उन्हीं के हित की सलाह भी नागवार गुजरेगी। अभी तो न जाने क्या किया।

-राज सचदेवा

राजनाथ सिंह को चार और कैबिनेट समितियों में जगह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जून।

• देर रात रक्षा मंत्री को राजनीतिक, संसदीय, निवेश और विकास, रोजगार और कौशल विकास की समितियों में शामिल करने का हुआ फैसला

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजनीतिक, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समितियों के साथ ही निवेश और विकास, रोजगार और कौशल विकास की भी कैबिनेट कमेटियों में शामिल किया गया है। इस प्रकार वह अब छह कमेटियों से जुड़े फैसलों में शामिल रहेंगे। इससे पहले राजनाथ सिंह को जिन दो कमेटियों में जगह मिली थी, उसमें से एक सुरक्षा पर बनी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) और दूसरी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) थी।

अन्य चार कमेटियों में उन्हें शामिल करने का फैसला गुरुवार की देर रात किया गया। इससे पहले राजनाथ सिंह को संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी और राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में शामिल नहीं किया गया था। नीतिगत फैसलों के लिहाज से इन दोनों कमेटियों को बेहद अहम माना जाता है। इन अहम समितियों के अलावा राजनाथ सिंह को निवेश और विकास की कैबिनेट कमेटी, रोजगार और कौशल विकास की कैबिनेट कमेटी में भी जगह दी गई है।

मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी राजनाथ सिंह राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समितियों में शामिल थे। राजनाथ सिंह अब छह कैबिनेट कमेटियों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इतनी ही कैबिनेट कमेटियों का हिस्सा हैं।

वहीं गृहमंत्री अमित शाह सभी आठ कमेटियों में शामिल किए गए हैं। शाह के बाद निर्मला सीतारमण आठ में से सात कमेटियों का हिस्सा हैं। इसके अलावा रेलमंत्री पीयूष गोयल पांच, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चार कमेटियों में शामिल किया गया है।

संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी में राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, राम विलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, थावर चंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर और प्रह्लाद जोशी शामिल किए गए हैं।

रिजर्व बैंक ने फंसे कर्ज की वसूली के नए नियम जारी किए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जून।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने फंसे कर्ज यानी एनपीए की पहचान के लिए शुक्रवार को नए नियम जारी किए। इन नियमों के तहत बैंकों को कर्ज अदायगी में पहली चूक के 30 दिन के भीतर उस खाते को संकटग्रस्त खाते के रूप में जिक्र करना जरूरी होगा। इससे पहले फरवरी, 2018 में जारी परिपत्र के तहत एक दिन की चूक पर भी खाते को एनपीए घोषित कर समाधान की कार्रवाई शुरू करना जरूरी कर दिया गया था।

इससे पहले, 12 फरवरी, 2018 में जारी परिपत्र के तहत एक दिन की चूक पर भी खाते को एनपीए घोषित कर समाधान की कार्रवाई शुरू करना अनिवार्य कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी के परिपत्र को रिजर्व बैंक के अधिकार के बाहर बताते हुए उसे खारिज कर दिया था। रिजर्व बैंक ने कहा कि नई व्यवस्था कर्ज समाधान की पहले से चल रह सभी योजनाओं का स्थान लेगी। नई व्यवस्था तत्काल लागू हो गई है। फिलहाल अवरुद्ध कर्ज खातों के समाधान के लिए संकटग्रस्त संपत्तियों को पुनर्जीवित करने की कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्गठन योजना, मौजूदा दीर्घकालिक परियोजना कर्जों का लचीला ढांचा, रणनीतिक कर्ज पुनर्गठन योजना (एसडीआर) और फंसी हुई संपत्ति का सतत पुनर्गठन (एस4ए) शामिल है।

आरबीआइ ने कहा कि इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद भी वह खुद ब खुद बैंकों को कर्ज नहीं चुकाने वाली किसी कंपनी के खिलाफ दिवाला कानून के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है। आरबीआइ का नया परिपत्र फंसे कर्ज की जल्द पहचान, उनकी सूचना देने और समयबद्ध समाधान की रूपरेखा प्रदान करता है।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि कर्ज देने वाले बैंकों/ वित्तीय संस्थानों को कर्ज वसूली में दिक्कत शुरू होते ही उसको विशेष उल्लेख वाले खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करना होगा। यदि कोई बैंक, वित्तीय संस्थान, सूक्ष्म वित्त बैंक या एनबीएफसी किसी कर्जदार के कर्ज भुगतान में चूक करने की सूचना देता है तो सभी कर्जदाताओं को 30 दिन के भीतर उसकी समीक्षा करनी होगी।

इस अवधि में कर्जदाता उस खाते के समाधान की रणनीति पर फैसला कर सकते हैं। इसमें समाधान योजना (आरपी) की प्रकृति और योजना के क्रियान्वयन के लिए दृष्टिकोण शामिल होंगे।

राजस्थान : हार की समीक्षा के बाद कांग्रेस नेताओं पर गिरेगी गाज

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 7 जून।

राजस्थान में सत्ता होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार की अब बूथवार समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ही तय होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार रहा फिर ऐसे नेताओं पर गाज गिराई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट का कहना है कि जिलों से सभी बूथों की रिपोर्ट मंगाई गई है। इसमें इन बूथों की जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं की पहचान भी की जाएगी।

राज्य में हार के बाद कांग्रेस सदमे की स्थिति में है। प्रदेश में छह महीने पहले ही भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सरकार बनाने के बाद कांग्रेस इस बार 2014 से भी बुरी तरह से हार गई। कांग्रेस आलाकमान को इस बार राजस्थान से ज्यादा सीटों की उम्मीद थी। हार के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग भी खूब चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के गुटों में पार्टी बंट गई है। इन हालातों में जमीनी कार्यकर्ता पूरी तरह से हताश हो गया है। गहलोत का कहना है कि पार्टी इस सदमे से जल्द उबर जाएगी। कार्यकर्ता फिर पूरी तरह से मैदान में जनता के बीच अपनी पैठ बना लेंगे। राज्य सरकार जनहित में कई कदम उठा रही है। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस के मुखिया पायलट का कहना है कि हार के बाद सभी मंत्री और पदाधिकारी अपने काम में फिर से जुट गए हैं। हार के कारणों की समीक्षा का काम चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट बना कर आलाकमान को भेज देगी।

इस बीच टोडाभीम के विधायक पीआर मीणा को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है। प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे का कहना है कि मीणा को सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए था। इस पर उनसे जवाब मांगा गया है। मीणा ने हार के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का जिम्मेदार ठहराते हुए नेतृत्व में बदलाव की मांग की थी। पांडे ने तमाम कांग्रेस नेताओं से सार्वजनिक बयानबाजी से दूर रहने को कहा है। पांडे का कहना है कि हार की हर स्तर पर समीक्षा की जा रही है। इसके बाद ही फैसले लिए जाएंगे। दौसा के विधायक मुरारी लाल मीणा ने तो संगठन और मंत्रिमंडल में बदलाव की बात उठा दी है। इसको लेकर भी पार्टी में घमासान मच गया है।

पुलवामा : सुरक्षाबलों ने जैश के चार आतंकी मार गिराए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बलों द्वारा बरती जा रही उच्चस्तरीय सुरक्षा में शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी, जब जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 18 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सेना ने चार आतंकियों को मार गिराया। इन आतंकियों में दो फरार एसपीओ भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में जैश ए मोहम्मद का दामन थामा था।

पुलवामा के पंजारण इलाके में सेना ने आतंकियों के समूह को घेर लिया था। वहां मुठभेड़ शुक्रवार शाम तक चली। इस अभियान में सेना के अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष एसओजी कमांडो और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हुए। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक, आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना के आधार पर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया।

मारे गए आतंकवादियों की पहचान पंजारण (पुलवामा) के रहने वाले आशिक हुसैन गनई और अरिहाल (पुलवामा) निवासी इमरान अहमद भट के रूप में की गई है। भगोड़े दोनों एसपीओ की पहचान उठमुल्ला (शोपियां) के मोहम्मद सलमान खान और तुजान (पुलवामा) के शब्बीर अहमद डार के रूप में की गई है।

पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर धावा बोलने जाते जवान।

तलाशी अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। प्रवक्ता ने बताया कि गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इसके बाद घंटों चली मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के दो आतंकवादियों और हाल ही में पुलिस बल छोड़ कर जैश के आतंकी बने दो विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) मारे गए।

आतंकवादियों के बारे में ब्योरा देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि गनई की इलाके में कई आतंकी हमलों की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के मामलों में तलाश थी।

इसी तरह भट भी इलाके में सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर कई आतंकी हमलों में शामिल रहा और दोनों के खिलाफ आतंक के कई मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला-बारूद सहित बरामद किए गए हैं।

डोडा में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जून।

जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को एक आतंकी ठिकाने का पता लगाया और वहां से हथियार एवं गोला बारूद बरामद किया। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक, भद्रवाह के चिल्ली-बल्ला इलाके में एक गोशाला में बने इस आतंकी ठिकाने और वहां संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में गुप्त सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय राइफल्स ने पुलिस बल के साथ मिलकर गुरुवार रात संयुक्त अभियान चलाया।

शुक्रवार सुबह 'ढोक' (मिट्टी या लकड़ी की बनी झोपड़ी), गोशालाओं और घरों में व्यापक तलाशी अभियान के दौरान अब्बास अहमद की गोशाला से हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया। तलाशी के दौरान एके-47 के हिस्से और 12 बोर बंदूक के अलावा एके-47 की 64 राउंड गोलियां, एक राउंड एसएलआर, एक मोटोरोला रेडियो सेट, बैटरियां बरामद की गईं।

इमरान ने दूसरी बार की वार्ता की पेशकश

पेज 1 का बाकी

महत्त्वपूर्ण मामलों पर बातचीत करना चाहता है और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है। कुरैशी का यह पत्र पाकिस्तानी विदेश सचिव सोहेल महमूद के ईद पर भारत दौरे के तुरंत बाद आया है। सोहेल महमूद ने ईद पर दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी थी। हालांकि, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि उनकी यात्रा निजी थी और उनके एवं किसी भी भारतीय अधिकारी के बीच कोई बैठक निर्धारित नहीं थी।

बताते चलें कि बीते 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में और खटास आ गई है। इस हमले को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया था। इसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। भारत के सैन्य विमानों द्वारा 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने पर हमले के बाद अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश की। इसके साथ ही दोनों दोनों देश लगभग युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे।

इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए एक साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। जवाब में मोदी ने क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद मुक्त माहौल एवं भरोसा बहाली का माहौल बनाने का आह्वान किया।

आंध्र प्रदेश : सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत, चार घायल

तिरुपति, 7 जून (भाषा)।

तिरुपति से करीब 20 किलोमीटर दूर गुरावराजुपल्ले के निकट ट्रक से कार के टकरा जाने के कारण दो महिलाओं सहित छह लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि पांच लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि दो अन्य घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। सुबह हादसा उस समय हुआ, जब गुंटूर जिले के अचमपेट मंडल के रुद्रवरम गांव के दस तीर्थयात्रियों को लेकर कार तिरुमला की ओर जा रही थी और यह एक खड़े ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने संदेह व्यक्त किया है कि कार के चालक को झपकी आ गई होगी, जिसके कारण दुर्घटना हुई।

पुलिस ने बताया कि घायलों को यहां के एसवीआरआर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जम्मू में आइएसआइ के छह जासूस पकड़े गए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जून।

पाकिस्तानी खुफिया एजंसी 'इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस' (आइएसआइ) द्वारा जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को फिर से जीवित करने के एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों के पास से रणनीतिक स्थानों की तस्वीरें और वीडियो जब्त किए गए हैं।

सभी छह जासूस अपने आका के साथ सीधे संपर्क में थे, जो आइएसआइ के कश्मीर प्रकोष्ठ में कर्नल स्तर का अधिकारी है। उसकी पहचान सिर्फ उसके पहले नाम इफ्तिखार से हुई है। जासूसों के संपर्क सीमा पार स्थित आतंकवादी समूह हिज्ब उल मुजाहिदीन से भी थे। इनके नाम हैं- मुश्ताक अहमद मलिक, नदीम अख्तर, सद्दाम हुसैन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शफी और सफदर अली।

सबसे पहले दो जासूसों को मई में जम्मू में रत्नुचक सैन्य स्टेशन के बाहर वीडियो बनाने और तस्वीरें खींचने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। आतंकवादियों ने संवेदनशील सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की है और हाल ही में दिसंबर में उन्होंने एक चौकी पर तैनात एक संतरी पर गोलियां चलाई थीं।

पूछताछ के दौरान डोडा जिले के मुश्ताक अहमद मलिक (38) और कठुआ जिले के नदीम अख्तर (24) ने सुरक्षा अधिकारियों को बताया कि उन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे आकाओं द्वारा निर्देशित किया जा रहा था। दोनों ने जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तानी जासूसों के रूप में काम कर रहे चार अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी दी। उस जानकारी के आधार पर सद्दाम हुसैन, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद शफी (सभी कठुआ जिले से) और सफदर अली को गिरफ्तार किया गया।

जासूसों ने खुलासा किया कि उन्हें आइएसआइ अधिकारी द्वारा क्षेत्र में युवाओं की भर्ती कर जम्मू में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने का काम सौंपा गया था।

थाना प्रभारी सहित पांच सिपाही निलंबित

पेज 1 का बाकी

हत्यारों के परिवार वालों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उन्होंने पिता को आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए तेजी से न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।

इस बीच, लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) आनंद कुमार ने बताया कि बच्ची का शव उसकी मौत के 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि हम पूरी संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। फिलहाल जांच हमारी प्राथमिकता में है। साथ ही इसमें पॉक्सो अधिनियम का प्रयोग किया जाएगा। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी भेजा जाएगा। ऐसे अपराधियों को सजा दिलाना हमारी प्राथमिकता है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों गिरफ्तार आरोपियों जाहिद और असलम ने जुर्म कबूल कर लिया है। महज 12 हजार रुपए के लिए इस अपराध को अंजाम दिया गया। यह रकम बच्ची के पिता ने उधार ली थी और वे इसे वापस नहीं कर पा रहे थे। बच्ची कस्बे से 30 मई को गायब हो गई थी। पुलिस को उसका क्षत-विक्षत शव दो जून को उसके घर के निकट ही कूड़े के पास मिला। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की बात नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गला घोंटने के कारण मौत हुई। कुलहरि ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। टप्पल जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है। कस्बे में एहतियातन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बुधवार को यहां तनाव व्याप्त हो गया था।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक बयान में कहा कि राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार को तत्काल कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए तत्काल और कड़े से कड़ा दंड देने की आवश्यकता है।

कैबिनेट की पहली बैठक 12 को

पेज 1 का बाकी

कि इस बैठक में सभी 57 केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में अगले पांच साल के लिए सरकार की कार्ययोजना तैयार करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा और मोदी इस संबंध में मंत्रियों को जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि इसी दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी बैठक होगी।

नए लोकसभा अध्यक्ष व बजट पर चर्चा

पेज 1 का बाकी

चर्चा की। अस्थायी अध्यक्ष नए सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की और उनसे संसद के सत्र के सुचारू कामकाज के लिए उनकी पार्टी का सहयोग मांगा।

'विदेशी' घोषित पूर्व सैनिक को दी जमानत

गुवाहाटी, 7 जून (भाषा)।

न्यायाधिकरण द्वारा 'विदेशी' घोषित किए जाने के बाद हिरासत शिविर में भेजे गए कारगिल युद्ध में भाग ले चुके सैनिक मोहम्मद सनाउल्ला को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मनोजीत भुइयां और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार डेका की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की और 20-20 हजार रुपए के दो मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी।

पीठ ने कहा कि सनाउल्ला कामरूप के पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बिना जिले से बाहर नहीं जा सकते। सनाउल्ला कामरूप के निवासी हैं। अदालत ने केंद्र, असम सरकार और विदेशियों के लिए न्यायाधिकरण, बोको सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए।

सनाउल्ला को शनिवार को हिरासत केंद्र से रिहा किए जाने की उम्मीद है। उनके परिवार के सदस्यों ने न्यायाधिकरण के 23 मई के आदेश के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं।

सनाउल्ला उन 40 लाख लोगों में शामिल हैं, जिनके नाम पिछले साल प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के अंतिम मसौदे में शामिल नहीं किए गए।

यूपी में आंधी-तूफान ने ली 26 लोगों की जान

लखनऊ, 7 जून (भाषा)।

57 लोग हुए घायल

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया एलान।

• मैनपुरी में सबसे अधिक छह मौतें हुईं। एटा और कासगंज में तीन-तीन लोगों के मरने की खबर।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने से कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई और 57 अन्य घायल हो गए।

प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय ने शुक्रवार को बताया कि मैनपुरी में सबसे अधिक छह लोग मारे गए हैं, जबकि एटा और कासगंज में तीन-तीन लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि बाराबंकी और फर्रुखाबाद में दो-दो लोगों की मृत्यु हुई है। राहत आयुक्त के कार्यालय के अनुसार, इसके अलावा मुरादाबाद में खराब मौसम के बीच गिरी बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बदायूं, पीलीभीत, मथुरा, कन्नौज, संभल और गाजियाबाद में भी ऐसी घटनाओं में एक-एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गुरुवार देर शाम आंधी-तूफान आने की वजह से जगह-जगह पेड़ टूट कर गिर गए और कई मकानों की दीवारें भी ढह गईं। इसमें कहा गया है कि इन हादसों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 57 लोग जख्मी भी हुए हैं। सबसे अधिक 41 लोग मैनपुरी में घायल हुए। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी-तूफान से प्रभावित एटा, कासगंज, मैनपुरी, बदायूं, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद जनपदों के प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित जनपदों का भ्रमण कर राहत कार्य का पर्यवेक्षण करें।

प्रवक्ता ने बताया कि जनपद एटा के प्रभारी मंत्री अतुल गर्ग, कासगंज के सुरेश पासी, मैनपुरी के गिरीश यादव, बदायूं के स्वामी प्रसाद मौर्य, मुरादाबाद के महेंद्र सिंह व फर्रुखाबाद के प्रभारी मंत्री चेतन चौहान हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से पीड़ितों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की मदद का एलान किया गया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने राज्य सरकार से पीड़ितों को पर्याप्त राहत व मुआवजा देने की मांग की है।

सिख-अमेरिकी वायुसैनिक को दाढ़ी, पगड़ी रखने की इजाजत

धर्म के आधार पर ऐसी छूट का यह पहला मामला

वाशिंगटन, 7 जून (भाषा)।

अमेरिकी वायुसेना ने एक सिख वायुसैनिक को दाढ़ी, पगड़ी और लंबे केश रखने की अनुमति दे दी है। देश के हवाई बल में धर्म के आधार पर इस तरह की छूट का यह पहला मामला है।

हरप्रीतिंदर सिंह बाजवा 2017 में वायुसैनिक के रूप में वायुसेना में शामिल हुए थे लेकिन सैन्य शाखा की ओर से ग्रूमिंग और ड्रेस कोड के नियम की वजह से वह अपने धार्मिक सिद्धांत का पालन नहीं कर पा रहे थे।

एनबीसी न्यूज की खबर के मुताबिक वायुसेना ने सिख अमेरिकन वेटरन्स अलायंस और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) से प्रतिवेदन मिलने के बाद उन्हें यह छूट दी।

मैककॉर्ड वायुसेना स्टेशन में चालक दल के प्रमुख, बाजवा ड्यूटी पर मौजूद रहने वाले ऐसे पहले वायुसैनिक बन गए हैं जिन्हें वायुसेना में सेवा देते हुए सिख धर्म के अनुकूल पहनावे के सिद्धांतों के पालन की अनुमति मिली है। बाजवा ने कहा, 'मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि वायुसेना ने मुझे धार्मिक अनुकूलता की अनुमति दे दी है।'

इस दौरे से 'पड़ोस पहले' की नीति को मिलेगी मजबूती

पेज 1 का बाकी

सरकार के पहले प्रमुख होंगे। मोदी ने मालदीव की अपनी यात्रा के बारे में कहा कि भारत इस देश को मूल्यवान साझेदार मानता है।

उन्होंने कहा, 'मालदीव के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध हाल के समय में काफी मजबूत हुए हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी यात्रा से हमारी बहुआयामी साझेदारी और गहरी होगी।' प्रधानमंत्री ने मालदीव की यात्रा गत वर्ष नवंबर में की थी, तब वे राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए वहां गए थे। भारत और मालदीव के संबंधों में उस समय गिरावट आ गई थी, जब वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने पिछले साल पांच फरवरी को अपने देश में आपातकाल लगा दिया था।

हालांकि, सोलिह के सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के संबंध सामान्य रूप से बहाल हो गये थे। शनिवार को मोदी मालदीव की संसद को संबोधित करेंगे।

अधिकारियों ने कहा कि कई सहमतिपत्रों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है जिसमें मालदीव में विकास परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा बजटीय सहयोग शामिल है।

नेपाल में आंधी से दो की मौत, 99 घायल

काठमांडू, 7 जून (भाषा)।

नेपाल के सुदूरपश्चिम प्रांत में कई जगहों पर भीषण आंधी के कहर में दो लोगों की मौत हो गई और 99 लोग घायल हो गए। मीडिया में आई खबरों के अनुसार गुरुवार को आई आंधी ने दो निकटवर्ती जिलों कैलाली और कंचनपुर जिलों में तबाही मचाई जिसमें सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। पेड़ों और बिजली के खंभों के गिर जाने से सड़कें बाधित हो गईं। तेज हवा के कारण बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही।

घायलों में से दो को उपचार के लिए भारत भेजा गया है। कैलाली जिले के धनगढ़ी में विभिन्न अस्पतालों में 18 लोगों को भर्ती कराया गया है जबकि अन्य को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुदीप गिरि के अनुसार करीब 40 मिनट तक तेज हवाएं चलती रहीं।

दुबई बस दुर्घटना के कारण ईद की खुशियां हुईं फीकी

दुबई, 7 जून (भाषा)।

दुबई में बस दुर्घटना में 12 भारतीयों सहित 17 लोगों की हुई मौत के बाद उनके परिवारों में ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। इनमें से ज्यादातर यात्री पड़ोसी देश ओमान से ईद की छुट्टियां मना कर दुबई लौट रहे थे।

गल्फ न्यूज के अनुसार यह हादसा गुरुवार को तब हुआ जब ओमानी बस ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस का चालक अल रशीदिया मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने वाली उस सड़क पर बस ले गया जहां बसों के चलने की मनाही है। इस दुर्घटना में नौ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं।

दुबई पुलिस के अनुसार कुछ शवों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। मरने वाले भारतीयों का आंकड़ा और अधिक हो सकता है।

खलीज टाइम्स के अनुसार दुबई निवासी नहीमशाद सीके ने बताया कि उनके रिश्तेदार उम्मेर चोनोकाडावथ (65) और उनके बेटे नबील उम्मेर (25) की इस घटना में मौत हो गई है। ये दोनों थलास्सेरी जिले के रहने वाले थे और वे दोनों चोनोकाडावथ की बेटी के पास ईद मनाने गए थे।

एक अन्य व्यक्ति और मीडिया कर्मी जमालउद्दीन अरक्कावीट्टल ओमान में अपने दोस्त के पास ईद मनाने गए थे। उनके सहकर्मी ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार उसे ईद की छुट्टियां शुरू होने से पहले देखा था और उसने रवाना होने से पहले सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी थी।

घटना में मारे गए केरल निवासी दीपक कुमार अकाउंटेंट थे और वह ओमान में अपने रिश्तेदार के पास ईद की छुट्टियां बिताने गए थे। उनकी पत्नी अथीरा और उनका चार साल का बेटा घायल हो गये हैं और उनका राशिद अस्पताल में इलाज चल रहा है।

विक्रम जवाहर ठाकुर की पत्नी को जब यह सूचना मिली तो उसके आंसू रूकने का नाम नहीं ले रहे हैं।

दुबई में बस हादसे में मरने वाले 17 लोगों में 12 भारतीय

दुबई, 7 जून (भाषा)।

संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुए भयावह बस हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 12 भारतीय हैं। स्थानीय पुलिस और यहां कार्यरत भारतीय मिशन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह हादसा गुरुवार को तब हुआ जब ओमानी बस ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस का चालक अल रशीदिया मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने वाली उस सड़क पर बस ले गया, जहां बसों के चलने की मनाही है। इस दुर्घटना में नौ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। दुबई पुलिस के अनुसार कुछ शवों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है और मरने वाले भारतीयों का आंकड़ा और अधिक हो सकता है।

दुबई में महावाणिज्य दूत विपुल ने ट्वीट किया, 'हमें यह सूचना देते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि दुबई बस हादसे में मरने वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।' उन्होंने ट्वीट किया कि पीड़ित परिजनों को सभी संभव सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि सारी औपचारिकताएं जल्द पूरी करके शवों को वापस भेजा जाए।

'गल्फ न्यूज' के अनुसार इस पर्यटक बस में 31 लोग सवार थे। यह एक बैरियर से टकरा गई। इससे इसका बायां हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बाईं तरफ बैठे यात्रियों की मौत हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मृत लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 'दुबई में हुई दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना से गहरा दुख हुआ है। परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं।'

साथ काम करने के दौरान हार्वी ने सीमाएं लांघी थीं : मडोना

लॉस एंजिलिस, 7 जून (भाषा)।

पॉप स्टार मडोना ने खुलासा किया है कि 1991 में जब वह अपने टूर डॉक्यूमेंटरी 'मडोना : ट्रुथ ऑर डेयर' के लिये पूर्व फिल्म निर्माता हार्वी वाइनस्टीन के साथ काम कर रही थीं, उस वक्त वाइनस्टीन ने अपनी 'सीमाएं लांघी' थीं और उनके साथ गलत व्यवहार किया था। 'न्यूयॉर्क टाइम्स' के साथ साक्षात्कार में गायिका ने बताया, 'जब वे दोनों साथ काम कर रहे थे तब वाइनस्टीन बड़े कामुक अंदाज में मेरे पास आए थे। उस वक्त वह शादीशुदा थे और मेरी तो उनमें बिल्कुल भी रूचि नहीं थी।'

थेरेजा ने पार्टी नेता के पद से इस्तीफा दिया, पद के लिए दौड़ शुरू

लंदन, 7 जून (एएफपी)।

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेजा मे ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के तौर पर शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया, जिससे उनके बाद इस पद को संभालने की दौड़ आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। इस पद पर रहते हुए उन्होंने ब्रेग्जिट को उसके मुकाम तक पहुंचाने में असफल रहीं।

टेरेसा अगला नेता चुने जाने तक प्रधानमंत्री बनी रहेंगी लेकिन यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की दुखदाई विदाई की दिशा में उन्होंने अपना नियंत्रण त्याग दिया है। अगला नेता संभवतः जुलाई के अंत तक चुन लिया जाएगा। ब्रेग्जिट अब भी 31 अक्तूबर के लिए निर्धारित है लेकिन जहां उनके प्रतिद्वंद्वी इसे खारिज कर चुके हैं, वहीं यह अब भी अटका पड़ा है क्योंकि ब्रसेल्स के साथ इस संबंध में हुए एकमात्र समझौते पर संसद में मुहर नहीं लगी है।

उन्होंने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने पर 2016 में हुए जनमत संग्रह के बाद पद संभाला था और पिछले तीन साल इस योजना पर काम करने में बिताए हालांकि ब्रेग्जिट को मंजिल तक पहुंचाने में अब तक दो बार देरी हो चुकी है। लेकिन पिछले महीने अपने रूलाई भरे इस्तीफा भाषण में उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। उनके इस्तीफे के साथ ही महीनों की राजनीतिक उथल-पुथल का समापन हो जाएगा जिसने उनके सारे अधिकारों को धीरे-धीरे छीन लिया।

11 कंजर्वेटिव सांसद उन्हें हटाने के बारे में फिलहाल विचार कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग नामांकन की अंतिम तारीख सोमवार को अपना मन बदल भी सकते हैं।

न्यूयार्क पुलिस ने स्टोनवॉल दंगों के लिए मांगी माफी

न्यूयार्क, 7 जून (एएफपी)।

न्यूयार्क पुलिस प्रमुख ने कुख्यात स्टोनवॉल दंगों के दौरान शहर के समलैंगिक समुदाय पर की गई कार्रवाई के लिए गुरुवार को पहली बार माफी मांगी। हिंसा की 50वीं बरसी से पहले उनके इस कदम की एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने तारीफ की है।

इस हिंसा के बारे में माना जाता है तब से 'गे प्राइड' आंदोलन का उभार हुआ है।

पुलिस प्रमुख जेम्स ओनेल ने कहा, 'मैं जानता हूं कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। न्यूयार्क पुलिस विभाग की ओर से उठाए गए कदम साफ तौर पर गलत थे।'

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाइंट, मेसर्स मुथूट फाइनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7)**, पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.03.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 19.06.2019

Haridwar: MAL-880, 1018, 1034, 1167, 1172, 1181, 1328, MBL-2572, MGL-1693, 2130, 2556, 2746, MHL-79, 102, MHP-2, MSL-22224, 23070, 23152, 23477, 23517, 23523, 23536, 23538, 23544, 23613, 23625, 23722, 23723, 23750, 23785, 23792, 23822, 23844, 23868, 23896, 23938, 23970, MUL-5, 15, 183, 335, 347, 351, 356, 370, 448, 452, 468, 469, 470, 479, 484, 485, 508, 516, 536, 548, 557, 563, 570, 586, 587, 590, 591, 606, 616, 665, 666, 668, 677, 683, 686, 708, 739, 752, 773, 780, 793, 794, 796, 831, 833, 840, 842, 901, 902, 905, 915, 918, 942, 950, 955, 960, 970, 983, 985, 989, 1011, 1022, 1032, 1038, 1064, 1067, 1116, 1127, 1133, 1138, 1171, 1190, 1203, 1204, 1240, 1250, 1256, 1276, 1281, 1283, 1284, 1285, 1286, 1289, 1291, 1306, 1307, 1312, 1333, 1339, 1344, 1346, 1349, 1351, 1355, 1376, 1387, 1410, 1414, 1421, 1434, 1435, 1440, 1448, 1451, 1470, 1471, 1487, 1513, 1514, 1515, 1518, 1527, 1530, 1541, 1551, 1554, 1562, 1563, 1591, 1604, 1605, 1606, 1610, 1611, 1615, 1628, 1652, 1659, 1661, 1680, 1696, 1711, 1716, 1721, 1740, 1753, 1754, 1768, 1771, 1772, 1773, 1775, 1782, 1787, 1794, 1801, 1810, 1815, 1823, 1825, 1837, 1840, 1844, 1845, 1858, 1882, 1912, 1915, 1925, 1972, 1973, 1976, 1986, 1990, 2004, 2007, 2036, 2037, 2038, 2040, 2049, 2050, 2052, 2057, 2115, 2121, 2125, 2164, 2165, 2167, 2182, 2190, 2202, 2217, 2226, 2264, 2287, 2308, 2314, 2317, 2321, 2330, 2335, 2353, 2356, 2402, 2403, 2410, 2423, 2451, 2459, 2484, 2502, 2521, 2527, 2529, 2533, 2535, 2537, 2542, 2551, 2558, 2563, 2569, 2595, 2596, 2598, 2611, 2619, 2658, 2665, 2666, 2670, 2695, 2699, 2730, 2773, 2775, 2785, 2819, 2830, 2839, 2894, 2900, 2901, 2914, 2917, 2928, 2929, 2932, 2934, 2949, 2961, 2966, 2972, 2973, 2982, 3002, 3003, 3005, 3011, 3014, 3023, 3025, 3026, 3031, 3048, 3052, 3070, 3078, 3083, 3095, 3123, 3141, 3164, 3166, 3172, 3174, 3183, 3184, 3188, 3193, 3196, 3197, 3206, 3208, 3214, 3229, 3233, 3248, 3265, 3269, 3298, 3303, 3307, 3308, 3332, 3347, 3351, 3374, 3378, 3382, 3385, 3394, 3396, 3400, 3411, 3412, 3413, 3420, 3428, 3443, 3445, 3455, 3456, 3477, MWS-39, 48, 55, 58, **Haridwar - Jwalapur:** MAL-823, 843, MBL-2024, 2445, MGL-2011, 2101, MSL-9929, 9997, 10110, 10161, 10188, MUL-119, 276, 298, 305, 309, 313, 377, 380, 403, 405, 408, 409, 424, 430, 431, 432, 465, 475, 477, 489, 490, 498, 511, 518, 521, 530, 544, 553, 575, 583, 623, 631, 645, 669, 698, 741, 789, 809, 813, 840, 848, 858, 865, 868, 887, 935, 941, 942, 964, 965, 969, 974, 979, 988, 991, 1014, 1022, 1030, 1031, 1065, 1067, 1070, 1074, 1075, 1081, 1084, 1092, 1096, 1097, 1125, 1130, 1132, 1146, 1151, 1155, 1161, 1168, 1169, 1183, 1184, 1196, 1227, 1237, 1238, 1240, 1247, 1255, 1257, 1271, 1272, 1282, 1284, 1296, 1318, 1320, 1330, 1344, 1354, 1359, 1363, 1379, 1386, 1413, 1414, 1415, 1424, 1433, 1436, 1445, 1460, 1473, 1489, 1492, 1495, 1505, 1510, 1545, 1553, 1555, 1556, 1606, 1615, 1616, 1631, 1634, 1642, 1650, 1672, 1678, 1682, 1694, 1727, 1766, 1771, 1776, 1788, 1801, 1837, 1838, 1845, 1846, 1851, 1852, 1877, 1888, 1890, 1891, 1894, 1906, 1910, 1912, 1915, 1933, 1934, 1938, 1941, 1943, 1955, 1964, 1965, 1978, 1981, 1990, 2010, 2021, 2033, 2035, 2037, 2038, 2041, 2043, 2044, 2047, 2048, 2051, 2053, 2063, 2066, 2067, 2069, 2070, 2071, MWS-34, 43, 44, 55

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.09.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 19.06.2019

Haridwar:MGL-2096, **Haridwar - Jwalapur:** MAL-1260

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक **20.06.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Muthoot Finance Ltd., 1st Floor, Plot No. 02, Near Shri Chandra Charya Chowk, New Haridwar - 249402** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 20.06.2019

Roorkee (UT): MAL-758, 897, MBL-2194, 2394, MGL-1526, MHL-125, MPL-28, MSL-16621, 17173, 17388, 17417, 17454, 17471, 17491, 17501, 17506, 17588, MUL-47, 326, 334, 336, 339, 354, 360, 426, 445, 463, 478, 522, 533, 539, 540, 575, 586, 616, 663, 665, 686, 711, 713, 714, 715, 716, 741, 742, 754, 774, 775, 794, 806, 814, 815, 829, 879, 904, 937, 938, 957, 974, 999, 1004, 1021, 1027, 1037, 1063, 1120, 1132, 1136, 1138, 1140, 1144, 1157, 1168, 1180, 1187, 1188, 1191, 1199, 1203, 1222, 1234, 1239, 1247, 1290, 1311, 1322, 1325, 1338, 1349, 1360, 1370, 1395, 1404, 1426, 1432, 1435, 1450, 1455, 1468, 1470, 1471, 1489, 1490, 1494, 1553, 1571, 1574, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1630, 1632, 1634, 1635, 1639, 1649, 1687, 1698, 1701, 1702, 1704, 1723, 1737, 1749, 1755, 1769, 1792, 1793, 1800, 1831, 1832, 1855, 1860, 1886, 1904, 1908, 1914, 1915, 1917, 1939, 1949, 1964, 1987, 2007, 2019, 2031, MWS-3, 21, 77, 80, 84, 88, 92, 140, 142, 207, 213, 219, 239, 276, 292, 319, 337, 344, 358, 359, 361, 373, 374, 385, 387, 396, 397, 406, 410, 411, 413, 418, 428, 438, 475, 493, 496, 498, 499, 505, 554, 555, 598, 612, 634, 635, 638, 639, 648, 661, 674, 681, 704, 706, 711, 712, 730, 747, 749, 756, 788, 790, 791, 798, 800, 815, 818, 819, 836, 844, 848, 850, 865, 874, 880, 895, 910, 911, 918, 922, 946, 955, 957, 964, 972, 973, 976, 978, 987, 1002, 1006, **Roorkee - Ramnagar-II:** MGL-463, 510, 511, 533, 567, 568, 570, 638, 654, 681, 706, 722, 761, 772, 773, 775, 783, 799, 837, 850, 851, 866, 884, 889, 891, 894, 905, 907, 913, 921, 924, 938, 971, 972, 983, 998, 1004, MSL-209, MUL-54, 59, 64, 70, 99, 115, 148, 149, 152, 171, 178, 211, 223, 258, 268, 275, 278, 303, 304, 325, 348, 358, 363, 368, 376, 377, 402, 408, 418, 426, 435, 447, 466, 470, 472, 483, 493, 497, 500, 513, 515, 519, 534, 544, 571, 574, 587, 610, 614, 634, 660, 676, 683, 684, 690, 692, 702, 707, 730, 766, 769, 776, 782, 790, 813, 846, 847, 851, 852, 853, 882, 891, 928, 932, 944, 947, 950, 953, 955, 956, 960, 967, 968, 990, 1014, 1024, 1027, 1029, 1035, 1044, 1046, 1051, 1066, 1067, 1079, 1102, 1109, 1114, 1128, 1146, 1151, 1157, 1158, 1159, 1166, 1168, 1170, 1175, 1177, 1178, 1179, 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1189

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.09.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 20.06.2019

Roorkee (UT): MUL-353, 1750

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक **21.06.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Muthoot Finance Ltd., 5/4 Kapania Towers, Purvawali Colony, Dehradun Road, Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand - 247667** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 21.06.2019

Dehradun: MAL-489, 641, 661, 737, MBL-1394, 1405, 1494, MGL-1791, MSL-23958, 24098, 24352, 24530, 24556, 24581, 24591, 24688, MUL-77, 234, 256, 266, 267, 270, 276, 299, 300, 365, 366, 367, 369, 370, 386, 419, 430, 432, 494, 495, 496, 509, 523, 556, 564, 565, 576, 585, 641, 648, 669, 682, 686, 712, 778, 787, 788, 803, 811, 820, 834, 880, 889, 899, 911, 935, 947, 961, 972, 989, 1007, 1091, 1126, 1186, 1201, 1204, 1219, 1223, 1233, 1234, 1236, 1245, 1263, 1299, 1322, 1328, 1329, 1343, 1348, 1358, 1361, 1366, 1380, 1385, 1396, 1413, 1416, 1417, 1418, 1422, 1437, 1444, 1455, 1458, 1461, 1462, 1466, 1507, 1530, 1532, 1537, 1540, 1561, 1572, 1590, 1600, 1605, 1624, 1625, 1626, 1627, 1648, 1675, 1692, 1703, 1705, 1706, 1709, 1710, 1735, 1736, 1739, 1746, 1747, 1748, 1750, 1759, 1778, 1798, 1799, 1806, 1828, 1829, 1830, **Dehradun - Gandhi Road:** MAL-837, 988, 1092, 1137, 1251, 1369, MBL-2226, 2416, MGL-1644, MSL-28839, 29286, 29647, 29962, 30020, 30098, 30342, 30661, 30724, 30733, 30785, 30816, 30817, 30849, 30880, 30899, 30900, 30928, 30946, 30953, 30954, 30959, 30977, 31030, 31063, 31066, 31068, 31123, 31203, 31345, MUL-106, 313, 319, 332, 350, 352, 354, 366, 369, 380, 390, 435, 438, 446, 467, 468, 474, 476, 482, 484, 489, 505, 514, 524, 532, 566, 575, 586, 592, 637, 640, 712, 732, 756, 768, 779, 799, 809, 813, 819, 828, 831, 837, 876, 877, 893, 900, 901, 914, 916, 946, 947, 957, 958, 959, 969, 973, 976, 978, 983, 984, 985, 986, 988, 989, 992, 995, 1021, 1032, 1070, 1084, 1094, 1101, 1107, 1115, 1151, 1152, 1155, 1165, 1173, 1185, 1206, 1210, 1219, 1229, 1232, 1257, 1260, 1275, 1282, 1296, 1297, 1323, 1337, 1344, 1368, 1381, 1407, 1415, 1416, 1418, 1423, 1424, 1442, 1448, 1451, 1457, 1463, 1469, 1476, 1512, 1533, 1539, 1562, 1563, 1570, 1572, 1606, 1620, 1654, 1655, 1656, 1657, 1691, 1701, 1708, 1742, 1754, 1778, 1782, 1798, 1799, 1806, 1827, 1829, 1843, 1850, 1871, 1878, 1897, 1906, 1925, 1956, 1960, 1966, 1972, 2003, 2014, 2015, 2024, 2035, 2043, 2052, 2055, 2058, 2063, 2102, 2126, 2133, 2143, 2164, 2174, 2179, 2182, 2187, 2198, 2216, 2222, 2238, 2242, 2247, 2252, 2256, 2258, 2261, 2262, 2264, 2294, 2301, 2302, 2303, 2307, 2319, 2350, 2371, 2384, 2387, 2414, 2423, 2425, 2426, 2427, 2433, 2440, 2447, 2449, 2456, 2465, 2472, 2484, 2512, 2513, 2518, 2528, 2531, 2534, 2541, 2562, 2566, 2589, 2598, 2605, 2618, 2627, 2628, 2632, 2635, 2637, 2638, 2642, 2644, 2655, 2668, 2673, MWS-16, 67, 76, 79, PPL-8970, 8971, 8973, 8974, **Dehradun - Chakrata Road:** MAL-346, MGL-1224, MSL-14989, 15649, 15727, 16242, 16329, 16366, 16385, 16431, 16511, 16556, 16559, 16576, 16620, 16741, 16756, 16821, 16827, MUL-286, 289, 305, 307, 319, 325, 345, 346, 349, 359, 379, 380, 415, 429, 433, 454, 457, 480, 485, 523, 531, 542, 545, 546, 558, 591, 593, 596, 632, 670, 672, 675, 704, 742, 743, 767, 772, 792, 795, 804, 807, 826, 841, 879, 902, 937, 938, 939, 941, 944, 947, 949, 951, 972, 980, 994, 1012, 1028, 1031, 1078, 1094, 1100, 1109, 1120, 1133, 1153, 1156, 1157, 1182, 1200, 1246, 1247, 1280, 1295, 1296, 1308, 1322, 1335, 1348, 1358, 1385, 1392, 1424, 1461, 1469, 1480, 1535, 1557, 1558, 1585, 1590, 1601, 1609, 1614, 1619, 1651, 1656, 1667, 1669, 1673, 1689, 1721, 1722, 1742, 1770, 1772, 1783, 1787, 1812, 1818, 1823, 1827, 1828, 1829, 1838, 1845, 1866, 1870, 1902, 1909, 1919, 1923, 1924, 1939, 1969, 1998, 2011, 2023, 2024, 2026, 2031, 2033, 2050, 2052, 2053, 2055, 2060, 2067, 2078, 2083, 2102, 2105, 2106

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक **22.06.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Muthoot Finance Limited, 1st Floor, Radha Palace, 78 Rajpur Road, Dehradun, Uttarakhand - 248001** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 17.06.2019

Vikas Nagar (UT): MGL-592, 1345, 1356, 1396, 1443, 1460, 1469, 1543, 1561, 1584, 1642, 1730, 1745, 1767, 1780, 1789, 1824, 1875, 1899, 1965, MSL-5111, 5172, 5200, 5226, 5268, 5295, MUL-16, 24, 33, 34, 35, 36, 53, 61, 62, 71, 92, 97, 122, 144, 145, 146, 176, 209, 211, 259, 263, 279, 284, 289, 302, 339, 343, 369, 371, 373, 402, 403, 404, 406, 438, 450, 467, 474, 484, 487, 495, 548, 549, 583, 597, 603, 628, 629, 671, 703, 721, 763, 779, 802, 812, 863, 892, 893, 894, 900, 908, 913, 924, 953, 967, 968, 1035, 1037, 1041, 1060, 1061, 1095, 1105, 1110, 1130, 1131, 1137, 1146, 1148, 1165, 1179, 1192, 1195, 1198, 1219, 1239, 1246, 1247, 1251, 1282, 1285, 1303, 1306, 1309, 1340, 1350, 1355, 1360, 1362, 1369, 1378, 1392, 1393, 1394, 1403, 1415, 1418, 1424, 1425, 1437, 1438, 1452, 1498, 1523, 1537, 1542, 1558, 1572, 1589, 1597, 1616, 1632, 1636, 1660, 1661, 1670, 1672, 1675, 1694, 1699, 1711, 1730, 1742, 1747, 1753, 1756, 1762, 1766, 1773, 1789, 1795, 1822, 1827, 1846, 1850, 1853, 1889, 1906, 1910, 1915, 1917, 1920, 1934, 1935, 1937, 1941, 1943, 1951, 1957, 1963, 1974, 1977, 1983, 2006, 2008, 2019, 2020, 2023, 2037, 2043, 2064, 2093, 2100, 2103, 2107, 2136, 2137, 2140, 2154, 2155, 2159, 2160, 2184, 2186, 2187, 2188, 2191, 2192, 2193, 2200, 2226, 2234, 2237, 2240, 2244, 2245, 2261, 2265, 2267, 2281, 2284, 2285, 2287, 2303, 2316, 2317

नीलामी की तिथि: 18.06.2019

Kotdwara (UT): MGL-794, 951, 1140, 1182, 1214, 1240, 1256, 1276, 1296, 1298, 1299, 1329, 1340, 1353, 1372, 1385, 1417, 1430, 1452, 1510, 1518, 1537, 1539, 1542, 1546, 1549, 1561, 1570, 1581, 1589, 1603, 1615, 1653, 1657, 1686, 1721, 1730, 1731, 1736, 1788, MSL-9782, 10223, 10224, 10231, 10248, 10249, 10254, 10262, 10308, 10315, 10341, 10347, 10362, 10389, 10409, 10426, 10436, MUL-15, 31, 34, 35, 36, 40, 42, 53, 77, 81, 84, 85, 88, 90, 98, 110, 112, 118, 137, 155, 164, 175, 177, 192, 193, 205, 218, 226, 227, 234, 235, 249, 254, 265, 272, 274, 278, 281, 286, 297, 311, 314, 319, 325, 335, 364, 365, 375, 380, 382, 386, 390, 399, 401, 410, 430, 454, 457, 459, 460, 461, 468, 474, 485, 492, 494, 522, 526, 527, 530, 541, 566, 569, 577, 594, 615, 618, 634, 635, 647, 648, 656, 659, 660, 681, 686, 687, 689, 696, 697, 700, 701, 708, 712, 731, 733, 737, 756, 773, 778, 782, 783, 784, 785, 792, 795, 800, 805, 806, 816, 828, 856, 858, 860, 863, 866, 868, 875, 882, 893, 899, 901, 904, 914, 922, 957, 964, 970, 979, 981, 983, 985, 992, 994, 995, 1000, 1002, 1011, 1032, 1053, 1054, 1060, 1061, 1078, 1079, 1096, 1100, 1106, 1111, 1125, 1128, 1135, 1162, 1164, 1168, 1169, 1174, 1204, 1216, 1217, 1218, 1223, 1237, 1243, 1261, 1275, 1276, 1284, 1286, 1287, 1288, 1298, 1308, 1311, 1321, 1322, 1340, 1347, 1351, 1354, 1356, 1359, 1360, 1365, 1373, 1376, 1377, 1390, 1392, 1402, 1412, 1413, 1414, 1431, 1434, 1446, 1452, 1455, 1456, 1462, 1463, 1474, 1476, 1477, 1489, 1490, 1499, 1501, 1507, 1508, 1510, 1514, 1515, 1517, 1520, 1522, 1527, 1537, 1552, 1556, 1560, 1567, 1573, 1576, 1580, 1582, 1585, 1586, 1587, 1589, 1593, 1594, 1606, 1607, 1612, 1627, 1640, 1641, 1642, 1645, 1649, 1650, 1661, 1665, 1670, 1674, 1678, 1681, 1682, 1683, 1688, 1691, 1694, 1696, 1701, 1711, 1715, 1724, 1730, 1733, 1744, 1748, 1749, 1750

नीलामी की तिथि: 19.06.2019

Rishikesh - Dehradun Road: MAL-734, MBL-1445, MSL-10983, 11032, 11051, 11092, 11093, 11113, 11134, MUL-97, 235, 239, 246, 263, 276, 280, 284, 299, 306, 314, 319, 327, 328, 334, 367, 369, 388, 409, 410, 424, 431, 432, 433, 442, 465, 466, 485, 501, 511, 531, 533, 547, 572, 573, 576, 587, 592, 612, 623, 636, 651, 653, 657, 658, 659, 668, 674, 682, 687, 690, 696, 714, 715, 723, 726, 731, 733, 747, 771, 779, 781, 786, 797, 798, 809, 832, 834, 835, 838, 839, 860, 868, 873, 875, 876, 877, 879, 880, 881, 891, 892, 894, 895, 904, 906, 907, 913, 917, 918, 937, 946, 957, 968, 976, 984, 987, 996, 997, 998, 1010, 1018, 1029, 1037, 1041, 1045, 1046, 1047, 1111, 1116, 1119, 1123, 1130, 1142, 1157, 1168, 1169, 1204, 1235, 1258, 1264, 1279, 1293, 1301, 1361, 1366, 1370, 1376, 1417, 1418, 1423, 1430, 1436, 1437, 1452, 1464, 1466, 1490, 1491, 1492, 1561, 1563, 1581, 1618, 1622, 1624, 1645, 1668, 1676, 1703, 1710, 1712, 1718, 1719, 1735, 1746, 1752, 1754, 1763, 1770, 1771, 1787, 1788, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1806, 1813, 1822, 1825, 1829, 1831, 1840, 1842, 1844, MWS-13, 38, 82, 103, 105, 110

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.09.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 18.06.2019

Kotdwara (UT): MGL-1654, MUL-392, 1301, 1353, 2453

नीलामी की तिथि: 19.06.2019

Rishikesh - Dehradun Road: MUL-1318

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं।

METROGLOBAL LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L21010MH1992PLC069527

Registered Office: 101, 1st Floor, "Mangal Disha", Nr. Guru Gangeshwar Temple, 6th Road, Khar (West) Mumbai - 400052, Maharashtra, India. | **Phone:** +91-22-26051072, +91-22-26051073

Email: nitin.shah@metroglobal.in | **Website:** www.metroglobalimited.com

Corporate Office: 508-509, "SHILP", C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009, Gujarat, India.

Phone: +91-79-26468016

Contact Person: Mr. Nitin S. Shah, Company Secretary, Chief Financial Officer & Compliance Officer

POST BUY-BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENIFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF METROGLOBALLIMITED

This Public Announcement (**"Post Buy-back Public Announcement"**) is in the compliance with Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 as amended (**"Buy-back Regulations"**). This Post Buy-back Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated Monday, April 1, 2019 published on Tuesday, April 2, 2019 (**"Public Announcement"**) and the Letter of Offer dated May 3, 2019 (**"Letter of Offer"**). The terms used but not defined in this Post Buy-back Public Announcement shall have the same meaning as assigned in the Public Announcementand the Letter of Offer.

1. THE BUY-BACK

1.1. Metroglobal Limited (**"Company"**) had announced the Buy-back of up to 40,00,000 (Forty Lakhs) fully paid-up equity shares of face value ₹ 10 each (**"Equity Shares"**) representing 24.50% of total paid up equity share capital of the Company from all the existing shareholders / beneficial owners of Equity Shares holding Equity Shares as on the Record Date i.e. Friday, April 12, 2019, on a proportionate basis, through the tender offer route using stock exchange mechanism (**"Tender Offer"**) at a price of ₹ 56 (Rupees Fifty Six Only) per Equity Share (**"Buy-back Price"**) payable in cash, for an aggregate amount not exceeding ₹ 22,40,00,000 (Rupees Twenty Two Crores Forty Lakhs only) (**"Buy-back Size"**) excluding cost such as fees, brokerage, securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty etc. (**"Transaction Costs"**). The Buy-back Size of ₹ 22,40,00,000 represents 8.42% and 8.46% of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as per the audited standalone financial statements and audited consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2018 respectively.

1.2. The Company has adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buy-back. The Buy-back was implemented using the Stock Exchange Mechanism as specified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICY CELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, as amended from time to time (the **"SEBI Circulars"**).

1.3. The Buy-back opened on Tuesday, May 14, 2019 and closed on Monday, May 27, 2019.

2. DETAILS OF BUY-BACK

2.1. 39,92,367 (Thirty Nine Lakhs Ninety Two Thousand Three Hundred and Sixty Seven) Equity Shares were bought back under the Buy-back at a price of ₹ 56 (Rupees Fifty Six Only) per Equity Share.

2.2. The total amount utilized in the Buy-back was ₹ 22,35,72,552 (Rupees Twenty Two Crores Thirty Five Lakhs Seventy Two Thousand Five Hundred Fifty Two only) excluding the transaction cost such as fees, brokerage, securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty etc.

2.3. The Registrar to Buy-back i.e. Link Intime India Private Limited (**"Registrar"**) considered 121 valid applications for 39,92,367 Equity Shares in the response to the Buy-back resulting in the subscription of approximately 0.99 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid applications considered by the Registrar are as follows:

Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buy-back	No. of Valid Bids	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
Reserved Category	6,00,000	98	25,837	4.31%
General Category	34,00,000	23	39,66,530	116.66%
Total	**40,00,000**	**121**	**39,92,367**	**99.81%**

2.4. All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buy-back Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance / rejection has been dispatched by the Registrar on Thursday, June 6, 2019.

2.5. The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited (**"ICCL"**) on Thursday, June 6, 2019. ICCL has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose Equity Shares have been accepted under the Buy-back. If bank account details of any Eligible Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form were not available or if the funds transfer instructions were rejected by the Reserve Bank of India or other relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to the Eligible Shareholders were transferred to the concerned Selling Members for onward transfer to such Eligible Shareholder holding Equity Shares in dematerialized form.

2.6. Demat Equity Shares accepted under the Buy-back were transferred to the Company's Demat Escrow Account on Thursday, June 6, 2019. The unaccepted demat Equity Shares were returned to respective Seller Members / custodians by ICCL on Thursday, June 6, 2019. Pursuant to proviso to Regulation 40(1) of the SEBI Listing Regulations read with the Letter of Offer, the participation in the Buy-back in physical mode was not allowed.

2.7. The extinguishment of 39,92,367 Equity Shares accepted under the Buy-back is currently under process and shall be completed on or before Thursday, June 13, 2019.

2.8. The Companyand its respective directors accept full responsibility for the information contained in this Post Buy-back Public Announcement and also accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buy-back Regulations.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The Pre and Post Buy-back Capital structure of the Company is as under:

Particulars	Pre Buy-back*		Post Buy-back**	
	Number of Shares	Amount (₹ in Lakhs)	Number of Shares	Amount (₹ in Lakhs)
Authorised Share Capital	9,50,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each	9,500.00	9,50,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each	9,500.00
	2,50,00,000 Preference Shares of ₹ 10 each	2,500.00	2,50,00,000 Preference Shares of ₹ 10 each	2,500.00
Issued, Subscribed and Paid-up Capital	1,63,26,742 Equity Shares of ₹ 10 each	1,632.67	1,23,34,375 Equity Shares of ₹ 10 each	1,233.44

*As on Record date i.e., April 12, 2019

**Subject to extinguishment of 39,92,367 Equity Shares

3.2. Details of the Shareholders / beneficial owners from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buy-back are as mentioned below:

Name of the Shareholder	No. of Equity Shares accepted under Buy-back	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total Post Buy-back Equity Shares[1]
Megha Biotech Private Limited	24,00,000	60.11%	19.46%
Navkar Synthchem Private Limited	5,26,976	13.20%	4.27%
Alankar Mahendra Lodha	2,76,000	6.91%	2.24%
Spring Trading And Investment Private Limited	2,00,000	5.01%	1.62%
Baroda Brokers Private Limited	1,41,980	3.56%	1.15%
Sandip Vallabhdas Parikh	67,429	1.69%	0.55%
Javerilal Gopilal Oswal	56,781	1.42%	0.46%

[1] Subject to extinguishment of 39,92,367 Equity Shares

3.3. The shareholding pattern of the Company, pre and post Buy-back, is as under:

Particulars	Pre Buy-back[1]		Post Buy-back[2]	
	No. of Equity Shares	% of the existing equity share capital	No. of Equity Shares	% of the existing equity share capital
Promoter and Promoter Group	92,17,166	56.45%	92,17,166	74.73%
Foreign Investors (including Non Resident Indians, FIIs, FPIs and Foreign Mutual Funds)	3,00,815	1.84%	31,17,209	25.27%
Financial Institutions / Banks / Mutual Funds promoted by Banks / Institutions	15,606	0.10%		
Other (public, public bodies corporate etc.)	67,93,155	41.61%		
Total	**1,63,26,742**	**100.00%**	**1,23,34,375**	**100.00%**

[1] As on Record date i.e. April 12, 2019

[2] Subject to extinguishment of 39,92,367 Equity Shares

4. MANAGER TO THE BUY-BACK

VIVRO

Vivro Financial Services Private Limited
607, 608 Marathon Icon, Opp. Peninsula Corporate Park,
Off Ganpatrao Kadam Marg, Veer Santaji Lane,
Lower Parel, Mumbai – 400 013.
Contact Person(s): Mr. Harish Patel / Mr. Vatsal Shah
E-mail: investors@vivro.net | **Website:** www.vivro.net
Tel.: +91 22 6666 8040 / 41 / 42 | **Fax:** +91 22 6666 8047
SEBI Registration Number: INM000010122 | **Validity:** Permanent
CIN: U67120GJ1996PTC029182

5. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy-back Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buy-back Public Announcement and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Metroglobal Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Gautamkumar Mithalal Jain	**Rahul Gautamkumar Jain**	**Nitin S. Shah**
Chairman &Managing Director	**Executive Director**	**Company Secretary, Chief Financial Officer & Compliance Officer**
(DIN: 00160167)	**(DIN: 01813781)**	**(Membership Number: ACS 7088)**

Date: June 7, 2019 **Place:** Ahmedabad

Raka

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव

मुंबई, 7 जून (भाषा)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में तरलता की जारी चिंताओं के बीच चुनिंदा बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों की तेजी से शुक्रवार को उठा-पटक भरे कारोबार में शेयर बाजार हल्की तेजी में बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाले संवेदी सूचकांक में कारोबार के दौरान 400 अंक के दायरे में घट बढ़ रही। इस दौरान यह ऊपर में 39,703.10 और नीचे में 39,279.47 अंक तक गया।

सूचकांक अंत में 86.18 अंक यानी 0.22 फीसद की तेजी के साथ 39,615.90 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 26.90 अंक यानी 0.23 फीसद की बढ़त के साथ 11,870.65 अंक पर बंद हुआ।

सप्ताह के दौरान सूचकांक में कुल मिला कर 98.30 अंक और निफ्टी में 52.15 अंक की गिरावट दर्ज की गई। सूचकांक की कंपनियों में इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय स्टेट बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और वेदांता के शेयर 1.90 फीसद तक मजबूत हो गए। इनके अलावा येस बैंक, पावरग्रिड, सन फार्मा, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 2.37 फीसद तक की गिरावट रही।

जिओजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- एनबीएफसी में जारी चुनौतियों के कारण निवेशकों ने चुनिंदा बैंकिंग कंपनियों पर ध्यान दिया। रुपए के कमजोर रहने से सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में भी तेजी देखने को मिली। उन्होंने कहा- वैश्विक स्तर पर कमजोर आर्थिक वृद्धि दर की चुनौती से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो दर में कटौती कर रहे हैं। इससे एशियाई और यूरोपीय बाजारों को तेजी मिली। हालांकि व्यापार युद्ध को लेकर जारी आशंकाओं के कारण तेजी पर लगाम रही। निवेशक आगे के लिए आगामी बजट और अमेरिका के रोजगार के आंकड़ों पर नजर रख रहे हैं। समूहों के हिसाब से बीएसई के दूरसंचार, वित्त, टिकाउ उपभोक्ता उत्पाद, बैंक और प्रौद्योगिकी में तेजी रही।

ओड़ीशा सरकार ने सात पर्यटन परियोजनाओं के लिए किया भूमि का आबंटन

भुवनेश्वर, 7 जून (भाषा)।

ओडिशा सरकार ने सात पर्यटन स्थलों के लिए जमीनें आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि इससे राज्य में 354.34 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। यह आबंटन राज्य के मुख्य सचिव एपी पाधी की अध्यक्षता में भूमि आबंटन समिति की यहां हुई बैठक में गुरुवार को किया गया।

पाधी ने पर्यटन विभाग को हर परियोजना को शुरू करने और पूरा करने की समयसीमा तय करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विभाग जमीन को कब्जे में लेने के तीन साल के भीतर परियोजना को पूरा करे।

15 सैन्य हवाईअड्डों पर छोटे यात्री विमानों के उतरने का शुल्क हटाने की तैयारी

नई दिल्ली, 7 जून (भाषा)।

घरेलू हवाई संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार 15 सैन्य हवाईअड्डों पर 80 से कम सीटों वाले विमानों के लिए उतरने का शुल्क हटा सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विमानन कंपनियों को किसी भी हवाईअड्डे पर विमान उतारने के लिए एक निश्चित शुल्क देना होता है। यह शुल्क विमान के वजन के हिसाब से होता है। सैन्य हवाईअड्डों का नियंत्रण भारतीय वायुसेना के पास है।

मई महीने में तेल खली निर्यात 78 फीसद गिरा

नई दिल्ली, 7 जून (भाषा)।

पशु चारे में इस्तेमाल होने वाली खली का निर्यात मई के में 78 फीसद गिरकर 58,549 टन पर आ गया। ईरान पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के चलते निर्यात प्रभावित हुआ है। एक उद्योग संगठन ने यह जानकारी दी। पिछले साल मई महीने में खली का निर्यात 2,63,644 टन था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा- जहां तक खली का सवाल है, ईरान भारत का एक बड़ा बाजार है। ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध से हमारे निर्यात पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। यह आने वाले महीनों में भी जारी रहेगा। संगठन के आंकड़ों के अनुसार- भारत पिछले महीने ईरान को महज 17,385 टन तेल खली का ही निर्यात कर पाया।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, १५०१, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५

समुचित सावधानी सत्यापन के लिए एजेंसियों को पैनल में शामिल करने हेतु आरएफपी का शुद्धिपत्र

		वर्तमान	संशोधित
१	बैंक द्वारा आरएफपी दस्तावेज जारी करना	29.05.2019	29.05.2019
२	पहला शुद्धिपत्र	-	06.06.2019
३	बोलीदाता द्वारा उत्तर प्रस्तुति का अंतिम दिनांक	12.06.2019 को शाम 5.00 बजे तक	20.06.2019 को शाम 5.00 बजे तक
४	बोलीपूर्व बैठक	10.06.2019 को प्रातः 11.00 बजे	18.06.2019 को दोपहर 01.00 बजे
५	बोली खोलना	13.06.2019 को दोपहर 12.00 बजे	21.06.2019 को दोपहर 4.00 बजे
६	निविदा शुल्क	रु. 5000/-	रु. 5000/-

नोट का पृष्ठ २१: "केवल ऐसी एजेंसियां, जिनके पास दोनों असाइनमेंटों के लिए आधारभूत संरचना/ कौशल सेट उपलब्ध हैं, वे दोनों ही पैनलों में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकती हैं" को प्रतिस्थापित किया जाना है कि "केवल ऐसी एजेंसियां, जिनके पास असाइनमेंट के लिए आधारभूत संरचना/ कौशल सेट उपलब्ध हैं, वे पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकती हैं". आरएफपी दस्तावेज में संदर्भित मानक प्रारूप का संलग्नक अपलोड नहीं किया गया था, अतः यह शुद्धिपत्र का भाग होगा और अपलोड किया जाएगा (पृष्ठ २ - खंड ४ एवं १ - "जी")।

नितिन कापत, सहायक महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता — महेश बंसवानी, उप महाप्रबंधक, एफएसएमई

केन्द्रीय भण्डारण निगम (भारत सरकार का उपक्रम)

निगमित कार्यालय: 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली-110016, टेलीफैक्स: 011-43857894, ई-मेल: engg.cwhd@cewacor.nic.in, वेबसाइट: www.cewacor.nic.in

सं.केभनि/नि.का.-इंजी./प्रैस नोट/2019-20/1963 दिनांक: 06.06.2019

ई-टैंडर आमंत्रण प्रैस सूचना

केन्द्रीय भंडारण निगम निम्नलिखित कार्यों के लिए ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है:

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु.में)	निविदाएं ऑनलाइन भेजने तथा खोलने की अंतिम तिथि
01	सैन्ट्रल वेअरहाउस, बीडी-पठानकोट, मोगा-I, एवं मानसा तथा सैन्ट्रल वेअरहाउस, मोगा-II (पंजाब) के गोदाम सं.-18 में ए.सी. शीट रूफिंग को कलर-कोटेड गाल्वॉल्यूम स्टील शीट रूफिंग में बदलना।	415.49	08.07.2019
02	सैन्ट्रल वेअरहाउस, मानसा में सीमेंट कंकरीट रोड तथा सैन्ट्रल वेअरहाउस, मोगा-I (पंजाब) में पेवर ब्लॉक उपलब्ध करना एवं लगाना, क्षतिग्रस्त चारदीवारी एवं सम्प वैल का निर्माण करना।	272.12	08.07.2019

अनुबंध की शर्तें और ई-टैंडर आमंत्रण सूचना सहित विस्तृत निविदा सूचना निगम की वेबसाइट www.cewacor.nic.in या ई-टैंडर वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC अथवा सीपीपी पोर्टल http://eprocure.gov.in/epublish/app. से देखी और डाउनलोड की जा सकती है। इस निविदा संबंधी यदि कोई शुद्धिपत्र/परिशिष्ट होगा तो वह केवल वेबसाइट www.cewacor.nic.in या ई-टैंडर वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC अथवा सीपीपी पोर्टल http://eprocure.gov.in/epublish/app.(CPP) पर प्रकाशित होगा। इसके लिए समाचार पत्र में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

मुख्य अभियंता

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India Relationships beyond banking

कीर्ति नगर शाखा
40, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015
टेली. नं.: 25458465/25938943

कब्जा सूचना

परिशिष्ट-IV (देखें नियम-8(1)
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 3.4.2019 जारी कर ऋणधारक मै. सोलर एक्जिम प्रा.लि. को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 132,55,468.54 + 21.3.2019 से ब्याज (शब्दों में: रुपये एक करोड़ बत्तीस लाख पचपन हजार चार सौ अड़सठ एवं पैसे चौवन मात्र) तथा 21.3.2019 से ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 6 जून, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 132,55,468.54 तथा 21.03.2019 से उस पर ब्याज की राशि के लिये बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

प्लॉट नं. 85 (म्यूनि. नं. 8540, 8600, 8601) (प्रथम तल एवं टैरेस) ईस्ट पार्क रोड, मॉडल बस्ती, दिल्ली जो श्रीमती शशि गुप्ता के स्वामित्व में है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

पंजीकरण उप-जिला तथा जिला के भीतर प्लॉट नं. 85 (म्यूनि. नं. 8540, 8600, 8601) (प्रथम तल एवं टैरेस) ईस्ट पार्क रोड, मॉडल बस्ती, दिल्ली जो श्रीमती शशि गुप्ता के स्वामित्व में है। चौहद्दीः उत्तरः अन्य का मकान; दक्षिणः सुश्री सरबती देवी का मकान, पूर्वः सर्विस रोड, पश्चिमः मैन रोड

तिथि: 6.6.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: दिल्ली — (बैंक ऑफ इंडिया, कीर्ति नगर शाखा)

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

सम्पर्क पता: 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055, पंजीकृत कार्यालय: 11वां तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400013, CIN No. U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 14 मार्च, 2019 नीचे वर्णित रूप में जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋण खाता सं.	देनदार/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधि (यों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा की तिथि
20829794	1. कुलदीप कुमार कान्त, मकान सं.- 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक-बी, पार्क एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001 2. संजय कान्त, मकान सं.- 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक-बी, पार्क एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001 3. मीनाक्षी कान्त, मकान सं.- 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक-बी, पार्क एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001 4. रूप राज बैंक्वेट एवं रेस्ट्रोवार, द्वारा उसके पार्टनर, मकान सं.- 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक-बी, पार्क एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001 साथ हीः 1 बीडब्ल्यू 196, नीलम बाटा रोड, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001 5. विमल कुमार कान्त, मकान सं.- 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक-बी, पार्क एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001 6. सारिका कान्त, मकान सं.- 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक-बी, पार्क एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001 7. ज्योति कान्त, मकान सं.- 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक-बी, पार्क एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001	रु. 30394389.55 (रुपए तीन करोड़ तीन लाख चौड़ानवे हजार तीन सौ नवासी एवं पैसे पचपन मात्र)	4 जून, 2109

प्रतिभूत परिसम्पत्ति/ अचल सम्पत्तियों का विवरण: एच. नं.1-बी/196, एनएच-1, एनआईटी, फरीदाबाद, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, क्षेत्रफल 174 वर्ग गज, सम्पत्ति सं. 1-बी-196, क्षेत्रफल माप 223 वर्ग यार्ड्स तथा भूमि माप 174 वर्ग यार्ड्स, सम्पत्ति सं. 1-बी-196 के समीप, कुल क्षेत्रफल माप 407 वर्ग यार्ड्स जो न्यू टाउनशिप, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है, 8.4.2016 को पंजीकृत विधिवत पंजी दस्ता. सं. 346, बुक नं. 1 के माध्यम से पंजीकृत कॉन्वीयन्स डीड तिथि 31.3.2016 के अनुसार।

हस्ता./-
तिथि: 8.6.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: फरीदाबाद — टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिए

HDB FINANCIAL SERVICES From the trusted family of HDFC Bank

पंजीकृत कार्यालयः "राधिका", 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009, शाखा कार्यालयः बिल्डिंग नं.59, 1ला एवं II रा तल, पंचकूइयाँ रोड, आर के आश्रम मेट्रो के निकट, नई दिल्ली-110001

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप नीचे वर्णित ऋणधारक, सह-ऋणधारक तथा गारंटरों ने अपनी अचल सम्पत्तियों को गिरवी रख कर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस से ऋण(णों)/ वित्तीय सुविधा (एँ) प्राप्त की है तथा उसे वापस लौटाने में चूक की है। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदुपरांत, कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की जिसका विषय-वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है।

ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना में दावी गई राशि, एनपीए तिथि तथा प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार हैः

1. **ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नामः** जसवीर सिंह, राज दुलारी, सभी निवासीः ई-52, 1ला तल, मुल्तान नगर, पश्चिम विहार, दिल्ली, खाता नं. 766400, ऋण राशिः रु. 15000000/- (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र); मांग सूचना तिथिः 17.5.2019, मांग की गई राशिः 17 मई, 2019 को रु. 13681321/- (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार तीन सौ इक्कीस मात्र) तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज। एनपीए तिथिः 5.4.2019; प्रतिभूति का विवरणः उप-रजिस्ट्रार-SRIIA-पंजाबी बाग, दिल्ली के कार्यालय में क्रम सं. 0726 तिथि 01.02.2006 के पंजीकरण दस्तावेज के माध्यम से राज दुलारी के नाम में दर्ज मकान सं. ई-52, प्रथम तल, छत के अधिकार के साथ, मुल्तान नगर, मादीपुर, नई दिल्ली-110056, माप 206.66 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 51, पश्चिमः प्लॉट नं. 51, उत्तरः पार्क, दक्षिणः सर्विस लेन।
2. **ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नामः** रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिचा होल्डिंग्स लिमिटेड, सुभाष गुप्ता, उषा गुप्ता, गरिमा गुप्ता, सुशील गुप्ता, संदीप गुप्ता, सभीः प्लॉट नं. 29, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, फरीदाबाद-121003, मकान सं. 1476, सेक्टर 14, फरीदाबाद-121007, जी-74, साउथ सिटी, 01, गुड़गाँव-121001 तथा मकान सं. 408, वार्ड नं. 25, सेक्टर-16ए, दौलताबाद, फरीदाबाद-121007, खाता नं. 2438228; ऋण राशिः रु. 26332894/- (रुपये दो करोड़ तिड़ेसठ लाख बत्तीस हजार आठ सौ चौड़ानवे मात्र); मांग सूचना तिथिः 29.5.2019 मांग की गई राशिः 10 मई, 2019 को रु. 26479719/- (रुपये दो करोड़ चौंसठ लाख उन्यासी हजार सात सौ उन्नीस मात्र) तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज, एनपीए तिथिः 9.4.2019, प्रतिभूति का विवरणः गरिमा गुप्ता के नाम में दर्ज मकान सं. 408, सेक्टर 16ए, फरीदाबाद, माप 500 वर्ग यार्ड्स, पंजीकरण दस्तावेजः हुड़ा, फरीदाबाद के कार्यालय में क्रम सं. 18243, तिथि 28.8.2014, सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 409, पश्चिमः प्लॉट नं. 407, उत्तरः सड़क, दक्षिणः प्लॉट नं. 417
3. **ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नामः** अजय कुमार शर्मा, अनुराग शर्मा, अनुराधा शर्मा, सभीः मकान सं. 21, सेक्टर-15 ए, नोएडा, उ.प्र.-201301, खाता नं. 820136; ऋण राशिः रु. 80000000/- (रुपये आठ करोड़ मात्र), मांग सूचना तिथिः 29.5.2019, मांग की गई राशिः रु. 73340415/- (रुपये सात करोड़ तैंतीस लाख चालिस हजार चार सौ पन्द्रह मात्र) 10 मई, 2019 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक आगे का ब्याज; एनपीए तिथिः 5.4.2019, प्रतिभूति का विवरणः अजय कुमार शर्मा के नाम में दर्ज मकान सं. 21, सेक्टर-15ए, नोएडा-201301, माप 450 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। पंजीकरण दस्तावेजः उप रजिस्ट्रार-नोएडा के कार्यालय में क्रम सं. 4691 तिथि 26.06.2003 में पंजीकृत। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 22, पश्चिमः प्लॉट नं. 20, उत्तरः प्लॉट नं. 74, दक्षिणः रोड

अतएव, आप ऋणधारकों/ सह-ऋणधारकों तथा गारन्टरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित आगे के ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई करने के लिए बाध्य होंगे। **(ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है)**

कृपया, ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत आप हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित करने के अधिकार से वंचित हैं। तथा अधिनियम की धारा 13 (13) का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें: श्री हरदीप सभरवाल, फोनः 9654965496 अथवा श्री यज्ञेश मेधावी, फोनः 9310890352

हस्ता/-
स्थानः मुम्बई — एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिए
तिथिः 8.6.2019 — (प्राधिकृत अधिकारी)

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
बिक्री उद्घोषणा

आर.सी. नं. 435/2018 — बिक्री उद्घोषणा — तिथिः 10.5.2019

पंजाब एंड सिंध बैंक बनाम श्री वामन टेक्स्टाइल्स एवं अन्य

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

सेवा में:
सीडी नं. 1 मै. श्री वामन टेक्स्टाईल, 444/3, विष्णु बाजार क्लॉथ मार्केट, फतेहपुरी, दिल्ली-110006
सीडी नं. 2 समीर चढ़ा, मै. श्री वामन टेक्स्टाईल, 444/3, विष्णु बाजार क्लॉथ मार्केट, फतेहपुरी, दिल्ली-110006
सीडी नं. 3 एकता चढ़ा, पत्नी समीर चढ़ा, मै. श्री बामन टेक्स्टाईल, 444/3, विष्णु बाजार क्लॉथ मार्केट, फतेहपुरी, दिल्ली-110006
सीडी नं. 4 श्री वीर सिंह पाल, निवासी 461, ग्राम आजादपुर, आजादपुर मंडी के निकट, दिल्ली-110033, साथ हीः 408-ए, आजादपुर, दिल्ली-110033
सीडी नं. 5 श्रीमती कमला, पत्नी श्री वीर सिंह, निवासी 461, ग्राम आजादपुर, आजादपुर मंडी के निकट, दिल्ली-110033, साथ हीः 408-ए, आजादपुर, दिल्ली-110033

जैस कि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा तैयार की गई ओ.ए. नं. 83/2014 में रिकवरी प्रमाणपत्र के संदर्भ में आपके द्वारा देय रु. 17,68,908/- (रुपये सत्तरह लाख अड़सठ हजार नौ सौ आठ मात्र) तथा प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज एवं लागतों का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

तथा जैसा कि रु. 17,68,908/- (रुपये सत्तरह लाख अड़सठ हजार नौ सौ आठ मात्र) तथा ओ.ए. दाखिल करने की तिथि अर्थात् 5.2.2014 से लागत तथा 12% साधारण दर से ब्याज सम्पूर्ण वसूली की तिथि तक संयुक्त तथा पृथक रूप से सीडी'ज के प्रति बकाया होगी।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 19.7.2019 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली" के माध्यम से मै. ई-प्राक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रॉक्योर), ए-201/208, वाल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) टेली.: +91 079-40016800, फैक्सः +91-7940016876, सम्पर्क श्री नितीश झा, मोबाईल नं. 9416674651, 011-25789590 ई-मेल आईडीः delhi@auctiontiger.net द्वारा वेबसाईट http:// www.drt.auctiontiger.net की जायेगी। अधिक विवरणों के लिये सम्पर्क करें: सी.एच. बैंक के अधिकारी श्री दीपक जैन, मोबाईल नं. 9416674651, 011-25789590, सम्पत्ति का निरीक्षण करने के इच्छुक क्रेता ईएमडी की तिथि से पूर्व उक्त प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए; ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. आरक्षित मूल्य जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी रु. 24,30,000/- (रुपये चौबीस लाख तीस हजार मात्र) है।
2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं।
4. रु. 2,43,000/- (रुपये दो लाख तैंतालिस हजार मात्र) की ईएमडी का भुगतान 17.7.2019 तक रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-III दिल्ली के पास मुहरबंद लिफाफे में किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल जमा की जायेगी।
6. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 3 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा। यदि अगला दिन अवकाश या रविवार होता है तो अगले प्रथम कार्यालय दिवस को।
7. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 3 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
8. असफल बोलीदाता अपने ईएमडी के रिफंड के लिये आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि को या पूर्व डीआरटी-III के रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जायेगी।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे। बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी।
10. संपत्ति की बिक्री **'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है'** आधार पर की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

सम्पत्ति की अनुसूची

बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात कोई विवरण
सम्पत्ति, 1ला तल, नं. 461, ग्राम आजादपुर, आजादपुर मंडी तथा रेल ओवर ब्रिज के निकट, दिल्ली-110003	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 10 मई, 2019 को दी गई। — (विकास जैटली) रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली

ओएनजीसी ONGC

एचपीएचटी एस्सेट, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश)
अभिरुचि की अभिव्यक्ति

ओएनजीसी, जीएसपीसी व जुबिलैंट ऑफशोर समाविष्ट साझा उपक्रम (जेवी) डीडीडब्ल्यू फील्ड का विकास कर रहा है। एचपीएचटी एस्सेट की ओर से जेवी ब्लॉक केजी-ओएसएन- 2001/3 में ड्रिलिंग गतिविधियों के सहायतार्थ 3 वर्षों की अवधि हेतु नियमित मासिक आधार पर सुरक्षा/बहु सहायक पोत के चार्टर किराया हेतु प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से "पार्टियों की पूर्व योग्यता" आमंत्रित है। **आरंभ करने की समय अनुसूची** : जैसा कि पीक्यूसी/निविदा प्रपत्र में उल्लिखित है। **अनुबंध निष्पादन का स्थान** : केजी-ओएसएन-2001/3 ब्लॉक, एचपीएचटी एस्सेट, ओएनजीसी, काकीनाडा। **दाखिल करने वास्ते दस्तावेज** : जैसा कि पीक्यूसी में निर्दिष्ट है। **दाखिल करने की तिथि व स्थान** : प्रकाशन तिथि से 10 (दस) कैलेंडर दिन के भीतर। **पीक्यूसी व परिशिष्ट की डाउनलोडिंग** : देखें निविदा वेबसाइट : https://tenders.ongc.co.in

ब्रिज एंड रूफ कं० (इंडिया) लि० B AND R
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No. U27310WB1920GOI003601
द्वितीय तल, जेवीएल प्लाजा, नं0 626, अन्ना सलाई, तेयनामपेट, चेन्नई-600018

निविदा आमंत्रण सूचना (निआसू)

निम्नलिखित कार्य हेतु निर्दिष्ट अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित, साधनसंपन्न व अनुभवी पार्टियों से दो भाग प्रणाली में आइटम दर प्रस्ताव आमंत्रित है :

क्र० सं०	कार्य का विवरण तथा निआसू सं०	बी एंड आर की वेबसाइट पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र	बोली दाखिले की नियत तिथि
1.	ओड़ीशा राज्य में संस्थापित लेड लाइट के प्रकाश नियंत्रण हेतु सीसीएमएस/ सीसीएमएस बॉक्स आधारित स्मार्ट मीटर/ अन्य संबंधित स्ट्रीट लाइट नियंत्रित प्रौद्योगिकी की डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापन तथा प्रचालन व अनुरक्षण। निआसू सं० : बी एंड आर/ एमडीएस/ ईईएसएल/ एनआईटी-सीसीएमएस/ ओड़ीशा दिनांक 31.05.2019	31.05.2019	10.06.2019

इच्छुक साधनसंपन्न ठेकेदार निविदा प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट : http://www.bridgeroof.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस संदर्भ में कोई भी शुद्धिपत्र/ संयोजन सिर्फ कंपनी की वेबसाइट : http://www.bridgeroof.co.in पर जारी की जाएगी।

विकास आयुक्त कार्यालय
(शाखा प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण)
विंग-बी, द्वितीय तल विन्ध्याचल भवन, अरेरा हिल्स भोपाल, मोबाईल- 9406904156

निरस्ती विज्ञापन सूचना

क्र 5492/22/वि-7/पीएमएवाय-जी/19 — भोपाल, दिनांक 1/6/2019

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत राजमिस्त्री प्रशिक्षण मार्गदर्शिका (भाग-1), प्रशिक्षु मार्गदर्शिका (भाग-2) एवं प्रशिक्षण पोस्टर (भाग-3) की 44,000-44,000 प्रतियाँ मुद्रित कराई जाना थी, के लिए जारी की गई निविदा सूचना को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। (जिसका जी 11424 नम्बर है।)

Sd/-
संचालक
पीएमएवाय-जी
विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

G-11813/19 तिरंगा राष्ट्र की शान है, इसे प्लास्टिक से न बनायें

केन्द्रीय भण्डारण निगम (भारत सरकार का उपक्रम)

निगमित कार्यालय: 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली-110016, टेलीफैक्स: 011-43857894, ई-मेल: engg.cwhd@cewacor.nic.in, वेबसाइट: www.cewacor.nic.in

सं.केभनि/नि.का.-इंजी./प्रैस नोट/2019-20/1959 दिनांक: 05.06.2019

ई-टैंडर आमंत्रण प्रैस सूचना

केन्द्रीय भंडारण निगम निम्नलिखित कार्यों के लिए ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है:

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु.में)	निविदाएं ऑनलाइन भेजने तथा निविदाएं खोलने की अंतिम तिथि
01	निगमित कार्यालय, हौजखास, नई दिल्ली, गेस्टहाउस ए-5, एनडीएसई-II और 311, एजीसीआर, नई दिल्ली में मरम्मत एवं रख-रखाव के सिविल कार्यों हेतु वार्षिक रख-रखाव का ठेका।	23.04	05.07.2019

अनुबंध की शर्तें और ई-टैंडर आमंत्रण सूचना सहित विस्तृत निविदा सूचना निगम की वेबसाइट www.cewacor.nic.in या ई-टैंडर वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC अथवा सीपीपी पोर्टल http://eprocure.gov.in/epublish/app. से देखी और डाउनलोड की जा सकती है। इस निविदा संबंधी यदि कोई शुद्धिपत्र/परिशिष्ट होगा तो वह केवल वेबसाइट www.cewacor.nic.in या ई-टैंडर वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC अथवा सीपीपी पोर्टल http://eprocure.gov.in/epublish/app.(CPP) पर प्रकाशित होगा। इसके लिए समाचार पत्र में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

मुख्य अभियंता

फॉर्म नंबर INC-26
[कंपनी नियम, 2014 की धारा 30 (निगमन)के तदानुसार]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण हेतु विज्ञापन
केंद्र सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र)
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनियों के (निगमन) नियम (2014) के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) के मामले में
तथा
श्रीराम इन्फ्राम्ड प्राइवेट लिमिटेड
("कंपनी") जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लेट नंबर 328/3-आरडी, फ्लेट सेक्टर-12, पीकेटी आई, द्वारका, नई दिल्ली, दिल्ली -110078 है।
.....याचिकाकर्ता

एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय "रा.रा.क्षे. दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 1 जून, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय में भेजें।

फ्लेट नंबर 328/3-आरडी, फ्लेट सेक्टर-12, पीकेटी आई, द्वारका, नई दिल्ली, दिल्ली-110078

आवेदक की ओर से और उसके लिए
श्रीराम इन्फ्राम्ड प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
महेश पाल सिंह चौहान
तिथि: 08.06.2019 — निदेशक
स्थान: नई दिल्ली — डीआईएन : 06843244

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक punjab national bank ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

बी.ओ. शालीमार बाग, दिल्ली, फोन नं. 8130694683, ईमेलः bo4184@pnb.co.in

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

पंजीकृत डाक से 21.5.2019 को निम्न को भेजी गईः

1. मै. नेहा एक्स्पोर्ट्स (ऋणधारक) द्वारा उसके प्रॉप्राइटर श्रीमती मधु गुलाटी, पत्नी श्री जसपाल सिंह
व्यावसायिक पताः 5/1, धारुहेरा औद्योगिक क्षेत्र, रेवाड़ी, हरियाणा-122001
पंजीकृत कार्यालयः डब्ल्यूजेड-113, गली नं. 34, भूतल, संत गढ़, एमवीएस नगर, दिल्ली-110018
साथ हीः डब्ल्यूजेड 185/1, उग्रसेन मार्केट, अशोक नगर, दिल्ली-110018
निवास का पताः i) 41-बी, खसरा नं. 1483/528, 1484/528, 5510/524, 1474/523 का भाग, महल बगात, कंसोलिडेशन नं. 164, तहसील एवं जिला लुधियाना, पंजाब
निवास का पताः 2) 41-बी, खसरा नं. 1372/310, 1375/311, 1366/307-2, 1367/308/312/1 का भाग, मौजा बहाइक, हदबस्त नं. 156, तहसील एवं जिला लुधियाना, पंजाब
निवास का पताः 3) एच. नं. 41/बी, ऑशो गार्डन, जगजीत नगर, राजगुरू नगर एक्स्टेंशन, तहसील एवं जिला लुधियाना, पंजाब
गारन्टरों: 1) श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा, पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा, पताः 1. 5/1 इंडस्ट्रियल एरिया, हुडा, धारुहेरा जिला रेवाड़ी, हरियाणा, पताः 2ः 2रा तल, सम्पत्ति सं. ए-2/122, ग्राम बसई दारापुर, राजौरी गार्डन के नाम से विदित, नई दिल्ली-110027, पताः 3ः सी-130, प्रथम तल, ग्राम बसई दारापुर, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015, पताः 4ः फ्लैट नं. 113, 2रा तल, सम्पत्ति सं. 104ए का भाग, खसरा नं. 20/20, ग्राम मटियाला कॉलोनी, टी-एक्स्टेंशन, पार्ट-III, जैन कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली, पताः 5ः डब्ल्यूजेड-15बी/1, 2रा तल, प्लॉट नं. 14 एवं 15, संतपुरा, अशोक नगर के निकट, नई दिल्ली-110015.
ii) श्री अमरजीत सिंह कालरा, पुत्र सुरिन्दर सिंह कालरा, निवासी सी-130, दूसरा तल, ग्राम बसई दारापुर, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015
iii) श्री जसपाल सिंह, पुत्र सुरिन्दर सिंह, पता 41-बी, खसरा नं. 1483/528, 1484/528, 5510/524, 1474/523 का भाग, महल बगात, कंसोलिडेशन नं. 164, तहसील एवं जिला लुधियाना, पंजाब जो सुश्री मधु गुलाटी, पत्नी श्री जसपाल सिंह तथा जसपाल सिंह, पुत्र सुरिन्दर सिंह के स्वामित्व में है।

विषयः पंजाब नेशनल बैंक, शालीमार बाग शाखा में नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार ऋण खाता

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	सुविधा	सीमा	विशिष्ट शेष (30.4.2019 को)
1	0637008700003176	कैश क्रेडिट (हाइपो एवं बीडी)	2,00,00,000.00	1,84,42,692.34
2 3	418400UD00001650 418400UD00001678	पैकिंग क्रेडिट	9,00,00,000.00	63,23,206.30 5,97,00,000.00
4	418400UN00000040	एफओबीपी/एफओयूबीपी/एफएबीसी जिसमें रु. 5.00 करोड़ की एडहॉक लिमिट शामिल है	27,00,00,000.00	24,72,49,987.00
	कुल		38,00,00,000.00	33,17,15,885.64

ऋणधारक मै. नेहा एक्स्पोर्ट्स ने 01.5.2019 से भुगतान की तिथि तक स्वीकृत दर पर आगे के ब्याज के साथ 30.4.2019 को रु. 33,17,15,885.64 (रुपये तैंतीस करोड़ सत्तरह लाख पंद्रह हजार आठ सौ पचासी एवं चौंसठ पैसे मात्र के भुगतान में चूक की है। उनके द्वारा प्राप्त साख सुविधाओं को 30.4.2019 को एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। बैंक ने 21.5.2019 को अधिनियम के अंतर्गत सूचना जारी कर उन्हें 30.4.2019 को बकाया रु. 33,17,15,885.64 की राशि के भुगतान का निर्देश दिया था। यह सूचना पंजीकृत डाक से भेजी गई।

एतद्द्वारा ऋणधारकों तथा गारन्टरों को निर्देश दिया जाता है कि सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 1.5.2019 से भुगतान तक ब्याज के साथ रु. 33,17,15,885.64/- की राशि का भुगतान करें अन्यथा बैंक नीचे अनुसूची में दी गई प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार ऋणधारक/ गारन्टर पूर्व सहमति की प्राप्ति के बिना सूचना की प्राप्ति की तिथि से प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

अनुसूची

परिसम्पत्तियों जिसमें प्रतिभूति हित निर्मित है, का विशिष्ट विवरण इस प्रकार है।

1) कच्चे माल का सम्पूर्ण भंडार, प्रगति में कार्य, तैयार सामग्री, कंज्युमैबल्स स्टोर्स/ पैकिंग सामग्री, प्रेषण में सामग्री तथा बुक डेब्ट्स के एसाइन्मेन्ट तथा ऋणधारक की सभी अन्य चालू परिसम्पत्तियों का हाइपोथेकेशन।
2) सम्पूर्ण चल परिसम्पत्तियों जैसे मै. नेहा एक्स्पोर्ट्स के नाम में प्लान्ट एवं मशीनरी तथा निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त गोदाम में पड़ी अन्य अटैचेबल परिसम्पत्तियों।
3) श्रीमती मधु गुलाटी, पत्नी श्री जसपाल सिंह के स्वामित्व में मैया बिहिका, हदबस्त नं. 156, ओशो गार्डन के नाम से विदित परिक्षेत्र, तहसील एवं जिला लुधियाना में स्थित खाता नं. 160/ 185 में आवासीय भूमि एवं भवन, नं. 41-बी, खसरा नं. 1372/310, 1375/311, 1366/307/2, 1367/308-312/1 के भाग में स्थित सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
4) श्रीमती मधु गुलाटी, पत्नी श्री जसपाल सिंह, पुत्र सुरिन्दर सिंह के स्वामित्व में महल बगात कंसोलिडेशन नं. 164, तहसील एवं जिला लुधियाना में स्थित 41-बी, खसरा नं. 1483/528, 1485/528, 5510/524, 1474/523, खाता नं. 27/23-42/45 में स्थित आवासीय भूमि एवं भवन में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
5) श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा, पत्नी अमरजीत सिंह कालरा के स्वामित्व में सी-130, प्रथम तल, ग्राम बसई दारापुर, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015 में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज
6) श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा, पत्नी अमरजीत सिंह कालरा के स्वामित्व में ग्राम बसई दारापुर, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027 में स्थित निर्मित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. ए-2/122 में छत के अधिकार के बिना दूसरे तल की अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज
7) श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा, पत्नी अमरजीत सिंह कालरा के स्वामित्व में इंडस्ट्रियल प्लॉट नं. 5/1, धारुहेरा इंडस्ट्रियल एरिया, रेवाड़ी, हरियाणा में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नेशनल बैंक

मप्र से 67.25 लाख टन से ज्यादा गेहूं नहीं खरीद सकते

केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा, सिर्फ एक राज्य के लिए कानून में और ढील नहीं दी जा सकती

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जून।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश से केंद्रीय 'पूल' के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 67.25 लाख टन से अधिक गेहूं खरीदने से इनकार कर दिया। सरकार का कहना है कि केवल एक राज्य के लिए कानून में और ढील नहीं दी जा सकती है। नियम है कि अगर कोई राज्य फसल खरीद पर बोनस की घोषणा करता है, केंद्रीय एजंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ), उस राज्य सरकार के खरीदे गए अतिरिक्त गेहूं से केंद्रीय पूल के लिए 28 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश सरकार ने 2019-20 विपणन वर्ष (अप्रैल-मार्च) में 1,840 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी से ऊपर 160 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देते हुए, 80 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की है। वहां गेहूं की सरकारी खरीद सौ लाख टन से ऊपर जा सकती है।

एफसीआइ के कामकाज की समीक्षा करने के बाद उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि नियम के अनुसार, हम किसी भी राज्य से वहां खरीदे गए बेशी गेहूं में 28 लाख टन से अधिक अधिशेष गेहूं नहीं खरीद सकते। हालांकि, मध्य प्रदेश को एक रियायत दी गई और एफसीआइ से 67.25 लाख टन गेहूं खरीदने के लिए कहा गया है। वहां 2017-18 विपणन वर्ष में बिना बोनस दिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इतना गेहूं ही खरीदा गया था। पहले ही राज्य सरकार को एक रियायत दी गई है। उन्होंने कहा कि नियमों में और ढील नहीं दी जा सकती।

खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब भाजपा शासित छत्तीसगढ़ सरकार ने चावल पर बोनस की घोषणा की थी, तब भी केंद्र ने केवल भुजिया चावल उठाने की शर्त पर बेशी खरीद से 28 लाख टन चावल खरीदा था। सूत्रों ने कहा कि यह नियम इसलिए लगाया गया है, ताकि बोनस की लालच में पड़ोसी राज्य का माल लाकर न बेच दिया जाए। क्योंकि इससे केंद्रीय पूल पर दबाव बढ़ जाएगा। केंद्रीय पूल में इस समय 411 लाख टन अनाज पड़ा है, जो बफर स्टाक की नियमित आवश्यकता की तुलना में दोगुना से अधिक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवश्यकता को पूरा करने के लिए एफसीआइ को 610 लाख टन अनाज के स्टॉक की आवश्यकता होती है।

विधायक के खिलाफ मामला दर्ज

भुवनेश्वर, 7 जून (भाषा)।

ओड़ीशा पुलिस ने शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से पीडब्लूडी के एक कनिष्ठ अभियंता से जबरन उठक-बैठक करवाने के मामले में बीजू जनता दल (बीजद) के विधायक सरोज कुमार मेहेर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को मेहर ने माफी मांगते हुए दावा किया कि उन्होंने लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए ऐसा किया।

गुरुवार को अभियंता की पत्नी ने पाटनागढ़ से नवनिर्वाचित विधायक मेहर की पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि बुधवार को उनके पति को घर से बाहर बुला कर सब लोगों के सामने अपमानित किया गया।

सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले आइपीएस अधिकारी बर्खास्त

अमदाबाद, 7 जून (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2002 के बिल्कीस बानो मामले में दोषी करार दिए गए गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी आरएस भगोरा को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक दिन पहले 30 मई को बर्खास्त कर दिया। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गुजरात के गृह विभाग के उप सचिव (पूछताछ) एमआर सोनी ने कहा कि 60 वर्षीय अधिकारी को 31 मई को अवकाश ग्रहण करना था और वह अमदाबाद में पुलिस उपायुक्त (यातायात) पद पर कार्यरत थे।

गृह विभाग को भगोरा की बर्खास्तगी के संबंध में 29 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय से सूचना मिली थी। सरकारी रिकार्ड के अनुसार भगोरा राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी थे और उन्हें 2006 में प्रोन्नत कर आइपीएस कैडर प्रदान किया गया था। बर्खास्तगी के कारण भगोरा को वे सब लाभ नहीं मिल सकेंगे जिनके हकदार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में गुजरात सरकार से कहा था कि वह भगोरा सहित उन के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करे जिन्होंने बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में कर्तव्य पालन में कोताही की थी।

छत्तीसगढ़ : जंगली हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत

जशपुर, 7 जून (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जंगली हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। लगभग एक महीने में इलाके में इस तरह की यह पांचवीं घटना है। वन विभाग के अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

जशपुर संभाग के संभागीय वन अधिकारी ने बताया कि हाथी के हमले की हालिया घटना बिरिमडगेआ गांव में बृहस्पतिवार शाम में उस समय घटी, जब अमृत नामक ग्रामीण अपने खेत में काम कर रहा था।

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले

और

अभिधान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (यू45201डीएल2005पीटीसी 140784) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1ई, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नाज सिनेमा कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110055 में है के मामले में

(आवेदक / याचिकाकर्ता)

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 27 मई, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

कृते अभिधान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
ह0/-
विकास कृष्ण शर्मा
निदेशक
डीआईएन: 03410194

07 जून, 2019
नई दिल्ली

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 11वां तल, टावर ए 1101, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 (भारत)
शाखा का पता: टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि., 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 5530737 (विजय पाल यादव)

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की श्री विजय पाल यादव, निवासी: 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके अध्यक्ष एवं ट्रस्टी श्री विजय पाल यादव, जी-10, कृष्णा, प्लाजा, गढ़ रोड, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके ट्रस्टी श्री विजय पाल यादव, पुत्र स्व. आर श्री यादव, निवासी: 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके ट्रस्टी श्रीमती सुनीता यादव, पत्नी विजय पाल यादव, निवासी: 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके ट्रस्टी श्री नितिन यादव, पुत्र श्री एम एस यादव, निवासी: 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके ट्रस्टी श्रीमती शिखा यादव, पत्नी जयदीप सिंह यादव, पुत्री श्री विजय पाल यादव, निवासी: 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके ट्रस्टी सुश्री वर्षा यादव, पुत्री श्री विजय पाल यादव, निवासी: 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके ट्रस्टी एम.एस. यादव, पुत्र स्व. आर.सी. यादव निवासी: 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके ट्रस्टी रमेश चन्द्र यादव, पुत्र हरि सिंह यादव, निवासी: 112, नांगलोई, दिल्ली-41, श्रीमती सुनीता यादव, निवासी: 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, मै. ईएमएम बी इन्फ्रा स्ट्रक्चर्स (इंडिया) प्रा.लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्रबंध निदेशक श्री विजय पाल यादव, प्लॉट नं. 1000 एम, ग्रामघट, निकट द्वारका हाइट्स, एनएच-58, वेट व्यास पुरी मेरठ, प्लॉट नं. 1000 एम, ग्रामघट, निकट द्वारका हाइट्स, एनएच-58, वेट व्यास, निदेशक श्रीमती सुनीता यादव, प्लॉट नं. 1000 एम, ग्रामघट, निकट द्वारका हाइट्स, एनएच-58, वेट व्यास पुरी, मेरठ, रमेश चन्द्र यादव, पुत्र हरि सिंह यादव, निवासी: 126/128, अमीर मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस वाली गली, ग्राम नांगलोई, दिल्ली-110041, कमला यादव, निवासी: के एम नं. 126/128, अमीर मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस वाली गली, ग्राम नांगलोई, दिल्ली-110041, मै. प्रसंडी बिल्डर्स प्रा.लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक राजीव अग्रवाल, जी-10, कृष्णा प्लाजा, गढ़ रोड, मेरठ, उ.प्र.-250002, मै. प्रसंडी बिल्डर्स प्रा.लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक सूरज यादव पाल, जी-10, कृष्णा प्लाजा, गढ़ रोड, मेरठ, उ.प्र.-250002, वीएएम रिजार्ट्स एंड होटल्स प्रा.लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक श्री विजय पाल यादव, एपैक्स कॉलेज व्यास पुरी के सामने, मेरठ, उ.प्र.-250002, वीएएम रिजार्ट्स एंड होटल्स प्रा.लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक श्रीमती सुनीता यादव, एपैक्स कॉलेज व्यास पुरी के सामने, मेरठ, उ.प्र.-250002 से 22 अप्रैल, 2017 को रु. 5,05,28,976/- (रुपए पांच करोड़ पांच लाख अट्ठाईस हजार नौ सौ छियत्तर मात्र) की कुल राशि की वसूली के लिये "जैसा है जहां है" एवं "जो भी वहां है" आधार पर 25 जून, 2019 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित है।

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 22 अप्रैल, 2017 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ रु. 5,05,28,976/- (रुपए पांच करोड़ पांच लाख अट्ठाईस हजार नौ सौ छियत्तर मात्र) की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली-110055 में उक्त 25 जून, 2019 को 2.00 बजे अप. में ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविदा टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई-नीलामी उक्त 24 जून, 2019 के 5.00 बजे अप. तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	कब्जा का प्रकार रचनात्मक/भौतिक	आरक्षित मूल्य रु. / धरोहर राशि रु.
सम्पत्ति सं. 1: प्लॉट नं. 21, सेक्टर नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र.-2013011 में ब्लॉक ए में निर्मित यूनिट नं. 15, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21, 2रा तल, सुपर एरिया 6600 वर्ग फीट। चौहद्दी: उत्तर: कॉरीडोर, दक्षिण: यूनिट नं. 22 एवं 23, पूर्व: कॉरीडोर तथा यूनिट नं. 2 से 5, पश्चिम: कॉरीडोर तथा यूनिट नं. 10 से 14	भौतिक	रु. 15264000/- / रु. 1526400/-
सम्पत्ति सं. 2: प्लॉट नं. 21, सेक्टर नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र.-2013011 में ब्लॉक ए में निर्मित यूनिट नं. 3, 4, 5, 6 एवं 11 ए प्रथम तल, सुपर एरिया 6356 वर्ग फीट। चौहद्दी: उत्तर: कॉरीडोर तथा यूनिट नं. 2,, दक्षिण: अन्य	भौतिक	रु. 14693400/- / रु. 1469340/-
सम्पत्ति सं. 3 प्लॉट नं. 21, सेक्टर नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र.-2013011 में ब्लॉक ए में निर्मित यूनिट नं. 8 एवं 9, भूतल जिसका सुपर एरिया माप 2600.00 वर्ग फीट है। चौहद्दी: उत्तर: अन्य सम्पत्ति	भौतिक	रु. 6010515/- / रु. 601051.5/-
सम्पत्ति सं. 4 प्लॉट नं. 21, सेक्टर नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.-2013011 में स्थित यूनिट नं. 17 एवं 18, 2रा तल, ब्लॉक डी, जिसका सुपर एरिया माप 1789 वर्ग फीट है। उत्तर: यूनिट नं. 15 एवं 16, दक्षिण: यूनिट नं. 19 एवं 20, पूर्व: कॉरीडोर तथा यूनिट नं. 3, पश्चिम: कॉरीडोर तथा यूनिट नं. 13	भौतिक	रु. 4135698/- / रु. 413569.8/-

समेकित आरक्षित मूल्य रु. 4,01,03,613/- तथा ईएमडी रु. 40,10,361/- होगी।
* बोलीदाता संयुक्त अथवा व्यक्तिगत रूप से सभी सम्पत्तियों के लिये अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को देय राशि का ऋणधारक पूरी तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह बिक्री रोक दी जायेगी। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी: ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 25 जून, 2019 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net या Auctiontiger Mobile App (Android) के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।
3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- होगी।
4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ "टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि." के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा व शर्ते वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है।
7. सम्पत्ति का निरीक्षण 21 जून, 2019 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं तक किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा तथा उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। जमा की गई राशि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी की इच्छा पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
10. टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणों: शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता: मै. ई-प्रॉक्योरमेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अहमदाबाद, फोन: 07961200520/598/554/587/559/587/538, ईमेल आईडी: support@auctiontiger.net एवं rajsthan@auctiontiger.net एवं tilak@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. टिप्पणी: इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्री जगदीप सहरावत, ई-मेल: jagdeep.sehrawat@ TataCapital.com तथा मोबाईल नं. 7290010751 से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाइट अर्थात् https://sarfaesi.auctiontiger.net में दी गई लिंक देखें।

स्थान: दिल्ली — हस्ता./-
तिथि: 8.6.2019 — प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालय: 9वाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईट: www.pnbhousing.com

शाखा का पता: डी-2, सेक्टर-3, नोएडा, उ.प्र. 201301, फोन: 0120-6511224-226, ईमेल: noida@pnbhousing.com
शाखा का पता: 8वाँ तल, डीसीएम बिल्डिंग, 16, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, फोन नं. 011-23357170/74, ईमेल: customercare@pnbhousing.com
शाखा का पता: एच. नं. 36, ब्लॉक बी-1, भू तल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, फोन: 011-25546073/74/7570/74, ईमेल: janakpuri@pnbhousing.com
शाखा का पता: 5 वाँ तल, एचबी ट्विन टावर-1, प्लॉट नं. ए-2, 3, 4, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, ईमेल: pitampura@pnbhousing.com

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, यथा-संशोधित के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के चैप्टर III की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. (यहां के बाद "पीएनबीएचएफएल") ने डी-2, सेक्टर-3, नोएडा, उ.प्र. 201301 में स्थित हमारे नोएडा कार्यालय एवं साथ ही 8वाँ तल, डीसीएम बिल्डिंग, 16, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 में स्थित हमारी दिल्ली शाखा कार्यालय एवं साथ हीं एच.नं. 36, ब्लॉक बी-1, भूतल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में स्थित हमारी जनकपुरी शाखा एवं साथ ही 5 वाँ तल, एचबी ट्विन टावर-1, प्लॉट नं. ए-2, 3, 4, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 में स्थित हमारी पीतमपुरा शाखा द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के चैप्टर III की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी किया था। उक्त मांग सूचना नीचे वर्णित आप सभी ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जारी की गई थी क्योंकि किस्तों/ब्याज का भुगतान नहीं करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। उसका विषय-वस्तु मूलधन, ब्याज आदि की किस्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक है। बकाया राशि नीचे वर्णित है। पुनः कारणों के आधार पर हमारा मानना है कि आप मांग सूचना की अनदेखी कर रहे हैं, अतः उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार इस मांग सूचना का प्रकाशन अपरिहार्य हो गया है। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन ब्याज एवं चार्जेज के साथ उक्त राशि का मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को भुगतान करें, अन्यथा पीएनबीएचएफएल ऋणधारकों तथा गारन्टरों की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कब्जा करने सहित किसी एक या अधिक प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी एक अथवा सभी जरूरी कार्रवाई शुरू करेगा।

आपका ध्यान वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बकाया देयता की सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन से पूर्व पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बकाया देयता की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उसके बाद आप प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को विमोचित करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

पुनः उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य रूप से अंतरित करने से आप प्रतिबंधित हैं।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम/ पता	गारन्टर का नाम/ पता	गिरवी सम्पत्ति	मांग सूचना तिथि	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि
1.	HOU/DEL/1116/ 330856 बी.ओ. दिल्ली	श्री मानकेश्वर कुमार सिंह एवं श्रीमती विनीता सिंह, पता: फ्लैट नं. 116, सूरज अपार्टमेन्ट्स, पहलादपुर, दिल्ली-110044		फ्लैट नं. बी-1211, 12 वां तल, टावर एस 1 (ब्लॉक बी), ला कैसा, सुशांत एक्वा पोलिश, ग्राम-डून्डाहेरा, एनएच-24, गाजियाबाद, उ.प्र. 201001	18.5.2019	18.5.2019 को रु. 3361779.85
2.	HOU/JAN/0716/ 306279 बी.ओ.: जनकपुरी	श्री विजय प्रकाश शर्मा, श्रीमती बबली शर्मा तथा मै. श्रेया इम्पेक्स डब्ल्यूजेड-501, श्री नगर, शकरपुर, गली नं. 1, सरस्वती विहार, दिल्ली-110034	एन.ए.	402, टावर बी, मांण्ड डी प्रोवेन्स (होल्ड) सेक्टर-02, गुड़गाँव, हरियाणा-122001	13.5.2019	13.5.2019 को रु. 22803387.13
3.	HOU/JAN/0916/ 316068,HOU/JAN/0916/316074 बी.ओ.: जनकपुरी	स्व. श्री विजय कुमार शान्डिल्य (द्वारा उनके उत्तराधिकारियों) एवं श्रीमती निशा वशिष्ठ, 211, दूसरा तल, टैगोर पार्क, नई दिल्ली-110009	एन.ए.	501, 5 टावर 5 तथा 703, 7, टावर 5, रिद्धि सिद्धि, सेक्टर 99, गुड़गाँव, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निकट, हरियाणा-122001	13.5.2019	9.5.2019 को रु. 28,39,497.18
4.	0031 6660001641, एनएचएल/जेएएन/0517/390593,एचओयू/जेएएन/0417/380673 बी.ओ.: जनकपुरी	श्री संदीप कुमार एवं श्रीमती भावना कुमार ए-206, 2रा तल, प्लॉट नं. जी एच-01/सी, टावर-ए, जेएम आर्चिड, सेक्टर-76, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	एन.ए.	ए-206, 2रा तल, प्लॉट नं. जी एच-01/सी, टावर-ए, जेएम आर्चिड, सेक्टर-76, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	9.5.2019	9 मई, 2019 को रु. 10,16,906.67
5.	0031 6660000672 बी.ओ.: जनकपुरी	श्री सत्येन्द्र कुमार एवं श्रीमती रेणु सत्येन्द्र कुमार प्लॉट नं.-1036, 2रा तल, नीति खंड-1, इन्दिरापुरम, उत्तर प्रदेश-201010	एन.ए.	फ्लैट नं. एपी-0301, यूनीटेक यूनीहोम्स-3, 113, नोएडा, उ.प्र.-201301	27.5.2019	27 मई, 2019 को रु. 26,01,836.67
6.	HOU/PTP/0117/ 344457 बी.ओ.: पीतमपुरा	श्री अवधेश कुमार तथा श्रीमती नीरम राय एच.नं.: 508, बृज विहार, बी-ब्लॉक, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001	एन.ए.	प्लॉट नं. बी-268, 1ला तल, वृज विहार, गायिजाबाद, उत्तर प्रदेश-201001	8.5.2019	8 मई, 2019 को रु. 26,15,023.23
7.	0016 6660003109 बी.ओ.: नोएडा	श्री विकास तेजयान, श्रीमती अनीता छिद्रा फ्लैट नं. एएफ-103 एफ, भूतल, ग्रीन ग्लेड्स, सेक्टर-ए, अंसल गोल्फ लिंक-1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308	एन.ए.	फ्लैट नं. 0104, तल-1, टावर ए-4, यूनीहोम-3, सेक्टर-113, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	15.5.2019	15.5.2019 को रु. 1747698.58
8.	0016 6710002302 बी.ओ.: नोएडा	श्री भूदेव गुप्ता, श्री रोहित गुप्ता शॉप नं. 14 एवं 15, भूतल, प्लॉट नं. 116, सावित्री कॉम्प्लैक्स, मोहल्ला कोटियाट, जी.टी. रोड, मॉडल टाउन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001	श्री आनंद कौशिक, मै. एल आर एंड कम्पनी, 19, कल्लुपुरा, गायिजाबाद, उत्तर प्रदेश-201001	शॉप नं. 14 एवं 15, भूतल, प्लॉट नं. 116, सावित्री कॉम्प्लैक्स, मोहल्ला कोटियाट, जी.टी. रोड, मॉडल टाउन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001	16.5.2019	16.5.2019 को रु. 14,12,830.56

स्थान: नोएडा, दिल्ली, जनकपुरी, पीतमपुरा, तिथि: 07.06.2019 — प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि.

माडर्न कॉलेज ऑफ एजूकेशन
प्लॉट संख्या-1481, ग्राम-कुरौनी, पोस्ट-बंथरा, जनपद-लखनऊ
modern.ltc@gmail.com | 8368491869, 8127231231
बी.एड एवं (डी.टी.सी.) में एन.सी.टी.ई./उ.प्र. शासन की नियमावली अनुसार शैक्षिक अर्हता एवं वेतनमान पर निम्न विभाग अनुसार शिक्षकों/प्रवक्ताओं की आवश्यकता है:-

विभागाध्यक्ष	(1 पद)
प्रवक्ता-शिक्षा के आधार	(4 पद)
प्रवक्ता-भाषा	(1 पद)
प्रवक्ता-सामाजिक विज्ञान	(1 पद)

शैक्षिक योग्यता/शिक्षण अनुभव
एन.सी.टी.ई. एवं उ.प्र. शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षणिक अनुभव

अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा दो नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ के साथ कॉलेज के पते पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर एक सप्ताह के अंदर जमा करा दें तथा दिनांक 17.06.2019 को प्रातः 11 बजे कॉलेज परिसर में साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित हों। प्रबन्धक

फार्म INC-26
कंपनियों के 30 नियम (निगमन) नियम, 2014 के अनुसार
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, केंद्र सरकार, बी-2, विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन (पहले पर्यावरण भवन), सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003, भारत
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) के मामले में और कंपनियों (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क), और
अम्बे फैब्रिक क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड CIN: U17100DL2006PTC151531
पंजीकृत कार्यालय
एम -18, ग्रेटर कैलाश -प्रथम, नई दिल्ली-110048, भारत ....। आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी गई है कि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, अतिरिक्त में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग करती है। साधारण आम बैठक 3 मई, 2019 को आयोजित की गई ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली के एनसीटी से उत्तर प्रदेश राज्य में बदल सके।

कोई भी व्यक्ति जिसकी रुचि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस सूचना की तारीख से चौदह दिनों के भीतर एमसीए -21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर, या एक एफिडेविट द्वारा उसकी रुचि और / उसकी आपत्तियों के समर्थन के आधार पंजीकृत डाक द्वारा नीचे दिए गए पते पर आवेदन भेजें, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2, विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन (पूर्व में) पौरवरण भवन), सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003, भारत, आवेदन की एक प्रति कंपनी पंजीकृत कार्यालय में भेजें, एम -18, ग्रेटर कैलाश -प्रथम, नई दिल्ली-110048, भारत
आवेदक की ओर से और उसके लिए
अम्बे फैब्रिक क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
Sd/- विनोद वर्मा, निदेशक DIN: 02310447
P-34, सेक्टर-12, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश, भारत
दिनांक: 28-05-2019 स्थान: नई दिल्ली

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
1150-एचएफ गुड़गाँव शाखा, एससीओ नं.-31, सेक्टर-12ए, हुडा मार्केट, पुराना दिल्ली रोड, टेलीफोन एक्सचैंज के सामने, गुड़गाँव-122001

कब्जा सूचना
{प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत} (अचल सम्पत्ति) के लिए

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 01.02.2019 जारी कर ऋणधारक श्री सुधीर कुमार मलिक तथा श्रीमती रेणु मलिक को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 9,26,379.00 (रुपये नौ लाख छब्बीस हजार तीन सौ उन्यासी मात्र) 01.02.2019 को बकाया, वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 1 जून, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित्त प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 9,26,379.00 (रुपये नौ लाख छब्बीस हजार तीन सौ उन्यासी मात्र) 01.02.2019 को बकाया तथा उस पर ब्याज के लिये आन्ध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्तियों का विवरण

श्री सुधीर कुमार मलिक के नाम में गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित आवासीय प्लॉट/मकान सं.-1/363 (मकान का टाइप-45/75), सेक्टर 1, वसुंधरा स्कीम। चौहद्दी:-
पूर्व: एच.नं. 362 — **पश्चिम:** एच.नं. 386, 387, 388
उत्तर: एच.नं. 391 — **दक्षिण:** सड़क

तिथि: 01.06.2019 — एजीएम एवं प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: गुरुग्राम — आन्ध्रा बैंक

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
घेली इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	घेली इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	23.12.1996
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा, नई दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U19201DL1996PTC195014
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	एलजी-1ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, हौजखास, नई दिल्ली-110016
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	23.5.2019 (आदेश की प्रति 6.6.2019 को वेबसाईट पर अपलोड की गई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	3.12.2019 जो आईआरपी द्वारा आदेश की प्राप्ति की तिथि से 180 दिन है।
8.	प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है	प्रमोद कुमार शर्मा, आई पी पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00110/ 2017-18/10258
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेल:	पता: एच.नं.-16, दशरथ कुंज- बी, पश्चिमी अर्जुन नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश-282001 ई-मेल का पता: pksharmafcs@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पता: एच.नं.-16, दशरथ कुंज- बी, पश्चिमी अर्जुन नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश-282001, ई-मेल का पता: gheliinternational.cirp@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	20.6.2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	इस चरण में क्रेडीटरों का वर्ग सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	(क) वेबलिंक: https:// ibbi.gov.in/ downloadform.html (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 23.5.2019 को (आदेश की प्रति वेबसाइट पर 6.6.2019 को अपलडोड की गई) घेली इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा घेली इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि नं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 20.6.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये (वर्ग निर्दिष्ट करें) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं: लागू नहीं

दावे का प्रमाण भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के शीर्षक IV के अनुसार जमा किये जा सकते हैं। दावे का प्रमाण निम्न विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में जमा किये जा सकते हैं।
प्रपत्र बी: कर्मियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर ऑपरेशनल क्रेडीटर्स द्वारा दावे
प्रपत्र सी: वित्तीय क्रेडीटरों द्वारा दावे
प्रपत्र सीए: किसी वर्ग में वित्तीय क्रेडीटरों द्वारा दावे (रीयल इस्टेट परियोजना के अंतर्गत)
प्रपत्र डी: कर्मियों तथा किसी कर्मचारियों द्वारा दावे
प्रपत्र ई: कर्मियों अथवा किसी कर्मचारियों के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा किये गये दावे
प्रपत्र एफ: वित्तीय क्रेडीटरों तथा ऑपरेशनल क्रेडीटरों के अतिरिक्त क्रेडीटरों द्वारा दावे।
संबंधित प्रपत्र URL http://ibbi.gov.in/downloadform.html से डाउनलोड की जा सकती है।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाणों को जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

प्रमोद कुमार शर्मा
तिथि: 7.6.2019 — अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल
स्थान: नई दिल्ली — घेली इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
आई.पी. पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00110/2017-18/10258

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालय: दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005, फोन : 011-28754615, 28754642
ईमेल : dlirec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स और बंधककर्ताओं से प्रत्याभूत - दाता कॉर्पोरेशन बैंक से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 26.06.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

शाखा का नाम एवं पता : ओवरसीज शाखा, फोन: 011-23418730,23418720

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :	कर्जदार: मैसर्स शारदा टिम्बर्स, 74/20-21, 75/1, अमर कॉलोनी, रोहतक रोड, नांगलोई जट, नई दिल्ली-110041. गारंटर: राज कुमार बंसल (प्रोपराईटरशिप), 2. श्रीमती शकुंतला देवी 3. श्रीमती मंजू बंसल 4. श्री कृष्ण अग्रवाल पुत्र श्रीकृष्ण जोगाराम अग्रवाल, 5. श्रीमती लता बंसल पत्नी श्री श्यामलाल बंसल, 6. श्रीमती सोनू बंसल पत्नी श्री ईश्वर चंद बंसल, 7. श्री वेद प्रकाश अग्रवाल एचयूएफ, 7. श्री वेद प्रकाश अग्रवाल एचयूएफ, वेद प्रकाश अग्रवाल के प्रतिनिधित्व 8. राज कुमार बंसल (एचयूएफ) 9. ईश्वर चंद बंसल (एचयूएफ), 10. वेद प्रकाश बंसल, 11. श्री श्याम लाल बंसल पुत्र श्री किशन लाल अग्रवाल, 12. श्री प्रवीण कुमार बंसल पुत्र श्री राजकुमार बंसल, 13. श्री ईश्वर चन्द बंसल पुत्र श्री कृष्ण अग्रवाल, 14. वेद प्रकाश बंसल	बकाया राशि ₹ 17,16,566,72.04 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 1 संपत्ति खसरा न. 49/23, गाँव - मुंडका, नांगलोई, में स्थित, क्षेत्रफल 1 बीघा यह सम्पत्ति श्री ईश्वर चंद बंसल (एचयूएफ) के नाम पर है, क्षेत्रफल 1008 वर्ग फीट
नीलामी की तिथि एवं समय : 26.06.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 8,27,00,000/- जमा धरोहर राशि रु. 82,70,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sharda_timbers_1.pdf

सम्पत्ति नं. 2 संपत्ति खसरा न. 73/82, गाँव - मुंडका, नांगलोई, में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती मंजू बंसल के नाम पर है, क्षेत्रफल 430 वर्ग गज
नीलामी की तिथि एवं समय : 26.06.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 3,72,30,000/- जमा धरोहर राशि रु. 37,23,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sharda_timbers_1.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :	कर्जदार: मैसर्स सुगन चंद इम्पेक्स प्रा. लि., 2236-38 हरध्यान सिंह रोड, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-5. गारंटर: 1. श्री विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री भजन लाल, 2. श्री अनुज सिंडल पुत्र श्री सुरेश सिंडल, 3. श्री प्रमोद कुमार पुत्र स्व. श्री भजन लाल, 4. श्री सुगन चंद जैन पुत्र श्री टी.एस. जैन	बकाया राशि ₹ 6,24,06,957/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 3 खसरा न. 197 में से व्यावसायिक सम्पत्ति नं. ए-12/बी, सम्पत्ति नं. ए-12 का भाग, जिसका क्षेत्रफल 70 वर्ग गज है जोकि गाँव घन्दावली, अबादी जगतपुरी, मेन मंडोली रोड, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110093 में स्थित है।
नीलामी की तिथि एवं समय : 26.06.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 1,66,43,000/- जमा धरोहर राशि रु. 16,64,300/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sugan_chand_impex_pvt.pdf

दिनांक: 07.06.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

सिविल इंजीनियरिंग विभाग
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
अधिशासी अभियंता (बी.एम.-III)
पालिका पार्किंग, नई दिल्ली-110001

ई-प्राप्ति निविदा सूचना

आईडी सं. : 2019_NDMC_173638_1
कार्य का नाम : लोधी गार्डन में रोज कॉल सेंटर में सुधार।
उपशीर्षक : लोधी रोड एस/सी के तहत लोधी गार्डन में रोज कॉल सेंटर में रेत कैंड स्टोन डिस्टेम्परिंग पेंटिंग और अन्य विविध मामूली कार्य प्रदान करना और सीपेज को वाटरबार द्वारा फिक्स करना।
अनुमानित लागत : ₹ 6,10,101/-
ई-प्राप्ति सुविधा के माध्यम से निविदा जारी करने की तिथि : 06.06.2019
ई-प्राप्ति सुविधा के माध्यम से निविदाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि/समय : 17.06.2019, दोपहर 4.00 बजे
अधिक जानकारी के लिए www.govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
नोट :- न.दि.न.प. की ई-निविदा में भाग लेने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ई-निविदा प्रणाली के साथ पंजीकरण अनिवार्य है।

हस्ताक्षरित
अधिशासी अभियंता (बी.एम.-III)

To be The Global Benchmark for a Capital City

ब्रिज एंड रूफ कं0 (इंडिया) लि0
बी एण्ड आर / B AND R
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No. U27310WB1920GOI003601
द्वितीय तल, जेवीएल प्लाजा, नं0 626, अन्ना सलाई, तेयनामपेट, चेन्नई-600018

निविदा आमंत्रण सूचना (निआसू)

निम्नलिखित कार्य हेतु निर्दिष्ट अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित, साधनसंपन्न व अनुभवी पार्टियों से दो भाग प्रणाली में आइटम दर प्रस्ताव आमंत्रित है :

क्र0 सं0	कार्य का विवरण तथा निआसू सं0	बी एंड आर की वेबसाइट पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र	बोली दाखिले की नियत तिथि
1.	पैन इंडिया आधार पर सोलर लेड स्ट्रीट लाइट की डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति व संस्थापन के साथ 5 वर्ष की वारंटी। निआसू सं0: बी एंड आर/ एमडीएस/ 71104/ ईईएसएल/ एसएसएलएस/ एनआईटी/ 0538 दिनांक 04.06.2019	04.06.2019	13.06.2019

इच्छुक साधनसंपन्न ठेकेदार निविदा प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट : http://www.bridgeroof.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस संदर्भ में कोई भी शुद्धिपत्र/ संयोजन सिर्फ कंपनी की वेबसाइट : http://www.bridgeroof.co.in पर जारी की जाएगी।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
ई-निविदा सूचना

निविदा सूचना सं. 05/UE/ALLD/2018-19 — **दिनांक** 08.06.2019

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, (क) विधि विभाग के मरम्मत, पुताई (ख)तिलक भवन के सामने नाली, लोहा ग्रिल और कंक्रीट पेवर ब्लाक लगाने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के उपयुक्त श्रेणी के पात्र पंजीकृत संविदाकारों/ठेकेदारों से ई-निविदाएं आमंत्रित करता है।

ई-निविदा आमंत्रित करने की विस्तृत सूचना वेबसाइट www.eprocure.gov.in एवं www.allduniv.ac.in पर उपलब्ध होगी। इस निविदा सूचना में और निविदा दस्तावेज में किसी संशोधन/शुद्धि की स्थिति में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त सभी वेबसाइटों पर जारी किया जाएगा और उसकी कोई भी प्रेस सूचना किसी अन्य रूप में जारी नहीं की जाएगी।

कुलसचिव

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले

और

बेयला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (यू45201डीएल2006पीटीसी 147959) जिसका पंजीकृत कार्यालय 15, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 में है के मामले में

(आवेदक/याचिकाकर्ता)

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 27 मई, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

कृते बेयला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
ह0/-
देवेंद्र दुआ
निदेशक
डीआईएन: 07109935

07 जून, 2019
नई दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले

और

वेबसिटी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (45201डीएल2005पीटीसी 139867) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1ई, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नाज सिनेमा कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110055 में है के मामले में

(आवेदक/याचिकाकर्ता)

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 28 मई, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

कृते वेबसिटी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
ह0/-
कृष्ण कुमार शौरा
निदेशक
डीआईएन: 06802349

07 जून, 2019
नई दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले

और

लिजेबेथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (45201डीएल2006पीटीसी 148045) जिसका पंजीकृत कार्यालय 15, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 में है के मामले में

(आवेदक/याचिकाकर्ता)

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 28 मई, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

कृते लिजेबेथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
ह0/-
देवेंद्र दुआ
निदेशक
डीआईएन: 07109935

07 जून, 2019
नई दिल्ली

जीडीपी वृद्धि दर 7.20 फीसद रह सकती है

मुंबई, 7 जून (भाषा)।

वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने शुक्रवार को अनुमान व्यक्त किया कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 2019-20 में 7.20 फीसद रह सकती है।

कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कच्चा तेल की नरम कीमतें, राजनीतिक स्थिरता और बुनियादी संरचना की दिक्कतों के दूर होने से जीडीपी की वृद्धि को समर्थन मिल सकता है। हालांकि, उसने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की दिक्कतों के कारण वृद्धि दर नरम होने का जोखिम है।

पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर पांच साल के निचले स्तर 5.80 फीसद पर आ गई। इसके कारण पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 6.80 फीसद तक सीमित हो गई।

गोल्डमैन की यह रिपोर्ट रिजर्व बैंक की दूसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के निष्कर्षों की घोषणा के एक दिन बाद आई है।

रिजर्व बैंक ने गुरुवार को लगातार तीसरी बार रेपो दर में 0.25 फीसद की कटौती की है। रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7.20 फीसद से घटा कर सात फीसद कर दिया है।

गोल्डमैन ने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर में तेजी का कारण वित्त वर्ष 2019-20 में कच्चा तेल की कीमतें नरम रहने के हमारे अनुमान, चुनाव के बाद नई सरकार और मंत्रिमंडल के गठन से भरोसे में तेजी व बुनियादी संरचना क्षेत्र में दिक्कतों का आसान होना है।

गोल्डमैन सैक्स ने यह अनुमान भी व्यक्त किया कि रिजर्व बैंक जुलाई-सितंबर में एक बार फिर से रेपो दर में 0.25 फीसद की कटौती कर सकता है।

लोकसभा चुनाव में भाजपा के खर्चे पर कांग्रेस ने उठाया सवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जून।

कांग्रेस ने लोकसभा के हाल ही में संपन्न चुनाव में भाजपा पर धनबल का व्यापक तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि सत्तारूढ़ दल ने चुनाव जीतने के लिए एक अनुमान के अनुसार करीब 27 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। भाजपा ने 437 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, इस लिहाज से उसने प्रति संसदीय क्षेत्र करीब 62 करोड़ रुपए खर्च किए।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के हवाले से कहा कि इस संस्थान ने यह अनुमान लगाया है कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में करीब 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए और इस खर्च का करीब 45 फीसद यानी 27,000 करोड़ रुपए सिर्फ भाजपा ने खर्च किया। उन्होंने कहा कि बाकी सभी पार्टियों में से कोई भी भाजपा के निकट दूसरे स्थान पर नहीं थी।

सिंघवी ने कहा कि 27,000 करोड़ रुपए भारत के शिक्षा के कुल बजट का 30 फीसद हिस्सा होता है। यह हमारे स्वास्थ्य के अखिल भारतीय बजट का आधे से थोड़ा कम है। उन्होंने कहा कि 1998 और 2019 के बीच चुनावी खर्च करीब 6-7 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि यदि 60,000 करोड़ के आंकड़े को अगर आप भारत में सामूहिक रूप से से जितने मतदाता हैं, उतने लाखों-करोड़ों से गणित में बांटें तो यह आंकड़ा 100 करोड़ प्रति संसदीय क्षेत्र बनता है। इसमें से 45 करोड़ रुपए अकेले भाजपा ने खर्च किए। उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम उसने कहां से खर्च की।

टीआरएस ने कांग्रेस के 12 विधायकों के पार्टी में शामिल होने को सही ठहराया

हैदराबाद, 7 जून (भाषा)।

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने कांग्रेस के 12 विधायकों के तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो जाने के कदम को शुक्रवार को यह कहते हुए सही ठहराया कि उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की अगुआई वाली पार्टी को अपने खेमे को साथ नहीं रख पाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

विधानसभा के अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 12 दलबदलुओं को सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य के तौर पर गुरुवार को मान्यता दी। टीआरएस के प्रवक्ता आबिद रसूल खान ने दावा किया था कि 12 विधायकों ने मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की अगुआई वाली पार्टी का हिस्सा बनना तय किया है।

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. ई-निविदा तिथि विस्तार सूचना इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा सूचना सं. ETC/MU/T-28/2019-20 एवं ETC/MU/T-33/2019-20 के सम्बन्ध में सूचित करना है कि प्रर्याप्त निविदा उद्धरण (कोटेशन) प्राप्त न होने के कारण से उक्त निविदा सूचना प्राप्ति की तिथि दिनांक 11.06.2019 तक विस्तारित की जाती है । कृपया www.etender.up.nic.in पर विस्तार से सभी सूचना, विवरण/डाउनलोड तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन/विस्तार हेतु निविदा खुलने की तिथि तक लॉग ऑन करे। शेष अन्य नियम व शर्ते यथावत रहेंगी। ''राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें'' **पत्रांक: No.** 1129/ **वि.पा.म.(ETC)/ मु.नगर(MZN) दिनांक/DATED** 07.06.2019

सार्वजनिक सूचना
केंद्रीय सरकार के समक्ष,
(क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4), और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में
तथा
फाइबरफोक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 203, दूसरा फ्लोर, पी-27, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 में है के मामले में।
याचिकाकर्ता/आवेदक

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली राज्य"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानान्तरित करने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत 06.06.2019 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार, शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली को सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए।

कृते और आवेदक की ओर से
फाइबरफोक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
(विनोद के पार्क)
निदेशक
DIN: 02821481

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 07.06.2019

बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ इंडिया / Bank of India BOI
नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा, "स्टार हाउस",
तीसरी मंजिल, एच -2, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली - 110001,
फोन: 011-23755606, 23755605

इरादतन चूककर्ताओं के फोटोग्राफ के प्रकाशन के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **बैंक ऑफ इंडिया** ने निम्नलिखित व्यक्तियों (उधारकर्ताओं और/या गारंटरों होने के नाते) को आरबीआई द्वारा एवं साथ ही बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तथा इस संदर्भ में आरबीआई द्वारा और **बैंक ऑफ इंडिया** के बोर्ड द्वारा अनुबद्ध और निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् नीचे वर्णित खातों में 'इरादतन चूककर्ता' घोषित किया है। हम बड़े पैमाने पर जनता के हित में उधारकर्ता और/या गारंटरों की फोटो के साथ 'इरादतन चूककर्ता' खातों के नाम प्रकाशित कर रहे हैं।

क्र. सं.	शाखा का नाम उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (ओं) का नाम एवं पता	एनपीए की तारीख और देय	खाते का नाम, पता और खाता संख्या	उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (ओं) की फोटो एवं नाम
1.	पहाड़गंज शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा श्री राम सिंह, डी-171, सेक्टर 49, नोएडा उत्तर प्रदेश	31.12.2013 रु. 5,68,67,610.46 एनपीए की तारीख से आगे का अतिरिक्त ब्याज और प्रभार	मैसर्स वत्स फ्यूल इंडस्ट्रीज, 44/7, ग्राम भोजपुर, जिला-शिवपुरी, मध्य प्रदेश 600970410000008 600965410000012 600965410000010 600930110000030	 श्री राम सिंह
2.	पहाड़गंज शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा श्री दिनेश कुमार सिंघल, ए-131, सेक्टर - 55, गौतम बुद्ध नगर, नौएडा, उत्तर प्रदेश	31.12.2013 रु. 5,87,92,985.03 एनपीए की तारीख से आगे का अतिरिक्त ब्याज और प्रभार	मैसर्स सिंघल फ्यूल इंडस्ट्रीज, 44/6, ग्राम भोजपुर, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश 600970410000009 600965410000013 600965410000011 600930110000031	 श्री दिनेश कुमार सिंघल
3.	नई दिल्ली मिड कॉर्पोरेट शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा श्री प्रबोध कुमार तिवारी सी-67, फ्रेंड्स कॉलोनी (ईस्ट), नई दिल्ली श्री अभिषेक तिवारी सी-67, फ्रेंड्स कॉलोनी, (ईस्ट), नई दिल्ली	31.12.2011 रु. 44,67,65,202.86 एनपीए की तारीख से आगे का अतिरिक्त ब्याज और प्रभार	मैसर्स पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय नं. 1 से 7, 19 वीं मंजिल, लोटस नीलकमल बिजनेस पार्क, प्लॉट नंबर सी 18 से सी 21, सी.एस. नं. 639,640,641 और 642, गाँव ओशिवारा, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (वेस्ट), मुंबई 605965410000015	 श्री प्रबोध कुमार तिवारी श्री अभिषेक तिवारी
4.	पहाड़गंज शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा श्री मयंक सिंघल, ए-131, सेक्टर -55, गौतम बुद्ध नगर, नौएडा, उत्तर प्रदेश	31.03.2014 रु. 3,61,76,958.28 एनपीए की तारीख से आगे का अतिरिक्त ब्याज और प्रभार	मैसर्स दिल्ली बायो ब्रिकेट मिल्स, एचसी-7, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर उ.प्र. 600970410000007 600930100030131 600930110000005	 श्री मयंक सिंघल
5.	ओखला एसएमई शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा श्री मो. सरवर अली मकान नं. 2, पहली मंजिल, मारवाह हाउस, बागिची नं. 3, हरि नगर आश्रम, नई दिल्ली	28.11.2010 रु. 51,68,713.54 एनपीए की तारीख से आगे का अतिरिक्त ब्याज और प्रभार	मैसर्स हाइनेस इंडिया, प्रोपराइटर श्री मो. सरवर अली, आरजेड-174, गली नंबर 1, दूसरी मंजिल, मध्य मार्ग, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली 602982610000014 602930110000049	 श्री मो. सरवर अली
6.	पहाड़गंज शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा श्री संजीव गुप्ता, आई-1806, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली श्रीमती अंजू गुप्ता, आई-1806, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली	31.12.2015 रु. 24,44,47,528.00 तथा ब्याज और प्रभार	मैसर्स वैभव एंटरप्राइजेज, 102, सोलिटेयर प्लाजा, इमारत नं. 2605 एवं 2607 गुरुद्वारा रोड, करोलबाग नई दिल्ली 600930100030128	 श्री संजीव गुप्ता श्रीमती अंजू गुप्ता
7.	कमला नगर शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा श्री मो. बाबर 2367, दूसरी मंजिल, गली नवाब वाली, तिलक बाजार, खारी बावली, दिल्ली	30.09.2013 रु 54,90,689.00 एनपीए की तारीख से आगे का अतिरिक्त ब्याज और प्रभार	मैसर्स यूनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1246, कटरा हुसैन बक्स, फराश खाना दिल्ली - 110006 601330110000039	 श्री मो. बाबर
8.	नई दिल्ली मिड कॉर्पोरेट शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा श्री शक्ति सोनी 83, सीजी एण्ड जेयू ब्लॉक, पीतमपुरा, नई दिल्ली श्रीमती किरन सोनी 83, सीजी एण्ड जेयू ब्लॉक, पीतमपुरा, नई दिल्ली	30.06.2014 रु. 20,66,81,893.85 एनपीए की तारीख से आगे का अतिरिक्त ब्याज और प्रभार	मैसर्स बिलियनेयर डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड, जी-12, 2695/6, वार्ड नं. XVI, ग्राउंड फ्लोर, अजमल खान रोड, करोल बाग, दिल्ली 604130110000073	 श्री शक्ति सोनी श्रीमती किरन सोनी
9.	झंडेवालान एक्सटेंशन शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा श्री कमलेश कुमार रस्तोगी, जे-107, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली	30.06.2011 रु. 2,39,84,329.00 एनपीए की तारीख से आगे का अतिरिक्त ब्याज और प्रभार	मैसर्स मोती महल डी एक्स (राजपुताना विवजीन), 1563/XV, लक्ष्मी नारायण स्ट्रीट, पहाड़गंज, नई दिल्ली 602465210000003 602420110000361	 श्री कमलेश कुमार रस्तोगी
10.	ओखला एसएमई शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा श्री कमलेश कुमार रस्तोगी, जे-107, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली	30.06.2011 रु. 6,339.00 एनपीए की तारीख से आगे का अतिरिक्त ब्याज और प्रभार	मैसर्स होटल कशिश इंटरनेशनल (आगरा), जे-107, साउथ एक्सटेंशन पार्ट -1, नई दिल्ली 602970210000001	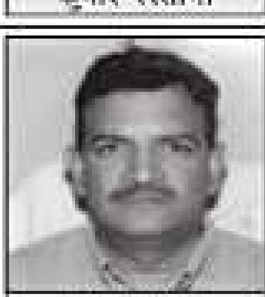 श्री कमलेश कुमार रस्तोगी
11.	नई दिल्ली मिड कॉर्पोरेट शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा श्री पदम विमन लाल सिंघी, 4/ए, सी-1 स्ट्रीट सैनिक फार्म, नई दिल्ली श्री शशि कांत मिश्रा, 315, ग्राउंड फ्लोर, एम.बी. रोड, लाडो सराय, नई दिल्ली श्री बृज गोपाल डागा टॉवर नंबर 1, 5 वीं मंजिल, एनबीसीसी प्लाजा, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली मैसर्स शिव वाणी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड एफ 213/सी, तीसरी मंजिल,लाडो सराय, एम.बी. रोड, नई दिल्ली PAN NO. AAACS2523H	28.10.2013 रु. 66,45,65,838.46 एनपीए की तारीख से आगे का अतिरिक्त ब्याज और प्रभार	मैक्स-टेक ऑयल और गैस सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड ए-8 सी /09 ए, पहली मंजिल, विश्वकर्मा कॉलोनी, एम. बी. रोड आईसीडी के सामने, तुगलकाबाद, नई दिल्ली 604165410000108	 श्री पदम विमन लाल सिंघी श्री शशि कांत मिश्रा 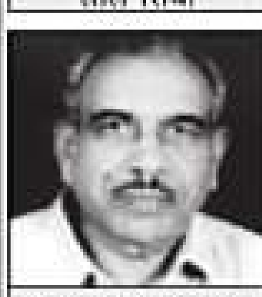 श्री बृज गोपाल डागा 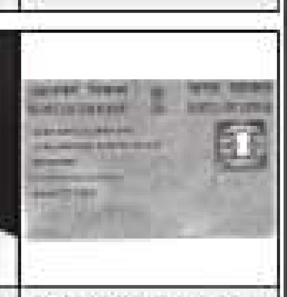 मैसर्स शिव वाणी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड
12.	कमला नगर शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा श्री मुजम्मिल सिद्दीकी बी-14/29, जीएल-12, उत्तरी घोंडा दिल्ली	30.06.2015 रु. 78,05,974.00 एनपीए की तारीख से आगे का अतिरिक्त ब्याज और प्रभार	मैसर्स न्यू ब्राइट ओवरसीज, बी-13/103, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन - 2, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश 601330110000037	 श्री मुजम्मिल सिद्दीकी
13.	अंसारी रोड शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा श्री मर्गूब खान 7511, फाटक धोबियान, फराश खाना, दिल्ली	30.06.2013 रु. 88,40,573.00 एनपीए की तारीख से आगे का अतिरिक्त ब्याज और प्रभार	मैसर्स इंडियन ऑप्टिकल, 1246, कटरा मिर्जा हुसैन, फराश खाना, दिल्ली 603230110000071	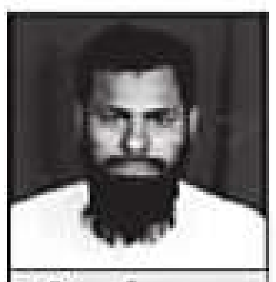 श्री मर्गूब खान
14.	अंसारी रोड शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा श्री मो. नसीम, 712, पहली मंजिल, चांदनी महल, सुई वालन चौक, दरियागंज, दिल्ली	30.06.2013 रु. 70,18,249.92 एनपीए की तारीख से आगे का अतिरिक्त ब्याज और प्रभार	मैसर्स नसीम बुक डिपो 712, पहली मंजिल, चांदनी महल, सुई वालन चौक, दरियागंज, दिल्ली 603230110000063	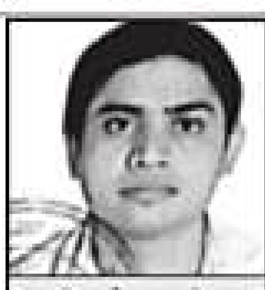 श्री मो. नसीम
15.	आसफ अली रोड शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा श्री विनोद कुमार सिंह, 537, कैलाश पुरी, नई दिल्ली	30.09.2010 रु. 82,53,579.68 एनपीए की तारीख से आगे का अतिरिक्त ब्याज और प्रभार	मैसर्स पूनम गारमेंट्स, 537, कैलाश पुरी, नई दिल्ली 600130110000005	 श्री विनोद कुमार सिंह

दिनांक: 08.06.2019
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इण्डिया

तीन दिन की यात्रा पर वायनाड पहुंचे राहुल

मलप्पुरम (केरल), 7 जून (भाषा)।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए तीन दिन की यात्रा पर शुक्रवार को अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड पहुंचे। हाल ही में लोकसभा चुनाव में गांधी ने 4.31 लाख से अधिक वोटों के अंतर से वायनाड से जीत दर्ज की थी। हालांकि वे कांग्रेस का गढ़ समझी जाने वाले अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी से हार गए थे।

कांग्रेस अध्यक्ष दोपहर करीब दो बजे कोझिकोड हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनका इस निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 15 सार्वजनिक अभिनंदन समारोहों में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। इस निर्वाचन क्षेत्र में वायनाड, मलप्पुरम और कोझिकोड जिले आते हैं। सूत्रों ने बताया कि उनका पहला कार्यक्रम शुक्रवार शाम को मलप्पुरम जिले के कलिकावु में होने की संभावना है। राहुल के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर हजारों पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे थे। वे आम चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख ने रमेश चेन्निथला और पीके कुन्हालिकुट्टी समेत यूडीएफ के वरिष्ठ नेताओं से भेंट की। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि गांधी की यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं का विधानसभा चुनाव के लिए मनोबल ऊंचा होगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वांडूर के विधायक एपी अनिल कुमार ने कहा कि वे नीलांबूर और इरनाड में रोड शो में हिस्सा लेंगे। गांधी का कालपेट्टा, कंबलकाडु, पनामरम, मनानथवाडी, पुलपल्ली और सुल्तान बाथेरी में अभिनंदन किया जाएगा और वे कोझिकोड विधानसभा क्षेत्र में रोड शो में हिस्सा लेंगे। नौ जून को वे दिल्ली लौट जाएंगे। सांसद के रूप में अपने पहले संवाद के तहत गांधी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को वायनाड में एक किसान की आत्महत्या को लेकर एक पत्र लिखा था। विजयन ने जवाब दिया था कि बैंकों को ऋण नहीं चुका पाने पर आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को राहत प्रदान करने का मुद्दा संसद में उठाया जाना जरूरी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार गांधी 53 वर्षीय किसान दिनेश कुमार के घर भी जा सकते हैं जिन्होंने वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के पनामरम में 23 मई को जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली थी। दिन में गांधी ने ट्वीट किया था, 'आज दोपहर से रविवार तक मैं नागरिकों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए केरल के वायनाड में रहूंगा। यह एक व्यस्त कार्यक्रम होगा और तीन दिन में 15 अभिनंदन कार्यक्रमों की योजना है।'

फैसला बदलने को तैयार नहीं

नए कांग्रेस अध्यक्ष की तलाश शुरू

- गांधी परिवार अध्यक्ष पद से दूर रहना चाहता है
- असलम शेर खान ने चिट्ठी लिखकर अध्यक्ष पद संभालने की इच्छा जताई
- वीरप्पा मोइली ने राहुल से अध्यक्ष पद पर बने रहने की गुजारिश की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जून।

लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश पर अड़ जाने के मद्देनजर नए कांग्रेस अध्यक्ष की अंदरखाने तलाश शुरू हो गई है। पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्यसमिति ने राहुल के इस्तीफे की पेशकश को भले एक स्वर से खारिज कर दिया हो लेकिन करीब एक पखवाड़ा बीतने के बावजूद गांधी ने अपना फैसला वापस नहीं लिया है। ऐसे संकेत हैं कि राहुल लोकसभा में पार्टी की अगुआई करने को तैयार हैं लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर वे अपना फैसला नहीं बदलने वाले।

दूसरी ओर पार्टी में शीर्ष स्तर पर अनिश्चितता का असर तेलंगाना और महाराष्ट्र से लेकर पंजाब व देश के अन्य सूबों में भी देखा जा रहा है। विधायक पार्टी छोड़ दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं तो वरिष्ठ नेताओं के मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। राहुल के फैसले से पीछे हटने से इनकार करने के कारण पार्टी में गहराते संकट के मद्देनजर अंदरखाने नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। आने वाले एक-दो महीने में पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है।

इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और हॉकी ओलम्पियन असलम शेर खान ने ने बाकायदा राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी अध्यक्ष पद पर अपना दावा ठोक भी दिया है। बीते 27 मई को लिखे अपने पत्र में उन्होंने अगले 2 वर्ष के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने की इच्छा जताई है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि राहुल गांधी एक फाइटर हैं लेकिन फिलहाल उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के पद से हटने का फैसला किया है और हर कांग्रेसी को इसका सम्मान करना चाहिए। राजनीतिक रवायत बदलने की जरूरत है। हालांकि उनकी चिट्ठी को गंभीरता से नहीं ले रहा।

दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली ने शुक्रवार को राहुल गांधी से अपील की कि वह अपनी जिम्मेदारी संभालें और कुछ प्रदेश इकाइयों में असंतोष समाप्त करें। उन्होंने कहा कि वह विकल्प लाये बिना पार्टी का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ सकते।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पार्टी की पंजाब और राजस्थान इकाइयों में अंदरूनी कलह और तेलंगाना व महाराष्ट्र में पार्टी छोड़ने की खबरों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पार्टी में हम सभी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि जब नेतृत्व कार्य नहीं करता तो ऐसी चीजें होंगी। उन्होंने कहा कि यदि वह अपने इस्तीफा देना चाहते भी हैं तो यह इसका समय नहीं है। जब तक वह स्थिति को संभालने के लिए विकल्प नहीं लाते, मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी को पद छोड़ना चाहिए।

सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहते। उन्होंने पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को अपने फैसले से अवगत भी करा दिया है। ऐसे में नए अध्यक्ष की तलाश जारी है। चूंकि अगले कुछ महीनों में चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा पार्टी इन्हीं राज्यों में से किसी से नया अध्यक्ष चुन सकती है।

ममता का नीति आयोग की बैठक में आने से इनकार

कोलकाता, 7 जून (भाषा)।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की होने वाली बैठक में शिरकत करने से इनकार करते हुए इसे निरर्थक बताया है क्योंकि एक संस्था के तौर पर राज्य की योजनाओं में मदद के लिए इसके पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं। वह प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं आई थीं। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के निर्णय की जानकारी दी थी। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि उनकी कैबिनेट के अन्य मंत्री उनकी ओर से बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं। आयोग की बैठक में ममता के शामिल न होने पर पश्चिम बंगाल भाजपा ने तल्ख प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में ममता ने कहा है, 'यह तथ्य है कि नीति आयोग के पास न तो कोई वित्तीय शक्तियां हैं और न ही राज्य की योजनाओं में मदद के लिए उसके पास शक्ति है। ऐसे में किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्तियों से वंचित ऐसी संस्था की बैठक में शामिल होना मेरे लिए निरर्थक है।'

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की वकालत की : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को मांग की कि चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर एक कॉलेजियम का गठन होना चाहिए।

लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए ममता ने कहा कि चुनाव आयोग के तीन मनोनीत सदस्यों को चुनाव कराने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

ईडी ने पत्रकार राघव बहल के खिलाफ मामला दर्ज किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जून।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अघोषित विदेशी संपत्तियों की खरीद के लिए कथित धनशोधन को लेकर मीडिया कारोबारी राघव बहल के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। उनके और अन्य के खिलाफ आयकर विभाग की शिकायत का संज्ञान लेते हुए ईडी ने इस हफ्ते के शुरू में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआइआर) दर्ज की।

कैबिनेट सचिव का कार्यकाल तीन माह बढ़ा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जून।

कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। शीर्ष पद संभालने के बाद तीसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के जरिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। सिन्हा को मई, 2015 में दो साल के लिए कैबिनेट सचिव बनाया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सिन्हा के कार्यकाल को 12 जून, 2019 से तीन माह बढ़ाने की अनुमति दी। इससे पहले सिन्हा का कार्यकाल 2017 और 2018 में एक-एक साल के लिए बढ़ाया गया था। यह तीसरी बार है जब सिन्हा का कार्यकाल बढ़ाया गया है।

फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार–क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले

और

चक्रधारी एस्टेट्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (यू45201डीएल2006पीटीसी148056) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1ई, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नाज सिनेमा कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110055 में है के मामले में

(आवेदक/याचिकाकर्ता)

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 27 मई, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

कृते चक्रधारी एस्टेट्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
ह0/–
देवेंद्र हूडा
निदेशक
डीआईएन: 07109935

07 जून, 2019
नई दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार–क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले

और

निओबे बिल्डर्स एंड डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड (45200डीएल2006पीटीसी 156073) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1ई, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नाज सिनेमा कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110055 में है के मामले में

(आवेदक/याचिकाकर्ता)

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 28 मई, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

कृते निओबे बिल्डर्स एंड डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
ह0/–
कृष्ण कुमार शीरा
निदेशक
डीआईएन: 06802349

07 जून, 2019
नई दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार–क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले

और

डेई रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड (यू45201डीएल2006पीटीसी147663) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1ई, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नाज़ सिनेमा कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110055 में है के मामले में

(आवेदक/याचिकाकर्ता)

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 28 मई, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

कृते डेई रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
ह0/–
देवेंद्र हूडा
निदेशक
डीआईएन: 07109935

07 जून, 2019
नई दिल्ली

कार्पोरेशन बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालयः दिल्ली दक्षिण, प्रथम तल, कार्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, 1, फैज़ रोड, झण्डेवालान, नई दिल्ली–110005, फोन : 011-28755514 / 28754642, 7042597411
ईमेल : cb8821rec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
धरोहर राशि तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 25.06.2019 को सांय 5.00 बजे तक

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस, आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता कॉर्पोरेशन बैंक से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 26.06.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम, पता, फोन नं. और ई–मेल आईडी	ऋणधारक / गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूति ऋण मांग सूचना की तारीख	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि व समय	ईएमडी प्रेषण खाता और IFSC कोड
1	सरिता विहार शाखा, श्री अजय भाटिया, मो. +91 7096502502, फोन: 011-26956629, 26954629, ईमेल: cb0600@corpbank.co.in	**मैसर्स बक्स फूड इंडस्ट्रीज** प्रोप: मधुर बक्स	प्लॉट नं. 569 / 2751, खाता नं. 651 / 301, रेवेन्यू मौजा, मेरापुर, पी.एस. जगतपुर, तहसील–सलिपुर, जिला–कटक, (ओडिशा) में स्थित, प्लिन्थ एरिया भूतल का अर्थात 1408 वर्ग फीट	₹ 43,30,593.00 मांग सूचना दिनांक 06.11.2015 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 38.00 लाख ₹ 3.80 लाख ₹ 0.50 लाख	26-06-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101005344793 IFSC कोड: CORP0000600
2	फरीदाबाद शाखा, श्री कृष्ण कुमार ग्लाहलत, मो. 7042597406, फोन: 0129- 2422595, 2412235, ईमेल: cb0479@corpbank.co.in	कर्जदार : **मैसर्स रॉकवैल मैटल प्रा. लि.**, गारंटर : 1. श्रीमती गंगा देवी, 2. श्री महेश चौधरी, 3. श्री जितेन्दर कुमार, 4. श्री राजेश चौधरी, 5. श्री संदीप कुमार, 6. श्री सुनील चौधरी, 7. श्री विक्रम सिंह	प्लॉट नं. सी–24 का पश्चिमी भाग 74 वर्ग गज, नेहरू ग्राउण्ड, एन आई टी, फरीदाबाद, मालिकाना हक श्री विक्रम सिंह औद्योगिक प्लॉट नं. 14, क्षेत्रफल 955 वर्ग गज, खसरा नं. 15/1, 11/2(1-7), 12(8-0), 19/1 (2-0), 19/2 (2-0), 19/3 (1-0), 19/4(4-0), 20 (8-0), 21/1 (1-6), 22/2 (4-13), मौजा सरूरपुर में स्थित, गली नं. 8–उम्ब्लू, सरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में स्थित, मालिकाना हक श्री महेश चौधरी	₹ 15,02,45,050.76 मांग सूचना दिनांक 06.04.2016 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 59.00 लाख ₹ 5.90 लाख ₹ 0.50 लाख ₹ 58.00 लाख ₹ 5.80 लाख ₹ 0.50 लाख	26-06-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101005766175 IFSC कोड: CORP0000479
3	फरीदाबाद शाखा, श्री कृष्ण कुमार ग्लाहलत, मो. 7042597406, फोन: 0129- 2422595, 2412235, ईमेल: cb0479@corpbank.co.in	**उधारकर्ता: मैसर्स बेस्टवेस ट्रांसपोर्ट (इंडिया) प्रा. लि. गारंटर्स: 1. श्री मोहित मल्होत्रा 2. श्रीमती निर्मल मल्होत्रा 3. के सी मल्होत्रा**	सम्पत्ति भूमि एवं भवन मकान नं. 318, सैक्टर–21–ए, अरबन ईस्टेट, फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री के सी मल्होत्रा के नाम पर है। सम्पत्ति भूमि एवं भवन साम्यिक बंधक / प्रथम प्रभार एसएसआई प्लॉट नं. 1, नेहरू ग्राउण्ड, एनआईटी, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री निर्मल मल्होत्रा के नाम पर है। मकान नं. 87, निशुन हद नं. 5, एनआईटी फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री के सी मल्होत्रा के नाम पर है।	₹ 10,32,62,796.21 दिनांक 06.03.2019 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 419.00 लाख ₹ 41.90 लाख ₹ 1.00 लाख ₹ 257.00 लाख ₹ 25.70 लाख ₹ 1.00 लाख ₹ 162.00 लाख ₹ 16.20 लाख ₹ 1.00 लाख	26-06-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101005766175 IFSC कोड: CORP0000479
4	मायापुरी शाखा, श्री सुभाष कुमार, मो. 8890648068, फोन 011-28113474, 28113475 ईमेल: cb1256@corpbank.co.in	उधारकर्ता: **माँ सरस्वती एजुकेशन सोसाइटी** (ए) राष्ट्रपति (बी) सचिव (सी) कैशियर, मैसर्स माँ सरस्वती एजुकेशन सोसाइटी कैलानौर खुर्द, (खेरादी मोर के पास) जिला रोहतक (हरियाणा) **गारंटर:** (i) श्री राधे श्याम पुत्र श्री बेग राज (ii) श्री तुमेश चंद पुत्र श्री बेग राज (iii) श्रीमती बरखा रानी पत्नी श्री तुमेश चंद (iv) श्री शिव कुमार पुत्र श्री राधे श्याम (वी) श्रीमती भाग्यवती देवी पत्नी श्री राधे श्याम	साम्यिक बंधक भूमि एवं भवन जिसमें शामिल खसरा नं. 45/16, 25/1, 46/19/2/2, 20/2, 21/1, 22/1, 65/1/2, 10,11, 66/5/2, 6,7,8,13 से 18 और खसरा नं. 65/2/1/2, 2/2, 3/1/2/1/2, 9/1, 9/2, कलानौर खुर्द की रेवेन्यू ईस्टेट में, जिला रोहतक में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स माँ सरस्वती एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर है। बिल्डिंग खेवत नं. 765, खतौनी नं. 1031, किला नं. 68//9/1–10–11/1 कुल क्षेत्रफल 16 कनाल 9 मरला और खेवत नं. 371, खतौनी नं. 565–566 किला नं. 56/23, 67/4-5-6-7, 68/24/1, कुल क्षेत्रफल 37 कनाल 6 मरला, कलानौर खुर्द, तहसील और जिला रोहतक में स्थित।	₹ 14,08,28,842.10 दिनांक 03.05.2019 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 1560.00 लाख ₹ 156.00 लाख ₹ 5.00 लाख ₹ 265.00 लाख ₹ 26.50 लाख ₹ 1.00 लाख	26-06-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101000363269 IFSC कोड: CORP0001256
5	मायापुरी शाखा, श्री सुभाष कुमार, मो. 8890648068, फोन 011-28113474, 28113475 ईमेल: cb1256@corpbank.co.in	**कर्जदार : मैसर्स बृज चैरिटेबल फाउंडेशन, गारंटर:** 1. श्री राकेश कुमार 2. श्रीमती पिंकी कुमारी, 3. श्रीमती कलावती सिंह	इंस्टीट्यूशनल सम्पत्ति साथ में बिल्डिंग, बृज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, माटा नं. 92/1,95/1,95/2 और 97, 10 किमी स्टोन, अलीगढ़ मथुरा रोड, मौजा राम नगर, परगना गोरई तहसील इग्लास, जिला अलीगढ़(यू.पी.), भूमि क्षेत्रफल 33900 वर्ग गज, कुल निर्मित एरिया 31302 वर्ग फीट, (भौतिक कब्जा)	₹ 5,57,48,691.61 दिनांक 31.12.2018 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 378.00 लाख ₹ 37.80 लाख ₹ 1.00 लाख	26-06-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101000363269 IFSC कोड: CORP0001256
6	मायापुरी शाखा, श्री सुभाष कुमार, मो. 8890648068, फोन 011-28113474, 28113475 ईमेल: cb1256@corpbank.co.in	**कर्जदार : मैसर्स सोलन एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स प्रा. लि.** (1ए) मैसर्स सोलन एनर्जी सेविंग प्रा. लि. (2ए) श्री प्रमोद कुमार वोहरा, (2बी) श्रीमती सपना वोहरा, (2सी) श्री निहित वोहरा	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फैक्ट्री भूमि एवं भवन, खाता खतौनी नं. 37 / 126, खसरा नं. 379, मौजा सलोगरा, परगना सकरौली, तहसील और जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में – एन.एच और प्रवेश रोड, दक्षिण में – जंगल की भूमि, पूरब में – जंगल की भूमि और मेरी ओडिन की बिल्डिंग, पश्चिम में – जंगल की भूमि और एन.एच	₹ 3,11,88,309.40 दिनांक 01.02.2019 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 491.00 लाख ₹ 49.10 लाख ₹ 1.00 लाख	26-06-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101000363269 IFSC कोड: CORP0001256
7	**वसंत विहार शाखा,** श्री मनोज कुमार सिंह, मो. 8511172848, फोन 011-26151301, 26152307, ईमेल: cb0564@corpbank.co.in	**कर्जदार : मैसर्स वूमेन डेवलपमेंट ऑर्गनाईजेशन,** अध्यक्ष– रेणुका शर्मा **गारंटर: (1) रेणुका शर्मा, (2) सुश्री राधा रानी (3) सुश्री प्रतिभा झा** पत्नी एस के झा **(4) श्रीमती पूजा कटारा** पत्नी श्री अजय कटारा **(5) श्री हरि शर्मा (6) श्रीमती मल्लिका शर्मा**	सम्पत्ति नं. एस–192, सम्पूर्ण बेसमेंट क्षेत्रफल 204 वर्ग गज, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–I, नई दिल्ली–110048 में स्थित, जिसकी सीमाएं : उत्तर में – 15फीट सर्विस लेन, दक्षिण में – 30फीट चौड़ी रोड, पूरब में – प्लॉट नं. एस–194, पश्चिम में – प्लॉट नं. एस 190	₹ 73,43,982.00 दिनांक 06.03.2019 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 97.00 लाख ₹ 9.70 लाख ₹ 0.50 लाख	26-06-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101000603200 IFSC कोड CORP0000564
8	**गुड़गांव शाखा,** संदीप राजन डी. मो. 9489941651, फोन: 0124-2563630, 2563629, ईमेल: cb0449@corpbank.co.in	कर्जदार : **मैसर्स डैसी टैक्नोलॉजीस्** गारंटर: **1. सुश्री ऐशा उर्फी, 2. श्रीमती जेबन निशा**	सम्पत्ति खाता नं. 288, खसरा नं. 203, क्षेत्रफल 0.1140 हैक्ट. और खाता नं. 287, खसरा नं. 205, क्षेत्रफल 0.5690 हैक्ट. और खाता नं. 289, खसरा नं. 204, क्षेत्रफल 0.1010 हैक्ट. कुल भूमि क्षेत्रफल 0.7840 हैक्ट. (7840 वर्ग मी.) गाँव पीपलहेड़ा, परगना–डासना, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति (फार्म हाउस), पूरब में – रोड, पश्चिम में – अन्य सम्पत्ति	₹ 9,21,48,665.00 मांग सूचना दिनांक 20.09.2014 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 175.00 लाख ₹ 17.50 लाख ₹ 1.00 लाख	26-06-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101005730677 IFSC कोड CORP0000449
9	**पलवल शाखा,** श्री प्रियमजीत सिंह चौहान, मो. 9971101518, फोन: 01275-244050, ईमेल: cb1245@corpbank.co.in	**उधारकर्ता: न्यू धर्म एजुकेशन सोसाइटी** गारंटर: (1) जीवन लाल पुत्र हिरनी (2) इंद्रजीत पुत्र जीवन लाल (3) धर्मवती पत्नी इंद्रजीत (4) शांता पत्नी जीवन लाल, (5) निशेष पुत्र जीवन लाल (6) सुभाष पुत्र जीवन लाल	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 27 कनाल 1 मरला और (3.38125 एकड़ अर्थात 16350.02 वर्ग गज) शामिल खेवत / खाता नं. 528 / 544, रैक्ट नं. 25, किला नं. 16(8-0), 17/2(3-9), 24/1(6-10), 25(8-0), 26(1-2) मौजा देमोत के रेवेन्यू स्टेट के अंतर्गत, तहसील होडल और जिला पलवल, हरियाणा में स्थित, सम्पत्ति पर मालिकाना हक श्री जीवन लाल पुत्र श्री हिरनी, चौहद्दी : उत्तर में – कच्चा रास्ता जिसमें कृषि भूमि है, दक्षिण में – जीवीएन पॉलीटेक्निक, पूरब में – खेतीहर भूमि, पश्चिम में – सल्लही–दीघोत रोड के माध्यम से स्कूल में प्रवेश करें, सांकेतिक कब्जा	₹ 2,27,91,311.50 दिनांक 02.01.2019 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 233.00 लाख ₹ 23.30 लाख ₹ 1.00 लाख	26-06-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101003593559 IFSC कोड: CORP0001245
10	**ग्रेटर कैलाश–II शाखा, श्री के. सुब्बारॉव** मो. 7042597400, फोन 011-29210667, 29212059, ईमेल: cb0286@corpbank.co.in	उधारकर्ता: **मैसर्स एलएमएल टॉवर कम्पनी** गारंटर्स: 1. श्री लवलेश मोहन सिंघला, 2. श्रीमती अनिता सिंघला 3. सौरभ सिंघला, 4. मकुल सिंघला 5. मैसर्स सिंघला फॉलीपर उधारकर्ता: 1. श्री लवलेश मोहन सिंघला, 2. श्रीमती अनिता सिंघला 3. मकुल सिंघला, 4. सौरभ सिंघला	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पूर्ण सम्पत्ति मकान (प्लॉट नं.) 816–पी, सैक्टर–15, पार्ट–2, (सैक्टर 15–I), जिसे अब रिहायशी कॉलोनी अरबन ईस्टेट गुड़गाँव कहते हैं, (हरियाणा) में स्थित, क्षेत्रफल 420 वर्ग मी. (502.32 वर्ग गज), यह सम्पत्ति अनिता सिंघला के नाम पर है।	₹ 4,78,24,628.30 दिनांक 29-04-2019 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि ₹ 1,82,60,808.00 दिनांक 29-04-2019 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 635.00 लाख ₹ 63.50 लाख ₹ 2.00 लाख	26-06-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101006119068 IFSC कोड: CORP0000286
11	**ग्रेटर कैलाश–II शाखा, श्री के. सुब्बारॉव** मो. 7042597400, फोन 011-29210667, 29212059, ईमेल: cb0286@corpbank.co.in	**कर्जदार : क्रिसेन्ट मार्बल प्रा. लि., गारंटर : श्री प्रदीप गोयल**	सम्पत्ति का वह एक भाग जोकि कुल में से (मिजुम्ला) नं. 54 (चौवन) (पुराना नं. 144) क्षेत्रफल 461.88 वर्ग मी., (नगर निगम) म्युनिसिपैलिटी (म्युनिसिपल कमेटी) नं. 25 / 46 (25 / 46वीं का भाग), गाँधी नगर, हरि पर्वत वार्ड आगरा सिटी 50 मी. की दूरी पुराना रिहायशी संरचना और उस पर निर्मित बिल्डिंग, मकान यह सम्पत्ति श्री प्रदीप गोयल के नाम पर है। वैरानी भूमि पर कुछ बहुत पुरानी बिल्डिंग जिसका सभी अधिकार टाईटल, साथ में मैटिरियल स्ट्रक्चर। चौहद्दी : पूरब में– 72.4" कुल (मिनजुम्ला) नं. 54 का कुछ हिस्सा, सामने की तरफ पार्टी नं. 54 सामने की पार्टी नं. 1 और रास्ते का कुछ हिस्सा और शामलात 15" चौड़ी, पश्चिम में: 72.4" सर्विस लेन, उत्तर में: 70" सर्विस लेन, दक्षिण में: 64.6" सम्पत्ति 54.1" पार्टी में से (भौतिक कब्जा)	₹ 4,61,17,716.90 मांग सूचना दिनांक 26.03.2018 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 182.00 लाख ₹ 18.20 लाख ₹ 1.00 लाख	26-06-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101006119068 IFSC कोड: CORP0000286

कृपया विक्रय की विस्तृत नियम व शर्तों के संदर्भ हेतु लिंक देखें :

https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/maasaraswati_education_society_1.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/lms_tyre_company.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/dessee_technologies_2.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bux_food_industries_1.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/braj_charitable_foundation_2.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/new_dharam_education_society_.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/rockwell_metal__1.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/solan_energy_saving_products_pvt_ltd.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/women_development_organisation_0.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bestways_transport__0.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/crescent_marble_pvt_ltd.pdf

दिनांक: 07.06.2019, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

विश्व कप -2019

जनसत्ता
महासमर
8 जून, 2019 14

जंपा को लगी फटकार

आस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जंपा को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में विश्व कप मुकाबले में 'भद्दे शब्दों' के इस्तेमाल करने पर आइसीसी ने फटकार लगाई है। आइसीसी ने जारी बयान में कहा कि आस्ट्रेलियाई गेंदबाज एडम जंपा को आस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए विश्व कप मुकाबले के दौरान आइसीसी की आचार संहिता के लेवल एक का उल्लंघन करने पर फटकार लगई गई है।

चहल से रणनीति बनाना सीख सकता हूं : कुलदीप

लंदन, 7 जून (भाषा)।

भले ही कुलदीप यादव युजवेंद्र चहल के साथ जोड़ी में गेंदबाजी करते हों लेकिन उन्हें लगता है कि अब भी उन्हें इस सीनियर जोड़ीदार से सीखने की जरूरत है।

उनका मानना है कि एक विशेष बल्लेबाज के लिए किस तरह की योजना बनाई जाए, यह चहल से बखूबी सीखी जा सकती है। कुलदीप का आइपीएल में प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा था लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती मैच में उन्होंने लय में वापसी की जिसमें उन्होंने जेपी डुमिनी का विकेट झटका और चहल के साथ मिलकर अच्छी गेंदबाजी की। जब उनसे पूछा गया कि चहल से उन्होंने क्या सीखा है तो कुलदीप ने कहा कि वह मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। उन्हें अच्छी तरह पता चल जाता है कि एक बल्लेबाज को किस तरह से गेंदबाजी की जाए और मुझे उनसे यह सीखने की जरूरत है। बाएं हाथ के इस कलाई के स्पिनर ने कहा कि गेंद मेरे हाथ से जिस तरह से निकल रही है, उससे मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं और चहल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रणनीति के हिसाब से गेंदबाजी करने में कामयाब रहे। हमने मध्य के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाई और विकेट भी चटकाए। कुलदीप ने केकेआर के लिए खेलते हुए 2019 आइपीएल में नौ मैचों में केवल चार विकेट हासिल किए लेकिन उन्होंने बचपन के कोच कपिल देव पांडे के साथ अभ्यास किया।

भारत के खिलाफ मुकाबले में कैरी की निगाहें धोनी पर

नॉटिंघम, 7 जून (भाषा)।

अपने पहले विश्व कप में खेल रहे आस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने कहा कि वह अब भारत और विशेषकर महेंद्र सिंह धोनी को चुनौती देने का इंतजार नहीं कर सकते। इन दोनों टीमों के बीच लंदन में रविवार को मुकाबला होगा। कैरी के 55 गेंदों पर 45 रन और नाथन कूल्टर नाइल की 92 रन की पारी की मदद से आस्ट्रेलिया ने गुरुवार को वेस्ट इंडीज को 15 रन से हराया।

इस पारी से उन पर पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलने को लेकर बना दबाव भी कम हो गया है। कैरी ने कहा कि भारत और आस्ट्रेलिया में उनके (धोनी) खिलाफ खेलते हुए मैंने पाया कि वह बेहद शांतचित हैं।

बीसीसीआइ के अनुरोध को आइसीसी ने ठुकराया

धोनी को कृपाण चिह्न हटाना होगा

समर्थन में उतरा भारतीय खेल जगत

लंदन/मुंबई, 7 जून (भाषा)।

आइसीसी ने कड़ा रवैया अपनाते हुए महेंद्र सिंह धोनी को विश्व कप के दौरान कृपाण चिह्न वाले विकेटकीपिंग दस्ताने पहनने की अनुमति देने से इनकार कर दिया जबकि बीसीसीआइ ने दावा किया था कि यह सेना का प्रतीक चिन्ह नहीं है।

बीसीसीआइ ने इस स्टार खिलाड़ी द्वारा इस चिह्न को लगाए रखने की अनुमति मांगी थी लेकिन विश्व संचालन संस्था ने नियमों का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया।

आइसीसी ने बयान में कहा, आइसीसी ने बीसीसीआइ को जवाब दिया है कि एमएस धोनी द्वारा पिछले मैच में विकेटकीपिंग दस्तानों पर लगाए गए 'लोगो' को आइसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 में पहनने की अनुमति नहीं जाएगी। इसमें कहा गया, आइसीसी के नियम किसी व्यक्तिगत संदेश या प्रतीक चिह्न को किसी भी पोशाक या उपकरण पर लगाने की अनुमति नहीं देते। इसके अलावा यह लोगो उस नियम का भी उल्लघंन करता है कि विकेटकीपिंग दस्तानों पर किन किन चीजों को लगाने की अनुमति दी जाती है। भारत के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती मैच के दौरान धोनी के दस्तानों पर कृपाण वाला चिह्न बना हुआ था जो कि सेना के प्रतीक चिह्न जैसा लग रहा था। हालांकि विश्व संस्था के नियमों के अनुसार विकेटकीपर के दस्ताने पर केवल एक ही प्रायोजक का 'लोगो' लगाने की अनुमति दी जाती है। धोनी के मामले में वह पहले ही अपने दस्तानों पर एसजी का लोगो पहनते हैं। धोनी प्रादेशिक सेना की पैराशूट रेजीमेंट के मानद लेफ्टिनेंट हैं और यह चिन्ह उनके प्रतीक चिन्ह का हिस्सा है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप के शुरुआती मैच के दौरान धोनी के दस्तानों पर कृपाण वाला चिह्न सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के बाद विवादों में घिर गया है। एक तरफ जहां भारत के विभिन्न हस्तियों ने उनका समर्थन किया है तो वहीं आइसीसी ने बीसीसीआइ से इस चिन्ह को हटवाने का आग्रह किया है। हालांकि बीसीसीआइ ने मामले को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस चिह्न का किसी भी धर्म, सेना या व्यावसायिक चीजों से लेना देना नहीं है। उन्होंने आइसीसी से कहा है कि वे धोनी को इस चिन्ह वाले दस्तानों को पहनने की इजाजत दें। खेल मंत्री किरण रिजीजू ने भी बीसीसीआइ से महेंद्र सिंह धोनी के मामले को निपटाने के लिए कहा है।

रिजीजू ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'यह देश की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, देश के हित का ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं बीसीसीआइ से महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में सही कदम उठाने का अनुरोध करूंगा। चेन्नई सुपर किंग्स के साथी और भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना के अलावा पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह, लंदन ओलंपिक कांस्य पदकधारी पहलवान योगेश्वर दत्त और भारतीय धाविका हिमा दास ने धोनी का समर्थन किया। हालांकि पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया का मानना है कि धोनी को नियमों का पालन कर इसे हटा देना चाहिए। योगेश्वर ने कहा कि इस चिन्ह को हटाना भारतीय सेना का अपमान होगा। उन्होंने लिखा, 'आइसीसी द्वारा इस बैज को हटाने की मांग भारतीय सेना के बलिदान का ही अपमान नहीं होगा बल्कि भारतीय सेना का भी अपमान होगा।' हिमा दास ने कहा कि भारत धोनी भाई के साथ है। मैं माही भाई का समार्थना करती हूं। जय हिंद जाय भारत।

एक खिलाड़ी को नियम और दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर यह इसके खिलाफ है तो धोनी को इसे नहीं पहनना चाहिए।
-बाईचुंग भूटिया

धोनी प्रादेशिक सेना की पैराशूट रेजीमेंट के मानद लेफ्टिनेंट हैं और यह चिन्ह उनके प्रतीक चिह्न का हिस्सा है। सीओए प्रमुख ने इस संदर्भ में कहा कि अर्द्धसैनिक बल के कृपाण वाले चिह्न में 'बलिदान' शब्द लिखा है जबकि धोनी ने जो लोगो लगा रखा उस पर यह शब्द नहीं लिखा है।

प्रशासकों की समिति के प्रमुख विनोद ने कहा था कि यह चिन्ह किसी भी नियम का उल्लघंन नहीं है। राय ने कहा, आइसीसी के नियमों के अनुसार खिलाड़ी कोई व्यावसायिक, धार्मिक या सेना का लोगो नहीं लगा सकता है।

बांग्लादेश के खिलाफ सतर्क होकर खेलेगा इंग्लैंड

कार्डिफ, 7 जून (भाषा)।

खिताब के प्रबल दावेदारों में शुमार इंग्लैंड का सामना शनिवार को उलटफेर में माहिर बांग्लादेश से होगा। इस दौरान इंग्लैंड की टीम चार साल पुरानी कड़वी यादों को ध्यान में रखकर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने से बचना चाहेगी। बांग्लादेश ने विश्व कप 2015 में एडिलेड में खेले गए मैच में इंग्लैंड को 15 रन से हराकर उसे टूर्नामेंट के पहले दौर से बाहर कर दिया था। इंग्लैंड उस हार को भूला नहीं होगा हालांकि तब उसकी टीम आज की तुलना में कमजोर थी। इसके बाद इंग्लैंड के टीम प्रबंधन में बदलाव हुए और उसने लगातार सुधार किया। आज वह दुनिया की नंबर एक टीम है।

अपनी सरजमीं पर खेले जा रहे विश्व कप में इंग्लैंड का अभियान अभी तक उतार चढ़ाव वाला रहा है। उसने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 104 रन से हराया लेकिन अगले मैच में पाकिस्तान से 14 रन से हार गया था। इस मैच में इंग्लैंड के खिलाड़ी कुछ अवसरों पर खुद पर नियंत्रण भी नहीं रख पाए थे। सलामी बल्लेबाज जैसन रॉय और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पर तो अपने खराब व्यवहार के लिए जुर्माना भी लगाया गया था। पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाड़ियों को पाकिस्तानी दर्शकों ने काफी परेशान किया और अब उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ भी इसी तरह के अनुभव से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लियाम प्लंकेट ने कहा कि उनकी टीम इस तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। प्लंकेट ने कहा कि हम बड़े टूर्नामेंटों में खेलते रहे हैं। हमारे खिलाड़ी आइपीएल और बिग बैश में खचाखच भरे स्टेडियमों में खेलते रहे हैं। यह खिलाड़ियों के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए।

आदिल राशिद ने पाकिस्तान के खिलाफ पांच ओवर में काफी रन लुटाए थे। इस लेग स्पिनर की कंधे की चोट को देखते हुए इंग्लैंड उन्हें अंतिम एकादश से बाहर रख सकता है। बांग्लादेश की सोफिया गार्डंस से कुछ अच्छी यादें जुड़ी हैं। उसने इसी मैदान पर 2005 में आस्ट्रेलिया को हराया था जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे बड़े उलटफेर में से एक माना जाता है। उस मैच में बांग्लादेश की टीम के सदस्य रहे मशरेफी मुर्तजा अब टीम के कप्तान हैं।

न्यूजीलैंड की परीक्षा लेंगे अफगान फिरकी गेंदबाज

टांटन, 7 जून (भाषा)।

पिछले मैच में बांग्लादेश के स्पिनरों के सामने कुछ विषम पलों से गुजरने वाले न्यूजीलैंड को शनिवार को अपने अगले मैच में अफगानिस्तान की इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड ने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं और वह विजय अभियान जारी रखना चाहेगा। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ अपेक्षाकृत छोटे लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। रोस टेलर के 82 रन की मदद से कीवी टीम ने यह मैच दो विकेट से जीता था।

यह न्यूजीलैंड की दूसरी जीत है। इससे पहले उसने श्रीलंका को आसानी से दस विकेट से हराया था। टेलर ने भी माना कि एशियाई टीमों के खिलाफ स्पिन का अच्छी तरह से सामना करना जीत के लिए अहम है। टेलर ने कहा कि अफगानिस्तान के पास कई अच्छे स्पिनर हैं और मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना जरूरी है।

होल्डिंग और ब्रेथवेट ने अंपायरिंग पर उठाए सवाल

नॉटिंघम, 7 जून (एएफपी)।

आस्ट्रेलिया से विश्व कप मैच में 15 रन से हार के बाद वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर कार्लोस ब्रेथवेट ने कहा कि बेहद खराब अंपायरिंग का खामियाजा उनकी टीम को भुगतना पड़ा। वहीं पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने भी अंपायरों के प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की।

वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल और कप्तान जैसन होल्डर दोनों को ट्रेंटब्रिज में गुरुवार को मैदानी अंपायरों ने दो बार आउट दे दिया था लेकिन हर बार तीसरे अंपायर ने फैसला बदल दिया था। अंपायर क्रिस गाफनी एक अवसर पर मिशेल स्टार्क की नोबाल देने से चूक गए थे। अगर यह नोबाल हो जाती तो अगली गेंद पर फ्री हिट होती जिस पर क्रिस गेल आउट हो गए थे।

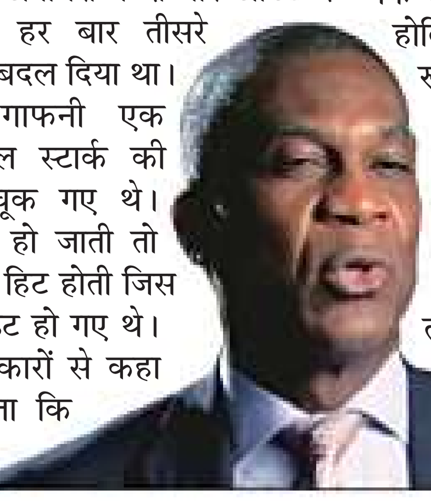

ब्रेथवेट ने पत्रकारों से कहा कि मैं नहीं जानता कि इसके लिए मुझ पर जुर्माना लगाया जाएगा लेकिन मुझे लगता है कि अंपायरिंग थोड़ी निराशाजनक है। यहां तक कि जब हम गेंदबाजी कर रहे थे तब सिर की ऊंचाई तक जाने वाली हमारी कुछ गेंदों को वाइड दिया गया। उन्होंने कहा कि हम 280 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे थे और ऐसे में खुद 180 रन बनाने की क्षमता रखने वाले क्रिस को गंवाना निराशाजनक रहा। हम उस तरह की शुरुआत नहीं कर पाए जैसा चाहते थे।

इस बीच होल्डिंग ने कमेंट्री करते हुए अंपायरिंग को खराब करार दिया। उन्होंने कहा कि इस मैच में अंपायरिंग बेहद खराब रही। होल्डिंग ने कहा कि गाफनी और श्रीलंका के रूचिरा पालियागुरूगे आस्ट्रेलिया की लंबी अपीलों के कारण दबाव में आ गए।

उन्होंने कहा कि यहां तक कि जब मैं खेला करता था और नियम इतने कड़े नहीं थे तब भी हमें एक अपील की अनुमति थी। आप अंपायर से एक, दो, तीन या चार बार अपील नहीं कर सकते। उन्हें डराया जा रहा है जिसका मतलब है कि वे कमजोर हैं।

भारत ने हॉकी में पोलैंड को 3-1 से हराया

भुवनेश्वर, 7 जून (भाषा)।

कप्तान मनप्रीत सिंह के दो गोल की मदद से भारत ने शुक्रवार को यहां चल रहे एफआइएच सीरीज फाइनल्स हॉकी टूर्नामेंट में पोलैंड पर 3-1 से जीत हासिल की।

पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ और मनप्रीत ने 21वें व 26वें मिनट में दो गोल दागे। इसके बाद ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह ने 36वें मिनट में पेनल्टी कार्नर को गोल में तब्दील किया जिससे भारत ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल की। पोलैंड के लिए एकमात्र गोल मातेयूस्ज हुलबोज ने 25वें मिनट में किया। हालांकि दुनिया की पांचवें नंबर की भारतीय टीम लगातार दूसरी जीत हासिल करने में सफल रही लेकिन उसके प्रदर्शन ने इतना प्रभावित नहीं किया क्योंकि तीन महीने पहले अजलन शाह कप कप में उसने दुनिया की 21वें नंबर की पोलैंड टीम को 10-0 से मात दी थी। भारतीयों ने धीमी शुरुआत की। भारत ने 20 मिनट बाद पहला पेनल्टी कार्नर मिला और हरमनप्रीत सिंह के शाट का पोलैंड के गोलकीपर ने अच्छा बचाव किया। भारत को अगले ही मिनट एक और पेनल्टी कार्नर मिला और इस बार मनप्रीत ने रिबाउंड पर गोल कर दिया। अमित रोहिदास के प्रयास को पाकानोवस्की ने रोक दिया था। पोलैंड ने 25वें मिनट में डिफेंस की कमी का फायदा उठाकर गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर भारत को चौंका दिया। पर पोलैंड की खुशी थोड़ी देर ही रह सकी और भारत ने मनप्रीत के दूसरे गोल से बढ़त हासिल कर ली। तीसरे क्वार्टर के छठे मिनट में भारत ने हरमनप्रीत के पेनल्टी से किए गोल पर बढ़त 3-1 कर ली जो निर्णायक रही। अब भारत 10 जून को अंतिम लीग मैच में उज्बेकिस्तान से भिड़ेगा जबकि पोलैंड की भिड़ंत रविवार को रूस से होगी।

बारिश ने धोया पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच

ब्रिस्टल, 7 जून (भाषा)।

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच शुक्रवार को यहां बारिश के कारण आइसीसी क्रिकेट विश्व कप मैच रद्द हो गया जिससे दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। बारिश के कारण मैदान खेलने लायक नहीं था।

अंपायर नाइजेल लोंग और इयान गोल्ड ने मैदान का दो बार मुआयना करने के बाद शाम तीन बजकर 46 मिनट पर इसे रद्द करने का फैसला किया, इससे दोनों टीमों ने दो अंक बांट लिए। आसमान पर तब भी बादल छाए हुए थे जब 20-20 ओवर का मैच कराने के लिए मैदान का अंतिम मुआयना हुआ। दोनों ने एक मैच जीता है और एक मैच गंवाया है। पाकिस्तान को शुरुआती मैच में वेस्ट इंडीज से सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था जबकि उसने प्रबल दावेदार इंग्लैंड को 14 रन से शिकस्त दी थी। श्रीलंकाई टीम न्यूजीलैंड से 10 विकेट से हार गई थी लेकिन उसने अफगानिस्तान पर 34 रन की जीत से अपना अभियान फिर पटरी पर वापस कराया।

नडाल रेकार्ड 12वीं बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में

पेरिस, 7 जून (एएफपी)।

गत चैंपियन राफेल नडाल शुक्रवार को फ्रेंच ओपन सेमी फाइनल में रोजर फेडरर को करारी शिकस्त देकर रेकार्ड 12वें रोलां गैरां खिताब से महज एक कदम दूर हैं।

नडाल ने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी फेडरर को ग्रैंडस्लैम में 11 साल में सबसे बुरी तरह हराया। फाइनल में नडाल का सामना शीर्ष रैंकिंग पर काबिज नोवाक जोकोविच और चौथी वरीयता प्राप्त आस्ट्रियाई डोमिनिक थिएम के बीच खेले जा रहे दूसरे सेमी फाइनल के विजेता से होगा। बारिश के कारण इस मैच को बीच मे रोकना पड़ा। खेल रोके जाने तक थिएम ने तीसरे सेट में जोकोविच पर 3-1 की बढ़त बना ली थी। उन्होंने पहला सेट 6-2 से जीता जबकि दूसरा सेट जोकोविच ने 6-3 से अपने नाम किया। इससे पहले तैंतीस वर्षीय नडाल ने कोर्ट फिलिप चार्टियर पर अंतिम चार के मुकाबले में फेडरर को 6-3, 6-4, 6-2 से आसानी से मात दी।

इस तरह नडाल फ्रेंच ओपन में 12वें फाइनल में पहुंचे और वह रोलां गैरां पर फाइनल में कभी नहीं हारे हैं।

धोनी की कमजोरियों को आस्ट्रेलिया से साझा नहीं करूंगा : हसी

लंदन, 7 जून (भाषा)।

आस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल हसी को लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी की बहुत ज्यादा कमजोरियां नहीं हैं। लेकिन जो हैं उसे वे आस्ट्रेलियाई टीम से साझा नहीं करेंगे। भारत और आस्ट्रेलिया की टीमें रविवार को विश्व कप मुकाबले में एक दूसरे के आमने-सामने होंगी। ओवल में भारत के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में आस्ट्रेलियाई टीम कड़ी चुनौती पेश करेगी।

हसी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में धोनी के साथ खेले हैं और फिर टीम के साथ कोच के रूप में जुड़े रहे। ऐसे में उन्होंने फ्रेंचाइजी और धोनी को काफी करीब से देखा है। जब हसी से पूछा गया कि क्या वह आस्ट्रेलियाई टीम के साथ धोनी को लेकर कुछ साझा करेंगे। इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि कोई संभावना नहीं है, वैसे भी धोनी की ज्यादा कमजोरी नहीं हैं।

हसी को भरोसा है कि आस्ट्रेलिया के पास भारत के पूर्व कप्तान के लिए अपनी योजना होगी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सभी टीमें सभी खिलाड़ियों पर बहुत बारीकी से विश्लेषण करती हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि उनके पास धोनी और सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए योजना होगी। धोनी अगले महीने 38 साल के हो जाएंगे और हसी से जब उनके खेल के बारे में पूछा गया उन्होंने कहा कि इस दिग्गज बल्लेबाज को अपने मजबूत पक्ष के बारे में पता है।

उन्होंने कहा कि वह महान खिलाड़ी हैं और दबाव की स्थिति में किसी दूसरे खिलाड़ी से बेहतर रहते हैं। वह काफी चतुर खिलाड़ी हैं और जोखिम का आकलन करते रहते हैं। उन्हें अपनी ताकत के बारे में पता है और वह उसी तरीके से खेलते हैं। पिछले कुछ समय में धोनी की स्ट्राइक रेट में गिरावट आई है लेकिन हसी को इसमें कुछ गलत नहीं लगता है।

विश्व कप 2007 के विजेता टीम के सदस्य रहे हसी ने कहा कि धोनी न सिर्फ खेल की स्थिति के अनुसार खेलते हैं, बल्कि पारी की शुरुआत में खुद को कुछ समय देना पसंद करते हैं। धोनी को पारी की आखिरी हिस्से में ज्यादा जिम्मेदारी लेना पसंद है। हसी को लगता है कि धोनी की मौजूदगी और खेल को आखिरी तक ले जाने की क्षमता से विरोधी टीम चैन की सांस नहीं ले पाती है।

पिछले कुछ समय में देखा गया है कि धोनी को पैट कमिंस, कागिसो रबादा और जोफ्रा आर्चर (आइपीएल में) जैसे बेहतर तेज गेंदबाजों के खिलाफ शॉट खेलने में दिक्कत हुई है। लेकिन हसी ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टर क्रिकेट के नाम से जाने जाने वाले इस बल्लेबाज ने कहा कि धोनी को पता रहता है कि किस गेंदबाज से खतरा होगा और टीम को किसके खिलाफ आक्रामक रूख अख्तियार करना चाहिए। आपने जिन गेंदबाजों का जिक्र किया है वे केवल एक छोर से गेंदबाजी कर सकते हैं।

हसी ने कहा कि धोनी के अलावा जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रूख बदलने का माद्दा रखते हैं। उन्होंने कहा कि बुमराह मुश्किल परिस्थितियों में गेंदबाजी करेंगे। भारत को जब भी विकेट की जरूरत होगी हम उन्हें गेंदबाजी करते देखेंगे। ऐसे में उस पर दबाव होगा लेकिन मुझे लगता है कि वह विश्व क्रिकेट के किसी अन्य खिलाड़ी की तरह ही दबाव का सामना करते हैं।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 202, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।